



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

No. 72] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता) विनियम, 2014

मि. सं. 14-9/2013(सीपीपी-II).—तकनीकी शिक्षा सहित विश्वविद्यालयी शिक्षा को प्रोत्साहित एवं समन्वित करने और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान, विशेषकर तकनीकी शिक्षा में मानकों के निर्धारण और अनुरक्षण हेतु तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2004 की सिविल अपील सं. 1145 और वर्ष 2004 की सिविल अपील सं. 5736-5745 में दिए गए निर्णय, जिसमें तकनीकी शिक्षा का संचालन करने वाले विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों को अनुमोदन प्रदान करने के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के प्राधिकार को अस्वीकृत कर दिया गया, के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(घ) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा(1) के खंड (च) एवं (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. लघु शीर्षक, विनियोग एवं प्रारंभ

- 1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता) विनियम, 2014 कहा जायेगा।
- 1.2 यह विनियम, ऐसे सभी महाविद्यालयों पर लागू होंगे जो स्नातक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की पेशकश करते हैं और भारत में किसी केन्द्रीय अधिनियम, किसी प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अथवा समाविष्ट विष्वविद्यालयों से सम्बद्धता चाहते हैं, और/अथवा पहले से सम्बद्ध हैं।

- 1.3 यह विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम, 2009 और 13 फरवरी, 2012 को यथा अधिसूचित इसके उत्तरवर्ती विनियम नामतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 का परिवर्धन करेंगे ना कि अल्पीकरण करेंगे।
- 1.4 यह तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. इन विनियमों में परिभाषाएं:

- 2.1 'सम्बद्धता', एक महाविद्यालय के संबंध में, इसकी व्याकरणीय भिन्नताओं के साथ, ऐसे किसी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के तहत ऐसे महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करना और ऐसे महाविद्यालय को उसमें शामिल किया जाना है;
- 2.2 'एआईसीटीई' का अभिप्राय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् है;
- 2.3 'महाविद्यालय' का अभिप्राय, इस प्रकार अथवा किसी और नाम से जाने जाने वाले किसी संस्थान से है, जो 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के उपरांत अथवा 10 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के पश्चात् 03 साल के डिप्लोमा के उपरांत किसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के लिए कोई अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करता है और जो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और विनियमों के अनुरूप, ऐसे अध्ययन कार्यक्रम को प्रदान करने और ऐसे अध्ययन कार्यक्रम के तहत ऐसी योग्यता प्रदान करने हेतु अध्ययनरत छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करता है;
- 2.4 'आयोग' का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1965 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;
- 2.5 'एनएएसी' का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(गगग) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् www.naac.org से है;
- 2.6 'एनबीए' का अभिप्राय एआईसीटीई अधिनियम, 1987 की धारा 10(घ) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड www.nbaindia.org से है;
- 2.7 'तकनीकी महाविद्यालय' का अभिप्राय तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे किसी महाविद्यालय से है;
- 2.8 'तकनीकी शिक्षा' का अभिप्राय अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी वास्तुकला, नगर आयोजना, भेषजी, अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला, होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग जैसे क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण, और ऐसे अन्य कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों से है, जिन्हें आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से घोषित करे;
- 2.9 'विश्वविद्यालय' का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अंतर्गत परिभाषित किए गए किसी विश्वविद्यालय से है।

3. विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी महाविद्यालयों की सम्बद्धता/सम्बद्धता के नवीनीकरण हेतु मानक एवं अपेक्षाएं

- 3.1 तकनीकी महाविद्यालयों को सम्बद्धता/सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान करते समय विश्वविद्यालय इन विनियमों के अनुलग्नक में दिए गए मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। यह एआईसीटीई के प्रचलित मानकों और मानदण्डों पर आधारित हैं। किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा इन मानकों में कोई छूट अनुमेय नहीं होगी।
- 3.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि तकनीकी महाविद्यालयों से अनुलग्नक के पैरा 2.2.2.1 में उल्लिखित प्रयोजन हेतु प्राप्त कोई भी प्रस्ताव, उनमें विहित मानकों पर खरा उतरता है।

4. विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करने/सम्बद्धता के नवीनीकरण के इच्छुक तकनीकी महाविद्यालयों का अनिवार्य प्रत्यायन

- 4.1 समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगत विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय तकनीकी महाविद्यालयों का एनएएसी से और उनके कार्यक्रमों का एनबीए से अनिवार्य प्रत्यायन सुनिश्चित करेंगे।
- 4.2 नये तकनीकी महाविद्यालयों को सम्बद्ध करते समय विश्वविद्यालय अत्यंत सावधानी बरतेंगे और सतर्क रहेंगे। नये तकनीकी महाविद्यालयों को इस शर्त के अधधीन सम्बद्धता प्रदान की जाएगी कि उन्होंने आशय पत्र (एलओआई) जारी होने की तिथि के छह माह के भीतर एनबीए को मूल्यांकन हेतु आवेदन के संबंध में वचनबंध प्रस्तुत करेंगे।
- 4.3 आशय पत्र जारी करने से पूर्व विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्थापक, चाहे वह सरकारी हो अथवा निजी सोसायटी/न्यास अथवा न्यास हो, उसके द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' सहित सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं।
- 4.4 इन विनियमों के जारी होने के छह माह के भीतर छह वर्ष से पुराने सभी तकनीकी महाविद्यालय एनएएसी अथवा एनबीए को प्रत्यायन हेतु आवेदन करेंगे।
- 4.5 सभी तकनीकी महाविद्यालय, जो एनएएसी द्वारा प्रत्यायित हैं अथवा जिनके कार्यक्रम एनबीए द्वारा प्रत्यायित हैं, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधधीन उनकी स्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जाएगा।
- 4.6 विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित मानकों और अपेक्षाओं की अनुप्रयोज्यता के संबंध में कोई भी मामला, आयोग को अग्रेषित किया जाएगा आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

5. विनियमों के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही

- 5.1 सभी सम्बद्ध तकनीकी महाविद्यालयों के संबंध में सभी सम्बद्ध विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों के संबंध में प्रतिवर्ष एक अनुपालन रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत करेंगे। यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी डाली जाएगी।
- 5.2 यदि कोई विश्वविद्यालय, किसी ऐसे तकनीकी महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान विनियमों के अनुसार सम्बद्धता हेतु शर्तें/आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अंतर्गत आयोग ऐसे विश्वविद्यालय के अनुदान को रोकने और/अथवा ऐसे विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा बनाई गई विश्वविद्यालयों की सूची से हटाने सहित ऐसी कोई भी कार्यवाही कर सकता है, जो कि उचित प्रतीत हो।
- 5.3 यदि कोई तकनीकी महाविद्यालय, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत शामिल किया तथा जो आयोग की धारा 12 ख के तहत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं तथा जिन्हें इन विनियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे जिसमें तकनीकी महाविद्यालय को अनुदान बंद करना और/अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और/अथवा धारा 12 ख के तहत आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची से उक्त महाविद्यालय का नाम हटाया जाना शामिल है।
- 5.4 उपरोक्त के अतिरिक्त, संबद्ध विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा मुहैया कराने वाले ऐसे चूककर्ता महाविद्यालय के विरुद्ध इन विनियमों के अनुलग्नक की धारा (5) यथा उपबंध कार्यवाही कर सकता है।

उपमन्यु बसु, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन III/4/असा./113/13]

अनुलग्नक

1. इस अनुलग्नक में अतिरिक्त परिभाषाएं

- 1.1 “वास्तुविद” का अर्थ वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अंतर्गत स्थापित वास्तुविद परिषद् के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद से है;
- 1.2 “स्वायत्त महाविद्यालय” का अर्थ आयोग द्वारा ऐसे घोषित किए गए महाविद्यालय से है;
- 1.3 “अनुपालन रिपोर्ट” का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई अपेक्षाओं के अनुपालन में किसी महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है;
- 1.4 “विदेशी छात्र” का अर्थ ऐसे छात्र से है जिसके पास कोई विदेशी पासपोर्ट हो और जो प्रवेश हेतु योग्यताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरता हो;
- 1.5 “अल्पसंख्यक संस्थान” का अर्थ केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा इस प्रकार मान्यता प्रदत्त किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किसी संस्थान से है;
- 1.6 “अध्ययन का कार्यक्रम” का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए किसी उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम से है।

2. किसी विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे किसी नये महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने, स्थल/स्थान परिवर्तन, तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे किसी महाविद्यालयकी को बंद किये जाने, किसी महिला महाविद्यालय का सह-शिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तन करने हेतु मानदण्ड तथा प्रक्रियाएं

- 2.1 तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव करने वाला महाविद्यालय शैक्षणिक क्रियाकलाप आरंभ करने से पूर्व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगा।

2.2 उपरोक्त प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय नीचे दिए गए मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

2.2.1 परिचय

तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव करने वाला किसी नये महाविद्यालय का सृजन एक अथवा अलग भवनों में, एक या अधिक कार्यक्रम आरंभ कर किया जा सकता है।

- 2.2.1.1 नये महाविद्यालय को सम्बद्धता तभी प्रदान की जायेगी जब यह एक भूखण्ड के रूप में हो, सिवाय पूर्वोत्तर और अन्य पर्वतीय राज्य, जहां यह भूमि के 3 टुकड़ों में हो सकती है जो एक दूसरे से 1 कि.मी. से अधिक दूर स्थित ना हो।

- 2.2.1.2 तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला नया महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की पूर्व सम्बद्धता के बिना स्थापित और/अथवा आरंभ नहीं किया जाएगा।

- 2.2.1.3 विद्यमान महाविद्यालयों में नये तकनीकी कार्यक्रम(ों) को विश्वविद्यालय की पूर्व सम्बद्धता के बिना आरंभ नहीं किया जाएगा।

- 2.2.1.4 महाविद्यालय छात्रों को ऐसे किसी तकनीकी कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध ना किया गया हो।

- 2.2.1.5 विश्वविद्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप बिना किसी कमी के महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ भवन का कार्य पूर्ण होने पर ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे।

2.2.2 निम्नवत हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना

2.2.2.1

- क) स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर एक अथवा अधिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले नये महाविद्यालय की स्थापना करना;

- ख) विद्यमान तकनीकी महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर नयी तकनीकी शिक्षा को जोड़ना;

- ग) स्थल/स्थान परिवर्तन;

- घ) महाविद्यालय को बंद करना;

- ड) महिला तकनीकी महाविद्यालय का सह-शिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तन।

2.2.2.2 अपेक्षाएं एवं अर्हता संबंधी मानदण्ड

किसी नए महाविद्यालय हेतु

- क) सोसायटी के अध्यक्ष अथवा सचिव के माध्यम से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसायटी अथवा
- ख) न्यास के अध्यक्ष अथवा सचिव के माध्यम से पूर्ण न्यास अधिनियम, 1950 अथवा अन्य किसी संबंधित अधिनियम(ों) के अंतर्गत पंजीकृत न्यास अथवा
- ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी।
- घ) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा उनके द्वारा पंजीकृत किसी सोसायटी अथवा न्यास के द्वारा।

2.2.2.3 उपरोक्त निकाय जैसा कि क, ख, ग, और घ में उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) अथवा बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो (बीओटी) के अंतर्गत स्थापित किया गया कोई निकाय हो सकता है।

2.2.2.4 विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित की गयी अंतिम तिथि को अथवा उससे पूर्व निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

- क) किसी नये तकनीकी महाविद्यालय की संस्थापक सोसायटी/न्यास/कंपनी के पास आवेदन जमा करने वाली अथवा उससे पूर्व की तिथि को संस्थापक सोसायटी/न्यास/कंपनी के नाम में इसके स्पष्ट स्वामित्व के साथ इसके पूर्ण कानूनी अधिकार में यथा अपेक्षित तथा विहित भूमि होनी चाहिये।

बशर्ते कि, सम्बद्धता का पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही संस्थापक सोसायटी/न्यास/कंपनी को उस भूमि पर स्थापित तकनीकी महाविद्यालय के विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिए उस भूमि को बंधक रखने का विकल्प होगा।

- ख) तकनीकी महाविद्यालय हेतु भूमि संबंधी अपेक्षाएं, परिशिष्ट-4.1 में यथा उल्लिखित होंगी।

विचाराधीन भूखण्ड बिना किसी बाधाओं के जैसे नदी, नहरें, रेल लाईनें, राजमार्ग, अथवा अन्य कोई ऐसी बनावट जिससे भूमि की एकरूपता में बाधा आती हो, भूमि का एक खण्ड होना चाहिए।

किसी नये तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना के लिये, कुल भूमि की आवश्यकता, संबंधित पृथक तकनीकी अध्ययन कार्यक्रमों हेतु भूमि आवश्यकता का योगफल होगा।

पर्याप्त एफएसआई/एफएआर उपलब्ध होने पर न्यूनतम भूमि की आवश्यकता, उस कार्यक्रम के द्वारा तय की जाएगी जिसे उस तकनीकी महाविद्यालय में प्रदान किए जा रहे सभी कार्यक्रमों में सबसे अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। ऐसे किसी भी मामले में, मात्र एमसीए कार्यक्रम को ही विद्यमान अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/भेषजी/वास्तुकला/होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में चलाने की अनुमति होगी बशर्ते, अन्य मानकों एवं स्तरों को पूरा करने के साथ पर्याप्त एफएसआई/एफएआर उपलब्ध हो।

इसके अलावा, जहां पर्याप्त एफएसआई/एफएआर उपलब्ध है, न्यूनतम भूमि की आवश्यकता उस कार्यक्रम के द्वारा तय की जाएगी जिसे उस तकनीकी महाविद्यालय में पेशकश किए जा रहे सभी कार्यक्रमों में सबसे अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। एमसीए कार्यक्रम के साथ-साथ अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला कार्यक्रम को विद्यमान वास्तुकला महाविद्यालय में चलाने की अनुमति होगी बशर्ते अन्य मानकों एवं स्तरों को पूरा करने के साथ पर्याप्त एफएसआई/एफएआर उपलब्ध हो।

एफएसआई/एफएआर प्रमाण पत्र संबंधित नगर निगम अथवा स्थानीय प्राधिकरण जो भवन योजना को अनुमोदित करता हो, अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाएगा।

भूमि उपयोग प्रमाणपत्र, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाएगा।

भूमि उपयोग परिवर्तन संबंधी प्रमाणपत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाएगा।

- ग) किसी तकनीकी महाविद्यालय की भवन आयोजना, वास्तुविद परिषद् से पंजीकृत किसी वास्तुविद द्वारा तैयार की जाएगी और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

परिशिष्ट-4 में यथा उल्लिखित शिक्षण क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं प्रत्येक कार्यक्रम हेतु प्रभावी होंगी जिसे तकनीकी महाविद्यालय में चलाया जाएगा। तथापि, वहां वाचनालय सहित केन्द्रीय पुस्तकालय, केन्द्रीय कम्प्यूटिंग केन्द्र आदि जैसी केन्द्रीयकृत सुविधाएं हो सकती हैं।

- घ) तकनीकी महाविद्यालय हेतु प्रशासनिक क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं परिशिष्ट-4 में यथा उल्लिखित होंगी।

ड.) तकनीकी महाविद्यालय हेतु सुविधा क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं परिशिष्ट-4 में यथा उल्लिखित होंगी।

च) शिक्षण, प्रशासनिक और सुविधाएं क्षेत्र के योगफल का 25% परिचालन क्षेत्र सामान्य मार्गों, सीढ़ियों, प्रवेश लॉबी तथा अन्य इसी प्रकार के क्षेत्रों को कवर करने हेतु वांछनीय है।

2.2.2.4.1 (एक) वाचनालय सहित केन्द्रीयकृत पुस्तकालय

कार्यक्रम-वार क्षेत्र संबंधी अपेक्षाओं हेतु परिशिष्ट-4 का पैरा 4.2.देखें।

जब किसी तकनीकी महाविद्यालय में कार्यक्रम की संख्या एक से अधिक हागी तो उस स्थिति में न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता 400 वर्ग मी. होगी। जब सभी कार्यक्रमों-पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए प्रथम पाली/एकल पाली में दाखिले 420 से अधिक हो तो, न्यूनतम क्षेत्र संबंधी अपेक्षा 600 वर्ग मी. होगी।

(दो) कम्प्यूटर केन्द्र

कार्यक्रम-वार क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं के लिए परिशिष्ट-4 का पैरा 4.2.1 देखें।

जब तकनीकी महाविद्यालय में कार्यक्रम की संख्या एक से अधिक हागी तो उस स्थिति में न्यूनतम क्षेत्र संबंधी आवश्यकता 150 वर्ग मी. होगी। जब सभी कार्यक्रमों-पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए प्रथम पाली/एकल पाली में दाखिले 420 से अधिक हो तो, न्यूनतम क्षेत्र संबंधी अपेक्षा 200 वर्ग मी. होगी।

(तीन) तकनीकी महाविद्यालय हेतु प्रशासनिक क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं परिशिष्ट-4 में यथा वर्णित प्रभावी होंगी।

(चार) तकनीकी महाविद्यालय हेतु सुविधाएं क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं परिशिष्ट 4 में यथा वर्णित प्रभावी होंगी।

(पांच) शिक्षण, प्रशासनिक और सुविधाएं क्षेत्र के योगफल का 25% परिचालन क्षेत्र सामान्य मार्गों, सीढ़ियों, प्रवेश लॉबी तथा अन्य इसी तरह के क्षेत्रों को कवर करने हेतु वांछनीय है।

2.2.2.5 संवीक्षा की तिथि को आवेदक महाविद्यालय के पास एफडीआर* और राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में खातों के रूप में निधियों की स्थिति निम्नानुसार होनी चाहिए।

	प्रस्तावित कार्यक्रम (स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि)	प्रचालन संबंधी व्यय के प्रमाण स्वरूप कुल न्यूनतम निधियों की आवश्यकता (रु. लाख में)	आर्थिक सुरक्षा के प्रमाण स्वरूप संस्थान के नाम पर कुल एफडीआर (रु. लाख में)
क	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	100	30
ख	भेषजी	50	15
ग	होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी	50	15
घ	वास्तुकला	50	15
ड.	अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला	50	15
च	एमसीए	50	15

* 10 वर्षों की अवधि के लिए

बशर्त आगे कि, बहु-कार्यक्रमों के किसी आवेदन के मामले में, न्यूनतम निधि की गणना प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई राशि को जोड़कर की जाएगी।

2.2.2.6 संबंधित कार्यक्रम हेतु परिभाषित विद्यमान योग्यताओं और मानकों के अनुसार प्रत्येक कार्यक्रम हेतु अलग अध्यापन संकाय होगा।

2.2.2.7 प्रत्येक कार्यक्रम हेतु कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और प्रिंटर संबंधी अपेक्षाएं परिशिष्ट 5 में दिये गए ब्यौरे के अनुसार होंगी।

2.2.2.8 प्रत्येक कार्यक्रम हेतु प्रयोगशाला उपकरणों और प्रयोगों संबंधी अपेक्षाएं परिशिष्ट 5 में दिये गए ब्यौरे के अनुसार होंगी। ,

2.2.2.9 प्रत्येक कार्यक्रम हेतु पुस्तकों और पुस्तकालय संबंधी सुविधाओं की अपेक्षाएं परिशिष्ट 5 में दिये गए ब्यौरे के अनुसार होंगी।

2.2.2.10 वांछित ई-पत्रिकाओं की खरीद का उल्लेख परिशिष्ट में किया गया है।

2.2.2.11 आवश्यक और वांछित सेवा संबंधी अपेक्षाएं परिशिष्ट-6 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार होंगी।

2.2.3 आवेदन को प्रस्तुत करना

2.2.3.1(क) विश्वविद्यालय द्वारा किसी नये महाविद्यालय को स्थापित करने के लिये प्रत्येक नये आवेदक हेतु विहित किये गये नियमों के अनुसार एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी।

2.2.3.1(ख) निम्नवत हेतु प्रक्रिया शुल्क

स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर एक अथवा अधिक तकनीकी कार्यक्रम प्रदान करने वाले नये तकनीकी महाविद्यालय स्थापित करना।

विद्यमान तकनीकी महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर नये तकनीकी कार्यक्रम(ि) को शामिल करना।

2.2.3.2

	आवेदन किए गए तकनीकी महाविद्यालय का स्वरूप	प्रक्रिया शुल्क* (रु. लाख में)
क	अल्पसंख्यक तकनीकी महाविद्यालय	2.0
ख	केवल महिलाओं हेतु स्थापित तकनीकी महाविद्यालय	2.0
ग	पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पहाड़ी राज्यों में स्थापित तकनीकी महाविद्यालय	2.0
घ	अन्य सभी तकनीकी महाविद्यालय	3.0
ड.	सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय	शून्य

* विश्वविद्यालय द्वारा विशेषज्ञों के यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, मानदेय और आतिथ्य पर होने वाले व्यय को प्रक्रिया शुल्क के रूप में एकत्रित की गई धनराशि द्वारा वहन किया जाएगा।

2.2.3.2.1 स्थल/स्थान परिवर्तन, संस्थान की बंदी और महिला महाविद्यालय के सह-शिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तन हेतु प्रक्रिया शुल्क

तकनीकी महाविद्यालय का स्वरूप	स्थल/स्थान में परिवर्तन (रु. लाख में)	संस्थान को बंद किया जाना (रु. लाख में)	महिला महाविद्यालय का सह-शिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तन (रु. लाख में)
अल्पसंख्यक तकनीकी महाविद्यालय	1.0	1.0	1.0
सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पर्वतीय राज्यों में स्थापित तकनीकी महाविद्यालय	1.0	1.0	1.0
सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय के अलावा विशेषरूप से महिलाओं हेतु स्थापित तकनीकी महाविद्यालय	1.0	1.0	1.0
सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय के अलावा अन्य सभी तकनीकी महाविद्यालय	1.5	1.5	1.5
सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य

2.2.3.3 राज्य सरकार की नीति

नये महाविद्यालय खोलने और विद्यमान महाविद्यालयों की सम्बद्धता के विस्तार हेतु आवेदनों पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की नीति के अनुरूप विचार किया जाएगा।

2.2.3.4 स्थल/स्थान का परिवर्तन

क) अनुमति हेतु शर्तें

किसी तकनीकी महाविद्यालय के जगह/स्थान परिवर्तन पर केवल उस स्थिति में विचार किया जाएगा यदि यह महाविद्यालय पहले से ही सम्बद्ध है।

ख) प्रक्रिया

1. स्थल/स्थान परिवर्तन की मांग करने वाला विद्यमान तकनीकी महाविद्यालय विनियमों के अनुसार सम्बद्धता विस्तार हेतु आवेदन करेगा।
2. आवेदन पर नये तकनीकी महाविद्यालय की सम्बद्धता प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। सभी विद्यमान पाठ्यक्रमों के संचालन के मानकों के अनुसार विनिर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा जगह/स्थान परिवर्तन की अनुमति दिये जाने की स्थिति में, विद्यमान महाविद्यालय में उपकरणों, पुस्तकालय और अन्य चल संपत्ति को नई जगह/स्थान पर स्थानान्तरित किया जाए और विद्यमान स्थान पर गतिविधियां की अनुमति को स्थगित कर दिया जाएगा।
4. स्थल/स्थान का परिवर्तन नये स्थान की अनुमति मिलने के बाद ही प्रभावी होगा।
5. आंशिक स्थानान्तरण की अनुमति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. नये स्थान की अनुमति मिलने पर, महाविद्यालय की सभी गतिविधियां आवश्यक रूप से नये स्थान पर की जायेगी।
7. इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन करने पर सम्बद्धता वापस ली जा सकती है और तकनीकी महाविद्यालय को अन्यत्र किसी भी स्थान पर इसके क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं होगी।
8. आवेदकों को नये तकनीकी महाविद्यालयों की सम्बद्धता प्राप्त करने की भांति ही सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। विद्यमान महाविद्यालय की स्थल/स्थान परिवर्तन की अनुमति मांगते समय निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा:
 - राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)।
 - विद्यमान महाविद्यालय के स्थल/स्थान परिवर्तन की अनुमति मांगने वाली सोसायटी/न्यास/कंपनी का संकल्प।

2.2.3.5 तकनीकी महाविद्यालय को बंद करना

क) अनुमति हेतु शर्तें

- तकनीकी महाविद्यालय को एक ही बार में पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा और प्रथम वर्ष के स्तर पर किसी आंशिक अथवा क्रमिक रूप से बंद किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। तथापि, क्रमशः प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में आगामी वर्षों का कार्यक्रम बंद हो जाएगा।
- तकनीकी महाविद्यालय के विरुद्ध कोई भी आरोप-पत्र दायर अथवा अदालती मामला/लें लंबित नहीं होने चाहिए।

ख) प्रक्रिया

उक्त महाविद्यालय को बंद करने के इच्छुक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तकनीकी महाविद्यालय, इसे बंद कराने हेतु विनियमों के अनुसार आवेदन करेगा।

एक विशेषज्ञ समिति, निम्नलिखित सत्यापित करने हेतु तकनीकी महाविद्यालय के स्थल का दौरा करेगी

- तकनीकी महाविद्यालय में पहले से अध्ययनरत छात्रों की स्थिति।
- तकनीकी महाविद्यालय में संकाय और कर्मचारियों की स्थिति।
- तकनीकी महाविद्यालय के अन्य कोई देयताएं।
- महाविद्यालय के विरुद्ध लंबित अदालती मामले और गंभीर आरोप, मानकों के उल्लंघन, रैगिंग के लंबित मामले।

विश्वविद्यालय से तकनीकी महाविद्यालय को बंद करने की अनुमति प्राप्त होने पर ही इसका बंद किया जाना प्रभावी होगा।

आवेदक को दौरे की वीडियो रिकॉर्डिंग हेतु प्रबंध करने होंगे और इंटरनेट सुविधा, कम्प्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर उपलब्ध कराने होंगे।

आवेदक को तकनीकी महाविद्यालय को बंद करने की अनुमति हेतु आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने होंगे। महाविद्यालय को बंद करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिये निम्नवत अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे।

- राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)।
- विद्यमान महाविद्यालय को बंद करने की इच्छुक सोसायटी/न्यास/कंपनी का संकल्प।

2.2.3.6

महिला तकनीकी महाविद्यालय का सह-शिक्षा तकनीकी महाविद्यालय में परिवर्तन

क) पात्रता

तकनीकी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक विद्यमान तकनीकी महाविद्यालय होना चाहिए।

ख) अनुमति हेतु शर्तें/दस्तावेज

- सक्षम प्रवेश प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि लगातार तीन वर्षों से प्रवेश स्वीकृत दाखिले के 40% से कम हैं।
- सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा लगातार पिछले तीन वर्षों में छात्रों के वास्तविक प्रवेश के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- महिला तकनीकी महाविद्यालय के सह-शिक्षा तकनीकी महाविद्यालय में परिवर्तन हेतु सोसायटी/न्यास/कंपनी का संकल्प।
- राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- मानकों के अनुसार सह-शिक्षा तकनीकी महाविद्यालय हेतु अतिरिक्त धनराशि जमा की जाए।
- विनियमों के अनुसार भूमि संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाए।

ग) प्रक्रिया

महिला महाविद्यालय को सह-शिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तित करवाने के इच्छुक तकनीकी महाविद्यालय को विनियमों के अनुसार सम्बद्धता के विस्तार हेतु भी आवेदन करना होगा।

2.2.4 संवीक्षा समिति द्वारा आवेदन का मूल्यांकन

2.2.4.1 आवेदनों का मूल्यांकन विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् (अथवा किसी अन्य नाम से पहचाने जाने वाली) द्वारा गठित एक संवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

2.2.4.2 विश्वविद्यालय का एक अधिकारी, समिति की सहायता करेगा और संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों को समिति के समक्ष रखेगा तथा बैठकें आयोजित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा। तथापि, वह समिति का अंग नहीं होगा।

2.2.4.3 निरीक्षण समिति, सभी आवेदकों को उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करेगी। आवेदक, संवीक्षा कार्यक्रम का पालन करेंगे और संवीक्षा हेतु अनुपस्थित नहीं होंगे।

यदि आवेदक संवीक्षा हेतु अनुपस्थित रहते हैं, तो, किसी भी परिस्थिति में, उनके आवेदनों/प्रस्तावों पर संवीक्षा हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदक, संवीक्षा के समय अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे।

2.2.4.4 संवीक्षा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, कमियों, यदि कोई हों तो, को वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदक सोसायटी/न्यास/कंपनी को सूचित किया जाएगा।

2.2.4.5 जिन आवेदकों को संवीक्षा स्तर पर कमियों के बारे में सूचित किया जाएगा, वे अस्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अपील हेतु आवेदन करेंगे।

2.2.4.6 जो आवेदन सभी प्रकार से सही पाये जाएंगे उन पर संवीक्षा समिति आगे कार्यवाही करेगी।

2.2.4.7 मूल दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियों को समिति द्वारा अपने अधिकार में रखा जाएगा।

- 2.2.4.8 जिन आवेदकों को संवीक्षा समिति द्वारा विशेषज्ञ समिति के दौरे हेतु अनुशासित किया जायेगा, उन्हें विशेषज्ञ समिति के दौरे की तिथि की जानकारी दी जाएगी।

2.2.5 विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदन का मूल्यांकन

- 2.2.5.1 विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति निम्नवत सत्यापित करने हेतु तकनीकी महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित परिसरों का दौरा करेगी:

- परिशिष्ट 4 के संदर्भ में पूर्ण तैयारी अर्थात् तकनीकी महाविद्यालय हेतु शिक्षण, प्रशासनिक और सुविधा क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं।
- परिशिष्ट 5 के संदर्भ में पूर्ण तैयारी अर्थात् तकनीकी महाविद्यालय हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रयोगशाला उपकरणों और पुस्तकों, पत्रिकाओं, पुस्तकालय सुविधाएं।
- परिशिष्ट 6 के संदर्भ में पूर्ण तैयारी अर्थात् तकनीकी महाविद्यालय हेतु आवश्यक और वांछनीय अपेक्षाएं।
- विश्वविद्यालय द्वारा विहित मानकों, स्तरों और शर्तों के संबंध में प्राचार्य और संकाय की नियुक्ति के संबंध में प्रगति।

- 2.2.5.2 विशेषज्ञ समिति, तकनीकी महाविद्यालय की वास्तविक और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सत्यापन करेगी।

- 2.2.5.3 विश्वविद्यालय का एक अधिकारी समिति की सहायता करेगा और विशेषज्ञ समिति का दौरा आयोजित करने हेतु आवश्यक प्रबंध करेगा। तथापि, वह समिति का अंग नहीं होगा।

- 2.2.5.4 विशेषज्ञ समिति, संवीक्षा समिति की रिपोर्ट का अवलोकन कर सकेगी।

- 2.2.5.5 विशेषज्ञ समिति उपकरणों, कम्प्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, पुस्तक शीर्षकों, पुस्तक खंडों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ई-पत्रिकाओं के सब्सक्रिप्शन की वास्तविक उपलब्धता को सत्यापित करेगी। बिना वास्तविक उपलब्धता के सब्सक्रिप्शन आदि के क्रयादेशों/भुगतान अभिलेखों को प्रस्तुत करने मात्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 2.2.5.6 विशेषज्ञ समिति, वास्तविक अवसंरचना के दौरे के संबंध में परिशिष्ट 13 के अनुसार मूल दस्तावेजों और परिशिष्ट 14 के अनुसार वीडियो का सत्यापन भी करेगी।

- 2.2.5.7 आवेदक महाविद्यालय, विशेषज्ञ समिति की पूरी कार्यवाही की तिथि और समय के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेगा, जोकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का भाग होगा।

- 2.2.5.8 विशेषज्ञ समिति, विश्वविद्यालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी:

- निर्धारित प्रारूप में अपने दौरे की रिपोर्ट।
- सभी दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां।
- विशेषज्ञ समिति के दौरे की वीडियो रिकॉर्डिंग।
- दौरे के दौरान उपस्थित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों और आवेदक सोसायटी/न्यास के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित/डिजिटल रूप से प्रमाणिक उपस्थिति पत्र।

2.2.6 वित्तीय प्रतिमानक

- 2.2.6.1 किसी तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना के मामले में कुल राशि की गणना प्रत्येक आवेदन किये गये कार्यक्रम हेतु निर्धारित राशि को जोड़कर की जाएगी।

तकनीकी महाविद्यालय द्वारा जमा की गई राशि कम से कम 10 वर्षों तक विश्वविद्यालय के पास रहेगी, जिसे विनियमों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

इस जमा की गई राशि पर प्रोद्भूत ब्याज विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा।

- 2.2.6.2 अवधि के समाप्त होने पर मूल राशि को सोसायटी/न्यास/कंपनी को लौटा दिया जाएगा। तथापि, जमा राशि की अवधि को ऐसी अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता जिसका निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा और/अथवा मानकों, शर्तों और अपेक्षाओं के किसी उल्लंघन के मामले में और/अथवा तकनीकी महाविद्यालय द्वारा गैर-निष्पादन और/अथवा तकनीकी महाविद्यालय के विरुद्ध शिकायतों के मामले में जब्त की जा सकती है।

2.2.7 सम्बद्धता प्रदान करना

- 2.2.7.1 अस्थायी सम्बद्धता जारी करने अथवा अन्यथा हेतु विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को आगे की कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के समक्ष रखा जाएगा।
- 2.2.7.2 विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद कार्यकारी परिषद्, अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने अथवा अन्यथा हेतु अपनी बैठक में अंतिम निर्णय लेगी।
- 2.2.7.3 आगे, कार्यकारी परिषद् के निर्णय के आधार पर, विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अस्थायी सम्बद्धता का पत्र अथवा अस्वीकृति का पत्र जारी किया जाएगा।
- 2.2.7.4 अस्थायी सम्बद्धता के पत्र की वैधता, यदि कोई जारी किया गया हो, तो पत्र के जारी करने की तिथि से दो शैक्षणिक वर्षों तक होगी।
- 2.2.7.5 महाविद्यालय द्वारा एनएएससी/एनबीए से प्रत्यायन प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जा सकता है।

2.2.8 नये सम्बद्ध तकनीकी महाविद्यालय में प्राचार्य और अध्यापन कर्मचारियों की नियुक्ति

- 2.2.8.1 सम्बद्धता का पत्र पाने वाले नये तकनीकी महाविद्यालय और नये कार्यक्रम(II) को आरंभ करने हेतु सम्बद्धता पाने वाले विद्यमान तकनीकी महाविद्यालय, अध्यापन कर्मचारियों और प्राचार्य की नियुक्ति हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के न्यूनतम योग्यता और वेतनमानों आदि संबंधी विनियमों और अन्य तकनीकी सहायक कर्मचारियों तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा विहित अनुसूची का पालन करेंगे।

तकनीकी महाविद्यालय कड़ाई से अनुपालन करते हुए सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संबंधित राज्य सरकार की प्रक्रियाओं और पद्धतियों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सहायक तकनीकी तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे।

कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी को निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

किसी भी स्थिति में, जब तक समस्त अध्यापन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती है, तब तक तकनीकी महाविद्यालय पाठ्यक्रमों को आरंभ नहीं करेंगे।

2.2.9 अपील की प्रक्रिया

संवीक्षा स्तर पर अस्वीकृत किये गये आवेदनों हेतु अपील दायर करने और कार्यकारी परिषद् (अथवा किसी अन्य नाम से पहचाने जाने वाली) द्वारा गठित स्थायी अपील समिति द्वारा मूल्यांकन करने की प्रक्रिया

- 2.2.9.1 तकनीकी महाविद्यालय, यदि विश्वविद्यालय द्वारा अपने सम्बद्धता आवेदन पर संवीक्षा स्तर पर लिए निर्णय से क्षुब्ध हो तो, वह अपील के तथ्यों और आधारों का उल्लेख करते हुए, विश्वविद्यालय के पत्र/आदेश/निर्णय प्राप्त होने की तिथि के 15 दिनों की अवधि के भीतर एक अपील दायर कर सकता है।

बशर्ते आगे कि, इस प्रावधान के प्रयोजनार्थ, पत्र की हस्ताक्षरित हार्डकॉपी के मामले में, जानकारी प्रदान किये जाने की तिथि, को विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई ऐसी जानकारी की प्राप्ति की तिथि माना जाएगा और ई-मेल अथवा पोर्ट मैसेजिंग सर्विस (एसएमएस) अथवा फ़ैक्स के माध्यम से निर्णय की जानकारी प्रदान किये जाने के मामले में, जानकारी भेजने की तिथि को विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी भेजे जाने की तिथि माना जायेगा।

तकनीकी महाविद्यालय की अपील पर स्थायी अपील समिति द्वारा सामान्यतः अपील प्राप्त होने की तिथि के 15 दिनों के अंदर विचार किया जाएगा। स्थायी अपील समिति, अपील के विचार हेतु अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार कर सकती है।

स्थायी अपील समिति द्वारा निर्णय लिये जाने के 10 दिन की अवधि के भीतर स्थायी अपील समिति के निर्णय की जानकारी दी जायेगी और समिति के ऐसे निर्णय और तिथि सहित तत्संबंधी जानकारी को समिति की आगामी बैठक में विश्वविद्यालय के सूचनार्थ रखा जायेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा अपील की सुनवाई की अनुसूची को अधिसूचित किया जाएगा।

- 2.2.9.2 आवेदकों को स्थायी अपील समिति की अनुसूची का अनुसरण करने और अपील हेतु अनुपस्थित ना रहने का परामर्श दिया जाए।

यदि आवेदक अपील हेतु अनुपस्थित रहता है, तो किसी भी परिस्थितियों में, उसके आवेदन/प्रस्ताव पर स्थायी अपील समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे तकनीकी महाविद्यालय, यदि वे चाहें, तो अगले शैक्षणिक सत्र हेतु नये सत्र से आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे तकनीकी महाविद्यालय, जो चाहे किसी भी कारण से अनुपस्थित रहे हों, वो अन्य कोई अपील करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

- 2.2.9.3 विश्वविद्यालय का एक अधिकारी स्थायी अपील समिति के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत करेगा। तकनीकी महाविद्यालय के एक प्रतिनिधि को स्थायी अपील समिति के विचारार्थ तकनीकी महाविद्यालय का दृष्टिकोण रखने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- 2.2.9.4 स्थायी अपील समिति, सोसायटी/न्यास/कंपनी द्वारा किए गए दावों के सत्यापन हेतु अपने विवेक से पुनःसंवीक्षा करने की अनुमति कर सकती है।
- 2.2.9.5 पुनःसंवीक्षा के समय स्थायी अपील समिति, मानकों और मानदण्डों के अनुसार केवल संवीक्षा समिति द्वारा बताई गई कमियों का ही सत्यापन करेगी।
- 2.2.9.6 पुनःसंवीक्षा समिति द्वारा सभी प्रकार से सही पाये गये आवेदनों पर प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी।
- 2.2.9.7 पुनःसंवीक्षा समिति की रिपोर्ट, यदि सही नहीं पाई जाती है, तो सक्षम अधिकारी की टिप्पणियों के साथ समीक्षा हेतु स्थायी अपील समिति के समक्ष रखी जाएगी और तत्पश्चात् विचार हेतु विश्वविद्यालय के समक्ष रखी जायेगी।
- 2.2.9.8 अस्वीकृति पत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 2.2.9.9 प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के मामले में, आवेदक, विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित नए सत्र से आवेदन कर सकता है।

2.2.10 अपील प्रस्तुत करने तथा स्थायी अपील समिति द्वारा मूल्यांकन करने की प्रक्रिया

- 2.2.10.1 तकनीकी महाविद्यालय, यदि विश्वविद्यालय द्वारा अपने सम्बद्धता आवेदन पर संवीक्षा स्तर पर लिए निर्णय से क्षुब्ध हो तो, वह अपील के तथ्यों और आधारों का उल्लेख करते हुए, विश्वविद्यालय के पत्र/आदेश/निर्णय प्राप्त होने की तिथि के 15 दिनों की अवधि के भीतर एक अपील दायर कर सकता है।

बशर्ते आगे कि, इस प्रावधान के प्रयोजनार्थ, पत्र की हस्ताक्षरित हार्डकॉपी के मामले में, जानकारी प्रदान किये जाने की तिथि, को विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई ऐसी जानकारी की प्राप्ति की तिथि माना जाएगा और ई-मेल अथवा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस (एसएमएस) अथवा फ़ैक्स के माध्यम से निर्णय की जानकारी प्रदान किये जाने के मामले में, जानकारी भेजने की तिथि को विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी भेजे जाने की तिथि माना जायेगा।

- 2.2.10.2 तकनीकी महाविद्यालय की अपील पर स्थायी अपील समिति द्वारा सामान्यतः अपील प्राप्त होने की तिथि के 15 दिनों के अंदर विचार किया जाएगा और अपील पर विचार करने के प्रयोजनार्थ, स्थायी अपील समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार कर सकती है।
- 2.2.10.3 स्थायी अपील समिति द्वारा निर्णय लिये जाने के 10 दिन की अवधि के भीतर स्थायी अपील समिति के निर्णय की जानकारी दी जायेगी और स्थायी अपील समिति के ऐसे निर्णय और तिथि सहित तत्संबंधी जानकारी को समिति की आगामी बैठक में विश्वविद्यालय के सूचनार्थ रखा जायेगा।
- 2.2.10.4 विश्वविद्यालय द्वारा अपील अनुसूची को अधिसूचित किया जाएगा।
- 2.2.10.5 आवेदकों को स्थायी अपील समिति की अनुसूची का अनुसरण करने और अपील हेतु अनुपस्थित ना रहने का परामर्श दिया जाए।

यदि आवेदक अपील हेतु अनुपस्थित रहता है, तो उक्त शैक्षणिक वर्ष में समय की बाध्यता के मद्देनजर, किसी भी परिस्थिति में, उसके आवेदन/प्रस्ताव पर स्थायी अपील समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और यदि ऐसे तकनीकी महाविद्यालय चाहें तो अगले शैक्षणिक सत्र हेतु नये सत्र से आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे तकनीकी महाविद्यालय, जो चाहे किसी भी कारण से अनुपस्थित रहे हों, वो अन्य कोई अपील करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

- 2.2.10.6 विश्वविद्यालय का एक अधिकारी स्थायी अपील समिति के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत करेगा। तकनीकी महाविद्यालय के एक प्रतिनिधि को स्थायी अपील समिति के विचारार्थ तकनीकी महाविद्यालय का दृष्टिकोण रखने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

- 2.2.10.7 स्थायी अपील समिति अपने दौरा करने के चरण के उपरान्त आवेदक सोसायटी न्यास/कंपनी द्वारा किये गये दावे के सत्यापन हेतु अपने विवेकानुसार, जैसा भी मामला हो, विशेषज्ञ समिति के दौरे की सिफारिश कर सकती है अथवा अपील को अस्वीकार कर सकती है।
- 2.2.10.8 स्थायी अपील समिति द्वारा सिफारिश किये जाने पर विशेषज्ञ समिति, विद्यमान मानकों के अनुसार किसी नये तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना/कार्यक्रम को आरंभ किये जाने के संबंध में सभी अपेक्षाओं का सत्यापन करेगी।
- यह रिपोर्ट पूर्ववर्ती विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्ट पर अभिभावी होगी।
- 2.2.10.9 विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की समीक्षा हेतु स्थायी अपील समिति के समक्ष रखा जाएगा और तत्पश्चात् विचार हेतु विश्वविद्यालय के समक्ष रखा जायेगा।
- 2.2.10.10 तथापि, यदि विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों में भिन्नता पाई जाती हैं, तो विश्वविद्यालय द्वारा उन पर विचार-विमर्श किया जाएगा और विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा तथा तकनीकी महाविद्यालय पर बाध्यकारी होगा।
- 2.2.10.11 विचार-विमर्श के आधार पर, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्बद्धता पत्र अथवा अस्वीकृति पत्र जारी करने की सिफारिश कर सकता है।
- 2.2.10.12 प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के मामले में, आवेदक नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

2.2.11 आवेदनों को संसाधित किये जाने हेतु समय-सारणी

सम्बद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय, समय-समय पर आवेदनों की प्राप्ति और तत्संबंध को संसाधित किये जाने सहित विभिन्न प्रयोजनार्थ अन्तिम तिथियों संबंधी एक सार्वजनिक सूचना को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कर तथा विश्वविद्यालय के वेब-पोर्टल पर अपलोड कर अधिसूचित करेगा। सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित समय-सारणी, अंतिम और बाध्यकारी होगी।

आवेदन प्ररूप जमा करने की अंतिम तिथि का अर्थ इस प्रयोजनार्थ समय-सारणी में यथा उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद आवेदन और भुगतान पर्यी प्रस्तुत नहीं करना होगा।

3. निम्नवत हेतु विहित आवेदन प्ररूप के माध्यम से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु मानक एवं प्रक्रियाएं:

- विद्यमान महाविद्यालय हेतु सम्बद्धता का विस्तार।
- विद्यमान पाठ्यक्रम(ों) में दाखिले में बढ़ोत्तरी/कमी।
- विद्यमान कार्यक्रम(ों) में पाठ्यक्रम(ों) सम्मिलित करना।
- कार्यक्रम(ों)/पाठ्यक्रम(ों) को बंद करना।
- अनुशिक्षण शुल्क माफी(टीएफडब्ल्यू) हेतु अधिसंख्य सीटों का अनिवार्य प्रावधान करना।
- भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना/बंद करना।
- अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के पुत्रों/पुत्रियों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना/बंद करना।
- महाविद्यालय के नाम में परिवर्तन।
- द्वितीय पाली कार्यक्रम।
- अंशकालिक कार्यक्रम।

3.1 उपरोक्त उद्देश्यों हेतु, विश्वविद्यालय नीचे रेखांकित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

3.1.1 परिचय

- 3.1.1.1 तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता की विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक तकनीकी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम नहीं चलाएंगे।
- 3.1.1.2 स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम प्रदान करने वाला प्रत्येक तकनीकी महाविद्यालय, प्रत्येक वर्ष, तकनीकी महाविद्यालय द्वारा पेशकश किये जा रहे पाठ्यक्रम(ों) की सम्बद्धता के विस्तार हेतु विश्वविद्यालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा,

बशर्ते कि, प्रत्यायित पाठ्यक्रम(ों) के मामले(ों) में, ऐसे पाठ्यक्रम(ों) की सम्बद्धता की अवधि प्रत्यायन की समस्त अवधि के लिये होगी, जबतक कि सम्बद्धता की अवधि का विनिर्धारण समय पूर्व न किया गया हो अथवा

विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में समुचित कारण बताओ सूचना जारी करने के बाद इसे कम न कर दिया गया हो।

बशर्ते आगे कि सम्बद्धता प्रत्यायन की समस्त अवधि हेतु प्रदान की गई है, तथापि, तकनीकी महाविद्यालय, प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय को सम्बद्धता के विस्तार हेतु आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय द्वारा सभी मानकों का पूर्ण किये जाने के संबंध में निगरानी करेगा और इन्हें पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में, विश्वविद्यालय इन विनियमों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ करेगा।

3.1.2. आवेदन प्रस्तुत किया जाना

3.1.2.1 विद्यमान तकनीकी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुरोध करेंगे।

3.1.2.2 महाविद्यालय निम्नलिखित हेतु विश्वविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है:

- क. विद्यमान तकनीकी महाविद्यालय की सम्बद्धता का विस्तार।
- ख. विद्यमान पाठ्यक्रम(ों) में दाखिले में बढ़ोत्तरी/कमी।
- ग. विद्यमान कार्यक्रम(ों) में पाठ्यक्रम(ों) को जोड़ना।
- घ. कार्यक्रम(ों)/पाठ्यक्रम(ों) को बंद करना।
- ड. अनुशिक्षण शुल्क माफी(टीएफडब्ल्यू) हेतु अधिसंख्य सीटों का अनिवार्य प्रावधान।
- च. भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) हेतु अधिसंख्य सीटों आरंभ करना/जारी रखना/बंद करना।
- छ. अनिवासी भारतीयों के पुत्रों/पुत्रियों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना/बंद करना।
- ज. तकनीकी महाविद्यालय के नाम का परिवर्तन।

3.1.2.3 विश्वविद्यालय को प्रक्रिया शुल्क का भुगतान इन विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

3.1.3 नीचे उल्लिखित मानकों और स्तरों को पूरा करने वाले तकनीकी महाविद्यालय निम्नानुसार कार्यक्रम(ों) के आवंटन के पात्र होंगे।

- 3.1.3.1 क. सभी तकनीकी महाविद्यालय डिवीजन/शिक्षा कार्यक्रम/स्तर की परिभाषा के अंतर्गत अधिकतम दो डिवीजन (अथवा दो परिवर्तनों) हेतु पात्र होंगे।
- ख. प्रथम पाली में प्रति स्तर, प्रति कार्यक्रम एक पाठ्यक्रम को 3.1क के अतिरिक्त मात्र प्रत्यायन प्राप्त करने के कारण जोड़ा जा सकता है।
- ग. किसी विद्यमान महाविद्यालय में विभाजन(ों) के रूप में चल रहे कार्यक्रम(ों) में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की जायेगी।
- घ. किसी तकनीकी महाविद्यालय/सोसायटी/न्यास/कंपनी अथवा इनसे जुड़े किसी सदस्य, पर यदि आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उनके दोषमुक्त सिद्ध होने तक सम्बद्धता के विस्तार हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- ड. तकनीकी महाविद्यालयों के स्तर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी जहां कोई एफआईआर/सीबीआई/सीवीसी/अन्य किसी अन्य जांच एजेन्सी/रैगिंगरोधी/विश्वविद्यालय द्वारा किन्हीं मानकों और स्तरों के उल्लंघन हेतु दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ की गई हो और जांच लंबित हो।
- ऐसे तकनीकी महाविद्यालयों के आवेदन को विश्वविद्यालय की एक प्राधिकृत समिति के माध्यम से संसाधित किया जायेगा और इसकी रिपोर्ट को सम्बद्धता पत्र अथवा अस्वीकृति पत्र को जारी करने की अगली प्रक्रिया हेतु विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाएगा।

अस्वीकृत किए जाने के मामले में, आवेदक एक अपील दायर करेगा जिसे अनुवर्ती कार्यवाही हेतु स्थायी अपील समिति के समक्ष रखा जायेगा।

3.1.3.2 संबद्धता प्रदान किया जाना, आवेदन में यथा प्रस्तुत अपेक्षित सुविधाओं तथा अवसंरचनात्मक उपलब्धता की स्वघोषणा पर आधारित है।

प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष निष्पादित शपथ पत्र जमा किया जायेगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि तकनीकी महाविद्यालय में इस विनियम में अपेक्षित सुविधाएं तथा अवसंरचनाएं मौजूद हैं जिसके न होने पर विश्वविद्यालय द्वारा लागू विनियमों के अनुसार दिवानी और/अथवा फौजदारी दोनों उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3.1.3.3 तकनीकी महाविद्यालय द्वारा पेशकश किए जाने वाले प्रस्तावित स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधियों हेतु विविध आवेदनों को संसाधित किये जाने का शुल्क निम्नवत होगा:—

स्थान का स्वरूप	संबद्धता का विस्तार		दाखिले में वृद्धि/प्रथम और/अथवा द्वितीय पाली में अतिरिक्त दाखिले	आंशकालीन/द्वितीय पाली को आरंभ किया जाना	पीआईओ सीटों को आरंभ किया जाना अथवा जारी रखना	एनआरआई सीटों को आरंभ किया जाना अथवा जारी रखना	दाखिले में कमी/पाठ्यक्रम को बंद करना	संस्थान के नाम में परिवर्तन
	संबद्धता का विस्तार	विलम्ब शुल्क की राशि						
अल्पसंख्यक संस्थान	0.75	2.0	0.75	2.0	2.0	2.0	0.75	0.75
उत्तर-पूर्व के राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित संस्थान	0.75	2.0	0.75	2.0	2.0	2.0	0.75	0.75
विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए स्थापित संस्थान	0.75	2.0	0.75	2.0	2.0	2.0	0.75	0.75
अन्य सभी संस्थान	1.0	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0
सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय	शून्य	2.0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3.1.3.4 उपरोक्त शुल्क, बढ़ाये जाने/बंद किये जाने हेतु डिवीजनों/पाठ्यक्रमों की संख्या को ध्यान न रखते हुए लागू होंगे।

3.1.3.5 अनुसूची में यथा उल्लिखित अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व संबद्धता को विस्तार दिए जाने हेतु आवेदन जमा करना अनिवार्य है।

3.1.4 संबद्ध तकनीकी महाविद्यालय मौजूदा कार्यक्रम में प्रथम और/अथवा द्वितीय पाली में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों/डिवीजनों को जोड़ कर निम्नवत हेतु अपने क्रियाकलापों को विस्तार दे सकता है:—

- तकनीकी रूप से कुशल कर्मियों हेतु मांग में वृद्धि।
- तकनीकी महाविद्यालयों में उपलब्ध अवसंरचना के उपयोग में वृद्धि।
- तकनीकी महाविद्यालयों में उपलब्ध अवसंरचना के उपयोग में वृद्धि कर जनसाधारण हेतु लागत प्रभावी शिक्षा को सुकर बनाना।
- स्नातकोत्तर शिक्षा को अपनाने के लिये संकाय को सक्षम बनाना।

- भिन्न-भिन्न समय उपलब्ध करवा कर छात्र को पूर्णकालिक तकनीकी शिक्षा में नामांकन प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।

3.1.5 पाठ्यक्रमों/डिवीजनों को आरंभ करने हेतु आवेदनों पर इन विनियमों के अनुसार एवं शून्य त्रुटि की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा।

3.1.6 डिप्लोमाधारी तथा विज्ञान विषय में स्नातक छात्रों को अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के द्वितीय वर्ष में दाखिला देने के लिये पृथक डिवीजन, निम्नवत शर्तों के साथ अनुमेय होगी।

इस डिवीजन जिस पर उपखण्ड 3.1(क) के एक भाग के रूप में विचार किया गया है, ऐसे पाठ्यक्रमों में अनुमेय होगी जो तकनीकी महाविद्यालयों में पहले से ही उपलब्ध हैं।

- इस डिवीजन पर विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु उपबंध लागू नहीं होंगे।
- पार्श्विक प्रवेश अधिसंख्य सीट इस डिवीजन पर लागू नहीं होगी।
- इन सीटों हेतु प्रवेश प्रक्रिया पर संबंधित राज्य/सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- तकनीकी महाविद्यालयों में कोई भी कमी नहीं होगी।

3.1.7 नाम में परिवर्तन, दाखिले में कमी/पाठ्यक्रम को बंद करने के मामले में दस्तावेजों का सत्यापन आवेदक, आवेदन प्ररूप के साथ निम्नवत दस्तावेज जमा करेगा:—

- राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र
- शासी निकाय का संकल्प

प्रक्रिया

- 1- संवीक्षा समिति दस्तावेज की सटीकता का सत्यापन करेगी।
- 2- यदि दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया जाता है तो विश्वविद्यालय आगे आवेदन पर विचार करेगा।
- 3- बंद किए गए कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की एवज में कोई नया कार्यक्रम/पाठ्यक्रम अथवा सीटों की संख्या में वृद्धि हेतु आवंटन नहीं किया जायेगा।

3.1.8 द्वितीय पाली में दाखिले के आवंटन और अनुमति हेतु प्रक्रिया

3.1.8.1 द्वितीय पाली में अतिरिक्त डिवीजनों हेतु अनुमति पर राज्य सरकार/संघ राज्य सरकार के मत के साथ और निम्नवत शर्तों को पूर्ण करने पर विचार किया जायेगा:—

तकनीकी महाविद्यालय में कोई कमी नहीं होगी।

द्वितीय पाली में स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कुल दाखिला निम्नवत शर्तों द्वारा शासित होगा।

- स्नातक पूर्व स्तर पर एक डिवीजन अथवा किसी भी मौजूदा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन; और/अथवा
- स्नातकोत्तर स्तर पर दो डिवीजन अथवा किसी भी मौजूदा पाठ्यक्रम में परिवर्तन; और/अथवा

उपरोक्त के बावजूद, कोई भी तकनीकी महाविद्यालय, द्वितीय पाली में प्रथम/सामान्य पाली के कुल दाखिले के 50 प्रतिशत से अधिक दाखिले देने हेतु अर्हक नहीं होगा।

द्वितीय पाली के कार्यक्रमों हेतु किसी भी अधिसंख्य सीटों का आवंटन नहीं किया जायेगा।

3.1.8.2

(i) द्वितीय पाली में विश्वविद्यालय में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार अनिवार्यतया विशिष्ट शिक्षण कर्मचारिवृंदों की आवश्यकता होगी। इसमें अपेक्षित पदों पर पृथक तकनीकी, प्रशासनिक तथा सहायक कर्मचारिवृंद भी होंगे।

(ii) विशेष रूप से, स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिये आवश्यक अतिरिक्त प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद तथा उपलब्धता, मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) द्वितीय पाली के समग्र कार्यकरण की देखरेख करने के लिए द्वितीय पाली में आचार्य स्तर के संकायाध्यक्ष का होना अनिवार्य है।

(iv) प्रथम/सामान्य पाली में चलाये जा रहे पाठ्यक्रम की अनुरूपता के अधधीन ही द्वितीय पाली में किसी कार्यक्रम का पाठ्यक्रम संबद्ध होगा।

3.1.9 अंशकालिक कार्यक्रमों हेतु अनुमति की प्रक्रिया

3.1.9.1 अंशकालिक का अभिप्राय जहां कहीं भी प्रथम/सामान्य पाली मौजूद हो वहां सांध्यकाल अर्थात् 5.30 से 9.30 बजे (सप्ताह में छह दिन) चलाए जाने वाले क्रियाकलाप से है।

अंशकालिक कार्यक्रम केवल ऐसे कार्यरत पेशेवरों अथवा पेशेवरों के लिए होगा जिन्हें कम से कम दो वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो।

3.1.9.2 उद्देश्य

ऐसे कार्यरत पेशेवरों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु महसूस की गई आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये तकनीकी महाविद्यालयों को सुविधा प्रदान करना जो किसी कारणवश अपने कैरियर के पूर्वार्द्ध में औपचारिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने से चूक गए हों तथा इसे पूर्ण करने के इच्छुक हों।

कार्यरत कर्मियों के कौशल में वृद्धि कर उनकी योग्यता, सक्षमता को बढ़ाने हेतु एक अवसर प्रदान करना।

3.1.9.3 आवश्यकता

1. तकनीकी रूप से कुशल कर्मियों हेतु मांग में वृद्धि करना।
2. मौजूदा तकनीकी महाविद्यालयों में उपलब्ध अवसंरचना के उपयोग में वृद्धि करना।
3. तकनीकी महाविद्यालयों में उपलब्ध अवसंरचना के उपयोग में वृद्धि कर जनसाधारण हेतु लागत प्रभावी शिक्षा को सुकर बनाना।
4. स्नातकोत्तर शिक्षा को अपनाने के लिये संकाय को सक्षम बनाना।
5. भिन्न-भिन्न समय उपलब्ध करवा कर छात्र को पूर्णकालिक तकनीकी शिक्षा में नामांकन प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।

3.1.9.4 अंशकालिक पाठ्यक्रम की अवधि

संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के संगत नियमों तथा पाठ्यक्रम के अनुसार।

3.1.9.5 शैक्षणिक ढांचा

1. पाठ्यचर्या, पूर्णकालिक कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम के अनुरूप तथा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित होगा।
2. उद्योग कौशल में वृद्धि करने के लिए, अतिरिक्त रूप से कम से कम 45 दिनों के उपर्युक्त स्तर पर एक उद्योग आधारित प्रत्यक्ष अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
3. इसमें कम से कम सत्तर कार्य घंटों की अपेक्षा के साथ एक वृहद परियोजना भी होगी जिसे अंततः एक लघु शोध प्रबंध माना जाएगा।

3.1.9.6 अंशकालिक कार्यक्रमों में दाखिले हेतु अनुमति एवं आवंटन की प्रक्रिया

1. अंशकालिक कार्यक्रम(ों) हेतु अनुमति पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के मत और निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यक्षीय विचार किया जाएगा।
 2. तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी महाविद्यालय में कोई कमी नहीं होगी।
 3. अंशकालिक तकनीकी कार्यक्रमों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर का सभी दाखिले निम्नानुसार शासित होंगे:
 - स्नातकपूर्व स्तर पर मौजूदा किसी एक पाठ्यक्रम में एक डिवीजन अथवा परिवर्तन; और/अथवा
 - स्नातकोत्तर स्तर पर मौजूदा किसी एक पाठ्यक्रम में दो डिवीजन अथवा परिवर्तन; और/अथवा
 उपरोक्त के रहते हुए भी, अंशकालिक कार्यक्रम(ों) में, कोई भी तकनीकी महाविद्यालय प्रथम/सामान्य पाली के कुल दाखिले के 50% से अधिक दाखिले देने हेतु पात्र नहीं होगा।
- अंशकालिक कार्यक्रम(ों) में किसी अधिसंख्य सीटों का आवंटन नहीं किया जाएगा।

3.1.9.7 प्रवेश हेतु उम्मीदवार की योग्यता

1. अन्य सभी कार्यक्रम(ों) हेतु, संगत कार्यक्रम में डिप्लोमा धारक उम्मीदवार ही योग्य है।
2. तथापि, इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास संगत क्षेत्र, जिसमें वह प्रवेश चाहता हो, में किसी पंजीकृत फर्म/कंपनी/उद्योग/शैक्षणिक और/अथवा अनुसंधान तकनीकी महाविद्यालय/किसी सरकारी विभाग/सरकारी स्वायत्त संगठन में कम से कम दो वर्ष का पूर्णकालिक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

3. नियोक्ता द्वारा यह उल्लेख करते हुए एक पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु उम्मीदवार को प्रायोजित किया जा रहा है। नियोक्ता को यह भी इंगित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम पूरा होने से पूर्व अभ्यर्थी को बीच में वापिस नहीं बुलाया जाएगा।

3.1.9.8 आवंटन हेतु नियम

1. इन विनियमों के परिशिष्ट 7 और 8 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप अंशकालिक शिक्षण हेतु अनिवार्य रूप से विशिष्ट अध्यापन कर्मचारिवृंद होंगे। इसके लिए, अपेक्षित पदों पर अलग से तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी होंगे।
2. विशेषरूप से स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु आवश्यक अतिरिक्त प्रयोगशाला उपकरण मानकों के अनुसार खरीदे जाएंगे और उपलब्ध कराए जाएंगे।
3. अंशकालिक कार्यक्रम के समस्त कार्यकरण की निगरानी हेतु अंशकालिक कार्यक्रम(ि) में आचार्य के स्तर पर संकायाध्यक्ष की नियुक्ति अनिवार्य होगी।
4. केवल उन्हीं अंशकालिक कार्यक्रम(ि) को चलाने को अनुमोदित किया जाएगा जिन्हें प्रथम/सामान्य पाली में चलाया जा रहा है।
5. पहले से ही द्वितीय पाली में चल रहे किसी भी अंशकालिक पाठ्यक्रम(ि) को संस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

3.1.9.9 संकाय संबंधी अपेक्षाएं

1. सामान्य पाली के 50% संकाय को सांध्यकालीन पाली हेतु सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।
2. प्रत्येक अंशकालिक पाठ्यक्रम हेतु 20% मुख्य कर्मचारियों अर्थात् कम से कम एक सह-आचार्य और दो सहायक आचार्यों की नियुक्ति की जाएगी।
3. 30% संकाय को नजदीकी उद्योगों/अनुसंधान एवं विकास संगठनों/सरकारी तकनीकी महाविद्यालयों से अतिथि संकाय के रूप में लगाया जा सकता है।

3.1.10 विश्वविद्यालय उपरोक्त यथा विहित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन तकनीकी महाविद्यालयों में दूसरी पाली में कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/डिवीजनों को चलाने की अनुमति प्रदान करेगा।

3.1.11 अनुशिक्षण शुल्क माफी योजना (टीएफडब्ल्यू)

3.1.11.1 परिचय

- क. यह योजना तीन/चार वर्ष की अवधि के स्नातक कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले सभी सम्बद्ध तकनीकी महाविद्यालयों पर लागू होगी।
- ख इनमें प्रवेश हेतु प्रति पाठ्यक्रम संस्वीकृत दाखिले की क्षमता के अधिकतम 5 प्रतिशत तक स्थान उपलब्ध होंगे। यह स्थान अधिसंख्या स्वरूप के होंगे।
- ग प्रवेश हेतु सक्षम प्राधिकारी, नियमित प्रवेश की ही भांति होंगे।
- घ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी तकनीकी महाविद्यालयों हेतु यह योजना अनिवार्य होगी।

3.1.11.2 अर्हता

- क. केवल वही छात्र इस योजना के अंतर्गत सीटों पर प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये से कम है।
- ख स्व-वित्तपोषित तकनीकी महाविद्यालयों हेतु राज्य स्तरीय शुल्क समिति और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालयों हेतु सरकार द्वारा यथा अनुमोदित शुल्क-माफी केवल अनुशिक्षण शुल्क तक ही सीमित है। अनुशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क का लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाना होगा।
- ग राज्य प्रवेश समिति इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करेगी, इस श्रेणी के लिए एक पृथक योग्यता सूची बनाएगी और इस प्रकार बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश देगी।

3.1.12 विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों/अनिवासी भारतीयों हेतु अधिसंख्या सीटों के कोटे को भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समय-समय पर उद्घोषित नीति के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।

4 निरनुमोदित महाविद्यालय

- 4.1 संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना कोई भी महाविद्यालय तकनीकी शिक्षा में कार्यक्रम(ि) और पाठ्यक्रम(ि) की पेशकश नहीं करेगा।

- 4.2 विश्वविद्यालय की विहित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना कोई महाविद्यालय तकनीकी शिक्षा की पेशकश करता है तो उसे निरनुमोदित महाविद्यालय माना जाएगा।
- 4.3 प्रत्येक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई और सत्यापित की गई सूचना के आधार पर तकनीकी शिक्षा में कार्यक्रम(ी)/पाठ्यक्रम(ी) की पेशकश करने वाले निरनुमोदित महाविद्यालयों की एक सूची का रख-रखाव करेगा और समय-समय पर इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आम जनता को भी सूचित करेगा।
- 4.4 ऊपर 4.2 में वर्गीकृत किए गए सभी निरनुमोदित महाविद्यालय, छात्रों के किसी भी उत्तरवर्ती बैच को प्रवेश देने से पहले इन विनियमों के विनियम 3 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कार्योत्तर अनुमति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 4.5 विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने से पूर्व जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उन्हें पुनःप्रवेश लेने कोई अधिकार नहीं होगा और उन्हें विश्वविद्यालय के सक्षम प्रवेश प्राधिकारी द्वारा प्रवेश हेतु यथा विहित सभी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।
- 4.6 विश्वविद्यालय द्वारा निरनुमोदित किसी अस्थायी स्थान पर तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम(ी)/कार्यक्रम(ी) चलाने वाले महाविद्यालय, चूककर्त्ता सोसायटी/न्यासों/कंपनियों/सहयोगी व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध विनियमों के अनुसार उन्हें बंद करने अथवा अन्य उचित कार्यवाही की जायेगी।
- 4.7 विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति प्रदत्त किसी भी उपाधि स्तर के पाठ्यक्रम(ी)/कार्यक्रम(ी) के अतिरिक्त, उसी परिसर में उन्हीं सुविधाओं का लाभ उठाते हुए कोई अन्य पाठ्यक्रम(ी)/कार्यक्रम(ी) नहीं चलाए जाएंगे।
- 4.8 विश्वविद्यालय, ऐसे दोषी महाविद्यालयों/सोसायटी/न्यास/कंपनियों/सहयोगी व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध उचित दण्डात्मक, दीवानी और/अथवा आपराधिक कार्यवाही आरंभ करेगा।

5. विनियमों के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही

- 5.1 इन विनियमों का उल्लंघन कर तकनीकी शिक्षा में किसी भी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम को चलाने वाले किसी भी महाविद्यालय के विरुद्ध दण्डात्मक दीवानी कार्यवाही सहित उचित कार्यवाही की जाएगी उदाहरण के लिए सम्बद्धता वापिस लेना, यदि कोई हो तो, और/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दोषी सोसायटी/न्यासों/कंपनियों/सहयोगी व्यक्तियों और/अथवा महाविद्यालय, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करना।
- 5.2 यदि कोई महाविद्यालय इन विनियम के किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो विश्वविद्यालय ऐसी जांच, जो इस संबंध में उचित प्रतीत हो, करने के पश्चात् और संबंधित महाविद्यालय को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, उपयुक्त विनियमों के अंतर्गत संबंधित महाविद्यालय/कार्यक्रम/पाठ्यक्रम से सम्बद्धता वापिस ले सकता है।
- 5.3 इस प्रकार से सम्बद्धता वापिस लिए जाने के मामले में, उक्त महाविद्यालय/कार्यक्रम/पाठ्यक्रम का संचालन, सम्बद्धता वापिस लिए जाने की तिथि से दो शैक्षणिक वर्ष पूरे होने से पूर्व दोबारा नहीं किया जाएगा।
- 5.4 जब भी किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता वापिस ली जाती है, तो उसकी बहाली इन विनियमों के विनियम 3 में यथा परिभाषित नये महाविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी।
- 5.5 महाविद्यालय, सम्बद्धता प्रदान करने अथवा सम्बद्धता के विस्तार हेतु प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रारूप में संलग्नकों के साथ सम्बद्धता समाप्त होने से पर्याप्त समय पूर्व सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तथापि, महाविद्यालय वार्षिक आधार पर एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- 5.6 सम्बद्धता प्रदान करने अथवा सम्बद्धता के विस्तार हेतु आवेदन ना करने/अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने अथवा अनुपालना रिपोर्ट ना प्रस्तुत करने के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध निम्नवत एक अथवा एक से अधिक कार्यवाही(यां) की जायेगी:
 - अधिसंख्य सीटों की अनुमति का एक शैक्षणिक वर्ष हेतु निलम्बन।
 - एक शैक्षणिक वर्ष हेतु एक/अधिक पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रवेश अनुमति नहीं होगी।
 - कार्यक्रम(ी)/पाठ्यक्रम(ी) की सम्बद्धता वापिस लेना।
 - महाविद्यालय की सम्बद्धता वापिस लेना।
- 5.7 किन्हीं भी परिस्थितियों में संस्वीकृत दाखिले से अधिक दाखिले की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी विश्वविद्यालय को दिये गये अधिक प्रवेश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है/विश्वविद्यालय द्वारा नोट किया

जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध निम्नवत एक अथवा एक से अधिक कार्यवाही(याँ) की जायेंगी:

दिए गए प्रत्येक अधिक प्रवेश के लिये प्रति छात्र से एकत्रित किए गए कुल शुल्क के पांच गुना के बराबर अधिक प्रवेश शुल्क वसूल किया जाएगा।

- अधिसंख्य सीटों की अनुमति का एक शैक्षणिक वर्ष हेतु निलम्बन।
- एक शैक्षणिक वर्ष हेतु एक/अधिक पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रवेश अनुमति नहीं होगी।
- कार्यक्रम(ों)/पाठ्यक्रम(ों) की सम्बद्धता वापिस लेना।
- महाविद्यालय की सम्बद्धता वापिस लेना।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अधिक प्रवेश शुल्क की राशि विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाएगी।

5.8 जिन महाविद्यालयों में 18 महीनों से अधिक समय तक योग्य प्रधानाचार्य नहीं होंगे, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष के लिए 'कोई प्रवेश नहीं' स्थिति में रखा जा सकता है।

5.9 जो महाविद्यालय निर्धारित संकाय, छात्र अनुपात को बनाये नहीं रखेंगे, वेतनमानों, अथवा अध्यापन कर्मचारियों के लिए विहित योग्यताओं का 12 महीनों से अधिक समय तक पालन नहीं करेंगे, तो विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित एक अथवा अधिक कार्यवाही(याँ) की जाएंगी:

- अधिसंख्य सीटों हेतु अनुमति, यदि कोई हो तो, का एक शैक्षणिक वर्ष हेतु निलम्बन।
- संबंधित पाठ्यक्रम(ों) में एक शैक्षणिक वर्ष हेतु कोई प्रवेश प्रदान नहीं किये जाने की स्थिति।
- संबंधित पाठ्यक्रम(ों) में सम्बद्धता वापिस लेना।
- महाविद्यालय की सम्बद्धता वापिस लेना।

5.10 जो महाविद्यालय निर्धारित कम्प्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रयोगशाला, उपकरणों और पुस्तकों, पत्रिकाओं, पुस्तकालय सुविधाओं का रखरखाव नहीं करेंगे, तो विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित एक अथवा अधिक कार्यवाही(याँ) की जाएंगी:

- अधिसंख्य सीटों हेतु अनुमति, यदि कोई हो तो, का एक शैक्षणिक वर्ष हेतु निलम्बन।
- एक/अधिक पाठ्यक्रम(ों) में एक शैक्षणिक वर्ष हेतु कोई प्रवेश प्रदान नहीं किये जाने की स्थिति।
- कार्यक्रम(ों)/पाठ्यक्रम(ों) की सम्बद्धता वापिस लेना।
- महाविद्यालय की सम्बद्धता वापिस लेना।

5.11 जो महाविद्यालय अन्य विहित अनिवार्य अपेक्षाओं का रखरखाव नहीं करेंगे, तो विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित एक अथवा अधिक कार्यवाही(याँ) की जाएंगी:

- अधिसंख्य सीटों हेतु अनुमति, यदि कोई हो तो, का एक शैक्षणिक वर्ष हेतु निलम्बन।
- एक/अधिक पाठ्यक्रम(ों) में एक शैक्षणिक वर्ष हेतु कोई प्रवेश प्रदान नहीं किये जाने की स्थिति।

5.12 जो महाविद्यालय विहित विनिर्मित क्षेत्रफल संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे, तो विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित एक अथवा अधिक कार्यवाही(याँ) की जाएंगी:

- अधिसंख्य सीटों हेतु अनुमति, यदि कोई हो तो, का एक शैक्षणिक वर्ष हेतु निलम्बन।
- एक/अधिक पाठ्यक्रम(ों) में एक शैक्षणिक वर्ष हेतु कोई प्रवेश प्रदान नहीं किये जाने की स्थिति।
- कार्यक्रम(ों)/पाठ्यक्रम(ों) की सम्बद्धता वापिस लेना।
- महाविद्यालय की सम्बद्धता वापिस लेना।

5.13 जो महाविद्यालय प्रवेश रद्द करने पर शुल्क वापसी के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुसरण नहीं करेंगे अथवा शुल्क वापसी में विलम्ब करेंगे, तो विश्वविद्यालय द्वारा उन पर निम्नलिखित एक अथवा अधिक कार्यवाही(याँ) की जाएंगी:

- शुल्क वापसी के प्रत्येक मामले में अनुपालन न किये जाने हेतु दण्ड स्वरूप प्रति छात्र से एकत्रित किए गए शुल्क का दुगुना वसूला जाएगा।

- एक शैक्षणिक वर्ष हेतु एक/अधिक पाठ्यक्रमों में कोई प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी।
- कार्यक्रम(ों)/पाठ्यक्रम(ों) की सम्बद्धता वापिस लेना।
- अधिसंख्य सीटों हेतु अनुमति, यदि कोई हो तो, का एक शैक्षणिक वर्ष हेतु निलम्बन।

5.14 दण्डात्मक कार्यवाहियों के पश्चात् बहाली हेतु प्रक्रिया

- 5.14.1 कोई महाविद्यालय, अगले शैक्षणिक वर्ष में सम्बद्धता के विस्तार के आवेदन के साथ विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की बहाली हेतु आवेदन कर सकता है।
- 5.14.2 विशेषज्ञ समिति विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी आवश्यकताओं को सत्यापित करेगी।
- 5.14.3 सम्बद्धता की बहाली की अनुमति अथवा यथास्थिति की बहाली, कार्यकारी परिषद्/प्रबंधन बोर्ड/विशेष संघ द्वारा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर की जा सकती है।
- 5.14.4 महाविद्यालय द्वारा किसी निर्णय को अस्वीकार करने के मामले में विश्वविद्यालय अपील हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

6. मानदण्ड एवं अपेक्षाएं

- 6.1 विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों जैसे स्नातकपूर्व उपाधि कार्यक्रम, स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम, दोहरी उपाधि कार्यक्रमों और एकीकृत कार्यक्रमों हेतु अवधि एवं प्रवेश स्तरीय योग्यताएं परिशिष्ट-1 में उपबंधानुसार होंगी।
- 6.2 अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी/भेषजी/वास्तुकला/नगर आयोजना/होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला और ऐसे अन्य कार्यक्रमों में स्नातकपूर्व उपाधि कार्यक्रम, स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों के अनुमोदित नामों की सूची परिशिष्ट-2 में उपलब्ध कराई गई है।
बशर्ते यदि, कोई संस्थान कोई अन्य नया पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आरंभ करना चाहता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
- 6.3 महाविद्यालय, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में दाखिले एवं पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए परिशिष्ट-3 में यथा उपबंधित मानकों का अनुसरण करेंगे।
- 6.4 महाविद्यालय भूमि और भवन हेतु स्थान संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में परिशिष्ट-4 में यथा उपबंधित मानकों का अनुसरण करेंगे।
- 6.5 महाविद्यालय पुस्तकों, पत्रिकाओं, पुस्तकालय सुविधाओं, कम्प्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और प्रयोगशाला उपकरण हेतु परिशिष्ट-5 में यथा उपबंधित मानकों का अनुसरण करेंगे।
- 6.6 महाविद्यालय अन्य अनिवार्य एवं वांछित अपेक्षाओं हेतु परिशिष्ट-6 में यथा उपबंधित मानकों का अनुसरण करेंगे।
- 6.7 सामान्यतः परिशिष्ट 7 में दिये गये संवर्ग अनुपात को बनाये रखा जाएगा।
- 6.8 महाविद्यालय, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर संकाय संबंधी अपेक्षाओं हेतु परिशिष्ट 7 और परिशिष्ट 8 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मानकों का पालन करेंगे।
- 6.9 डिप्लोमा धारक और बीएससी उपाधि धारक संस्वीकृत दाखिले की अधिकतम संख्या के 20% तक (केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित विशेष श्रेणी से संबंधित राज्यों के संस्थानों हेतु 30%) अभियांत्रिकी उपाधि पाठ्यक्रमों के दूसरे वर्ष में प्रवेश प्राप्त करने हेतु योग्य होंगे, जोकि स्वीकृत दाखिले की साधारण संख्या से अधिक और अतिरिक्त होंगे।

बशर्ते कि, जिन छात्रों ने वास्तुकला सहायक एवं नगर आयोजना में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है वे संस्वीकृत दाखिले की संख्या के अधिकतम 20% तक (केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित विशेष श्रेणी से संबंधित राज्यों के संस्थानों हेतु 30%) वास्तुकला उपाधि पाठ्यक्रमों के दूसरे वर्ष में प्रवेश पाने हेतु योग्य होंगे, जोकि स्वीकृत दाखिले की साधारण संख्या से अधिक और अतिरिक्त होंगे।

बशर्ते आगे कि, जिन छात्रों ने भेषजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है वे संस्वीकृत दाखिले की अधिकतम संख्या के 20% तक (केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित विशेष श्रेणी से संबंधित राज्यों के संस्थानों हेतु 30%) भेषजी में डिग्री पाठ्यक्रमों के दूसरे वर्ष में प्रवेश हेतु योग्य होंगे, जोकि स्वीकृत दाखिले की साधारण संख्या से अधिक और अतिरिक्त होंगे।

किसी पाठ्यक्रम में उपरोक्त रिक्त स्थानों (एस) के अतिरिक्त, एस = एसआई - (एसआई-सी-एफ+बी), और यदि एस > 0, तो ऐसे स्थान डिप्लोमा धारकों और बीएससी उपाधि धारकों को पार्ष्वक प्रवेश हेतु उपलब्ध हो सकती हैं जहां,

एसआई = संस्वीकृत दाखिले की संख्या है

सी = प्रथम वर्ष स्तर पर रद्दीकरणों की संख्या (नीचे * देखें)।

एफ = सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के नियम/नियमों के अनुसार द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु अयोग्य छात्रों की संख्या (नीचे * देखें)

बी = पूर्व के बैचों से संबंधित छात्रों की संख्या, जो सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के नियम/नियमों के अनुसार द्वितीय वर्ष में दाखिला प्राप्त करने हेतु योग्य हो गये हैं (नीचे * देखें)

* किसी भी तरह की अधिसंख्य सीटों पर प्रवेश पाने वाले छात्रों को 'सी', 'एफ' अथवा 'बी' में विचार नहीं किया जाएगा।

संबंधित राज्य का प्रवेश प्राधिकरण इन प्रवेशों हेतु कार्यविधि के संबंध में निर्णय करेगा।

6.10 जिन छात्रों ने वास्तुकला सहायक एवं नगर आयोजना में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और डिप्लोमा उपरांत पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वे वास्तुकला डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्य होंगे। इन प्रवेशों हेतु कार्यविधि का निर्णय संबंधित राज्य प्रवेश प्राधिकरण करेगा।

6.11 बशर्ते आगे कि, जिन छात्रों ने भेषजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और डिप्लोमा उपरांत पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वे भेषजी डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने हेतु योग्य होंगे।

संबंधित राज्य प्रवेश प्राधिकरण इन प्रवेशों हेतु कार्यविधि के संबंध में निर्णय करेगा।

6.12 ई-पत्रिकाओं हेतु सबस्क्रिप्शन (वांछित) परिशिष्ट-9 में दिया गया है।

6.13 किसी नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप परिशिष्ट-10 में दिया गया है।

6.14 समितियों की संरचना परिशिष्ट-11 में दी गयी है।

6.15 नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को परिशिष्ट 12 पर दिया गया है।

6.16 विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को परिशिष्ट 12 पर दिया गया है।

6.17 शासी/प्रबंधन बोर्ड की संरचना, परिशिष्ट 14 पर दी गई है।

7. शिकायत का समाधान

विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गई विधिवत संबद्धता प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बीच किसी विवाद के मामले में दोनों पक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष मुद्दे को उठाने के लिये स्वतंत्र होंगे, जो मामले को सुलझाने के लिये मामले में मध्यस्थता कर सकता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

8. सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों/दिशानिर्देशों की अनुप्रयोज्यता

मौजूदा विनियमों में सम्मिलित नहीं किये गये मुद्दों के संबंध में, सभी तकनीकी शिक्षा की पेशकश कर रहे महाविद्यालयों पर संगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम/दिशानिर्देश नामतः रैगिंग निवारण संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 लागू होंगे।

परिशिष्ट – 1

तकनीकी कार्यक्रमों की अवधि तथा प्रवेश स्तर की अर्हताएं

स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम	अवधि	अर्हता
1.	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	4 वर्ष	अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी तथा गणित के साथ साथ ही रसायन शास्त्र/जैव प्रौद्योगिकी/जीव विज्ञान में से एक विषय में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उपरोक्त सभी विषयों के कुल योग में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में 40 प्रतिशत)
2.	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	द्वितीय वर्ष में पार्ष्विक प्रवेश	(क) अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में 45 प्रतिशत अंकों के साथ (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में 40 प्रतिशत) किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित संस्थान से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथापरिभाषित किसी

			<p>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में 40 प्रतिशत) के साथ विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की हो तथा गणित के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>(ग) बशर्ते कि विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि धारक छात्र, प्रथम वर्ष के अभियांत्रिकी कार्यक्रम के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/इंजीनियरिंग ड्राइंग तथा इंजीनियरिंग मेकेनिक्स विषय को द्वितीय वर्ष के विषयों के साथ उत्तीर्ण करेंगे।</p> <p>(घ) बशर्ते आगे कि, विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि धारक छात्रों को इस श्रेणी में अधिसंख्य सीटों को डिप्लोमा विधा के छात्रों द्वारा भरने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।</p> <p>(ङ.) बशर्ते आगे कि, वे छात्र जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित संस्थान से अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा परिभाषित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, वे भी पार्श्विक प्रवेश में रिक्तियां न होने पर तथा प्रथम वर्ष कक्षा में रिक्तियों के अध्यधीन अभियांत्रिकी उपाधि पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिये पात्र होंगे। तथापि, ऊपर क, ख, घ तथा ङ में प्रवेश मात्र उल्लिखित अर्हता मानदण्ड पर ही आधारित होंगे।</p>
2 (क)	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी (स्नातक तथा निष्णांत उपाधियों के साथ दोहरी उपाधि कार्यक्रम)	5 वर्ष	<p>अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी तथा गणित के साथ रसायन शास्त्र/जैव प्रौद्योगिकी/जीव विज्ञान में से एक विषय के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>उपरोक्त सभी विषयों के कुल योग में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में 40 प्रतिशत)</p>
3.	भेषजी	4 वर्ष	<p>अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी तथा गणित के साथ गणित/रसायन शास्त्र/जैव प्रौद्योगिकी/जीव विज्ञान में से एक विषय के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>उपरोक्त सभी विषयों के कुल योग में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में 40 प्रतिशत)</p>
4.	वास्तुकला	5 वर्ष	<p>अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी तथा रसायन शास्त्र के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग/कम्प्यूटर विज्ञान/जीवविज्ञान में से एक विषय में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>उपरोक्त सभी विषयों के कुल योग में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में 40 प्रतिशत होने चाहिए।)</p>
5.	होटल प्रबंधन तथा खान-पान प्रौद्योगिकी	4 वर्ष	<p>10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>अर्हक परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में 40 प्रतिशत होने चाहिए।)</p>
6.	अनुप्रयुक्त कला तथा शिल्पकला	5 वर्ष	<p>10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>अर्हक परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में 40 प्रतिशत होने चाहिए।)</p>
7.	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के अलावा	द्वितीय वर्ष में पार्श्विक प्रवेश	उपयुक्त कार्यक्रम में कम से कम 45 प्रतिशत अंक (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में 40 प्रतिशत होने चाहिए) के साथ किसी

	सभी अन्य शिक्षण कार्यक्रम		बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित संस्थान से किसी कार्यक्रम में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
8.	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के अलावा अन्य सभी कार्यक्रम	प्रथम वर्ष में प्रवेश	बशर्ते आगे कि वे छात्र जिन्होंने किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित संस्थान से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वे उपयुक्त कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि पार्ष्विक प्रवेश में रिक्तियां समाप्त हो गई हों तथा प्रथम वर्ष में रिक्तियां हों। तथापि, दाखिला उपरोक्त में यथा उल्लिखित अर्हता मानदण्ड पर ही आधारित होगा।

1.1 तथापि, बिंदु 1.1.—2, 1.1—7 के अलावा बिंदु 1.1 में वर्णित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा।

स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम

	कार्यक्रम	अवधि	अर्हता
1.	एमसीए	3 वर्ष	10+2 में गणित विषय के साथ कम से कम 3 वर्ष की अवधि की मान्यताप्राप्त स्नातक उपाधि। अर्हक परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए)
2.	एमई/एमटेक	2 वर्ष	संगत क्षेत्र में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष। अर्हक परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए)
3.	भेषजी में निष्णांत	2 वर्ष	भेषज में स्नातक या समकक्ष उपाधि। अर्हक परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए)
4.	वास्तुकला में निष्णांत	2 वर्ष	वास्तुकला में स्नातक या समकक्ष उपाधि। अर्हक परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए)
5.	होटल प्रबंधन में निष्णांत उपाधि	2 वर्ष	होटल प्रबंधन में स्नातक/होटल प्रबंधन तथा खान-पान प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि। अर्हक परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए)
6.	ललित कला में निष्णांत, दृश्य कला में निष्णांत नृत्य, संगीत कला में निष्णांत (मास्टर ऑफ परफार्मिंग आर्ट्स)	2 वर्ष	ललित कला स्नातक या समकक्ष उपाधि। अर्हक परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए)

1.2 तथापि, बिंदु 1.2 में अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा।

परिशिष्ट 2: पाठ्यक्रमों के अनुमोदित नाम
2.1 शिक्षण कार्यक्रमरू अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
स्तर रू स्नातकपूर्व

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	उन्नत विनिर्माण और यांत्रिकी प्रणाली डिजाइन
2.	अंतरिक्ष अभियांत्रिकी
3.	वैमानिकी अभियांत्रिकी
4.	कृषि अभियांत्रिकी
5.	कृषि अभियांत्रिकी
6.	एयरलाईन प्रबंधन
7.	परिधान और उत्पादन प्रबंधन
8.	अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी
9.	अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी
10.	वास्तुकला सहायक
11.	वास्तुकला सहायक
12.	स्वचालन और रोबोटिक्स
13.	मोटरयान अभियांत्रिकी
14.	मोटरयान प्रौद्योगिकी
15.	जीव रसायन अभियांत्रिकी
16.	जीव चिकित्सा अभियांत्रिकी
17.	जीव चिकित्सा इंस्ट्रुमेंटेशन
18.	जैव प्रौद्योगिकी
19.	जैव प्रौद्योगिकी और जीव रसायन अभियांत्रिकी
20.	भवन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी
21.	सीमेंट और मृत्तिका प्रौद्योगिकी
22.	मृत्तिका अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
23.	मृत्तिका प्रौद्योगिकी
24.	मृत्तिका अभियांत्रिकी
25.	रसायन अभियांत्रिकी
26.	रसायन अभियांत्रिकी (प्लास्टिक और पॉलीमर)
27.	रसायन अभियांत्रिकी (एसडब्ल्यू)
28.	रसायन प्रौद्योगिकी
29.	सिविल अभियांत्रिकी
30.	सिविल अभियांत्रिकी और आयोजना
31.	सिविल अभियांत्रिकी (विनिर्माण प्रौद्योगिकी)
32.	सिविल अभियांत्रिकी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)
33.	सिविल अभियांत्रिकी पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण
34.	सिविल अभियांत्रिकी (विनिर्माण प्रौद्योगिकी)
35.	सिविल पर्यावरण अभियांत्रिकी

36.	सिविल प्रौद्योगिकी
37.	संचार अभियांत्रिकी
38.	कम्प्यूटर समर्थित ढांचों का डिजाइन
39.	कम्प्यूटर और संचार अभियांत्रिकी
40.	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी
41.	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी और अनुप्रयोग
42.	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी (आईएनडी/आईएनटी)
43.	अभियांत्रिकी नेटवर्किंग
44.	कम्प्यूटर विज्ञान
45.	कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी
46.	कम्प्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी
47.	कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी
48.	कम्प्यूटर विज्ञान और प्रणालीगत अभियांत्रिकी
49.	कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी
50.	कम्प्यूटिंग में कम्प्यूटिंग
51.	मल्टीमीडिया में कम्प्यूटिंग
52.	सॉफ्टवेयर में कम्प्यूटिंग
53.	विनिर्माण और परियोजना प्रबंधन
54.	विनिर्माण अभियांत्रिकी
55.	विनिर्माण अभियांत्रिकी और प्रबंधन
56.	विनिर्माण प्रौद्योगिकी
57.	विनिर्माण प्रौद्योगिकी और प्रबंधन
58.	नियंत्रण प्रणाली अभियांत्रिकी
59.	डेयरी प्रौद्योगिकी
60.	डॉयस्टफ प्रौद्योगिकी
61.	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स (विद्युत प्रणाली)
62.	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी
63.	विद्युत और इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी
64.	इलेक्ट्रिकल एण्ड पावर इंजीनियरिंग
65.	विद्युत अभियांत्रिकी
66.	विद्युत अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत)
67.	विद्युत अभियांत्रिकी औद्योगिक नियंत्रण
68.	विद्युत इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण अभियांत्रिकी
69.	इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग
70.	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी
71.	इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण अभियांत्रिकी
72.	इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान और अभियांत्रिकी
73.	इलेक्ट्रॉनिक्स

74.	इलेक्ट्रॉनिक्स और वैमानिकी
75.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी
76.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (उद्योग समेकन)
77.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (उद्योग समेकन)
78.	इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी
79.	इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी
80.	इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी (टेल्कोलाजीशियन इलेक्ट्रॉनिक रेडियो)
81.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (मॉड्युलेटिव)
82.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (सैण्डविच)
83.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी
84.	इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर अभियांत्रिकी
85.	इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण प्रणालियां
86.	इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत अभियांत्रिकी
87.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रणालियां
88.	इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत अभियांत्रिकी
89.	इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी
90.	इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीमेटिक्स अभियांत्रिकी
91.	इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी
92.	इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजाइन प्रौद्योगिकी
93.	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी
94.	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नियंत्रण
95.	इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण अभियांत्रिकी
96.	इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार
97.	ऊर्जा अभियांत्रिकी
98.	अभियांत्रिकी शिक्षा
99.	पर्यावरण अभियांत्रिकी
100.	पर्यावरणीय अभियांत्रिकी
101.	पर्यावरणीय विज्ञान और अभियांत्रिकी
102.	पर्यावरणीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी
103.	फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी
104.	फैशन और परिधान प्रौद्योगिकी
105.	फैशन प्रौद्योगिकी
106.	तंतु और वस्त्र प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
107.	अग्नि प्रौद्योगिकी और संरक्षा
108.	खाद्य अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
109.	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण

110.	खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
111.	खाद्य प्रौद्योगिकी
112.	फुटवियर प्रौद्योगिकी
113.	जीओइनफार्मेटिक्स
114.	स्वास्थ्य विज्ञान और जल अभियांत्रिकी
115.	होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी
116.	औद्योगिक और उत्पादन अभियांत्रिकी
117.	औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी
118.	औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स
119.	औद्योगिक अभियांत्रिकी
120.	औद्योगिक अभियांत्रिकी और प्रबंधन
121.	औद्योगिक उत्पादन अभियांत्रिकी
122.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
123.	सूचना अभियांत्रिकी
124.	सूचना विज्ञान और अभियांत्रिकी
125.	सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी
126.	सूचना अभियांत्रिकी
127.	सूचना प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी
128.	उपकरण प्रौद्योगिकी
129.	इंस्ट्रुमेंटेशन
130.	इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण
131.	इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण अभियांत्रिकी
132.	इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी
133.	इंस्ट्रुमेंटेशन प्रौद्योगिकी
134.	सिंचाई अभियांत्रिकी
135.	चमड़ा प्रौद्योगिकी
136.	मशीन अभियांत्रिकी
137.	मानव-निर्मित वस्त्र प्रौद्योगिकी
138.	विनिर्माण अभियांत्रिकी
139.	विनिर्माण अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
140.	विनिर्माण प्रक्रिया
141.	विनिर्माण विज्ञान और अभियांत्रिकी
142.	विनिर्माण प्रौद्योगिकी
143.	समुद्रीय अभियांत्रिकी
144.	समुद्रीय प्रौद्योगिकी
145.	अभियांत्रिकी और प्रबंधन में निष्णांत
146.	पदार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी
147.	यांत्रिक और स्वचालन अभियांत्रिकी
148.	यांत्रिक अभियांत्रिकी (उद्योग समेकित)

149.	यांत्रिक अभियांत्रिकी (सैंडविच पैटर्नद्ध
150.	यांत्रिक अभियांत्रिकी
151.	यांत्रिक अभियांत्रिकी (मोटरयान)
152.	यांत्रिक अभियांत्रिकी (उत्पादन)
153.	यांत्रिक अभियांत्रिकी (सैंडविच)
154.	मोटरयान यांत्रिक अभियांत्रिकी
155.	मेकाट्रानिक्स
156.	चिकित्सीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी
157.	चिकित्सीय इलेक्ट्रॉनिक्स
158.	चिकित्सीय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी
159.	धातुकर्म तथा पदार्थ अभियांत्रिकी
160.	धातुकर्म अभियांत्रिकी
161.	धातुकर्म
162.	धातुकर्म तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी
163.	खान अभियांत्रिकी
164.	खनन अभियांत्रिकी
165.	नेनो प्रौद्योगिकी
166.	नेनो प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स
167.	तेल और पेन्ट प्रौद्योगिकी
168.	तेल प्रौद्योगिकी
169.	आर्यल ओलियो केमीकल एण्ड सरफेक्टेंट प्रौद्योगिकी
170.	पेकेजिंग प्रौद्योगिकी
171.	पेन्ट प्रौद्योगिकी
172.	पेट्रोकेम अभियांत्रिकी
173.	पेट्रोसायन अभियांत्रिकी
174.	पेट्रोसायन अभियांत्रिकी
175.	पेट्रोलियम अभियांत्रिकी
176.	पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी
177.	प्लास्टिक और पॉलीमर अभियांत्रिकी
178.	प्लास्टिक अभियांत्रिकी
179.	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
180.	पॉलीमर अभियांत्रिकी
181.	पॉलीमर अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
182.	पॉलीमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी
183.	पॉलीमर प्रौद्योगिकी
184.	पॉवर कन्ट्रोल एण्ड ड्राईव
185.	पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स
186.	विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी
187.	विद्युत अभियांत्रिकी
188.	प्रीसीशन मेन्यूफैक्चरिंग

189.	प्रिंटिंग और पेकेजिंग प्रौद्योगिकी
190.	प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी
191.	प्रिंटिंग ग्राफिक और पेकेजिंग
192.	उत्पादन और औद्योगिक अभियांत्रिकी
193.	उत्पादन अभियांत्रिकी
194.	उत्पादन अभियांत्रिकी (सैंडविच)
195.	लुग्दी प्रौद्योगिकी
196.	रोबोटिक्स और स्वचालन
197.	रबड प्रौद्योगिकी
198.	संरक्षा और अग्नि अभियांत्रिकी
199.	पोतनिर्माण अभियांत्रिकी
200.	रेशम प्रौद्योगिकी
201.	सरफेस कोटिंग प्रौद्योगिकी
202.	दूरसंचार प्रौद्योगिकी
203.	वस्त्र रसायन
204.	वस्त्र अभियांत्रिकी
205.	वस्त्र संयंत्र अभियांत्रिकी
206.	वस्त्र प्रसंस्करण
207.	वस्त्र प्रौद्योगिकी
208.	औजार अभियांत्रिकी
209.	नगर और ग्राम्य आयोजना
210.	वीएलएसआई प्रणाली डिजाइन

2.2 कार्यक्रम: अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी

स्तर: स्नातकोत्तर

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	उन्नत कम्प्यूटर समर्थित डिजाइन
2.	उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स
3.	उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार अभियांत्रिकी
4.	उन्नत विनिर्माण तथा यांत्रिक प्रणाली डिजाइन
5.	उन्नत विनिर्माण प्रणालियां
6.	उन्नत पदार्थ प्रौद्योगिकी
7.	उन्नत उत्पादन प्रणालियां
8.	एरोडॉयनामिक इंजीनियरिंग
9.	वायुक्षेत्र अभियांत्रिकी
10.	वैमानिकी अभियांत्रिकी
11.	कृषि अभियांत्रिकी
12.	परिधहन प्रौद्योगिकी
13.	अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स
14.	अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार

15.	अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन
16.	अनुप्रयुक्त इंस्ट्रूमेंटेशन
17.	कृत्रिम बुद्धि
18.	वायुमण्डल दबाव
19.	स्वचालित विनिर्माण प्रणालियां
20.	स्वचालन
21.	स्वचालन तथा नियंत्रण विद्युत प्रणालियां
22.	स्वचालन तथा रोबोटिक्स
23.	मोटरयान अभियांत्रिकी
24.	मोटरयान प्रौद्योगिकी
25.	जीव रसायन अभियांत्रिकी
26.	जीव रसायन अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी
27.	बायोइन्फार्मेटिक्स
28.	जीव चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स
29.	जीव चिकित्सा अभियांत्रिकी
30.	जीव चिकित्सा इंस्ट्रूमेंटेशन
31.	बायोमेडीकल सिग्नल प्रोसेसिंग एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन
32.	बायोप्रोसेस प्रौद्योगिकी
33.	जैव प्रौद्योगिकी
34.	जैव प्रौद्योगिकी और जीवरसायन अभियांत्रिकी
35.	कैड / कैम
36.	कैड / कैम अभियांत्रिकी
37.	मृत्तिका अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
38.	मृत्तिका अभियांत्रिकी
39.	रसायन अभियांत्रिकी
40.	वस्त्र क्षेत्र में रसायन संसाधन
41.	अभियांत्रिकी रसायनिक क्रिया
42.	रसायन प्रौद्योगिकी
43.	रसायन प्रौद्योगिकी (रबड और प्लास्टिक)
44.	सिविल अभियांत्रिकी (लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण)
45.	सिविल अभियांत्रिकी
46.	सिविल अभियांत्रिकी (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)
47.	सिविल अभियांत्रिकी (विनिर्माण प्रौद्योगिकी)
48.	संचार तथा सूचना प्रणालियां
49.	संचार अभियांत्रिकी
50.	संचार अभियांत्रिकी और सिग्नल प्रोसेसिंग
51.	संचार प्रणालियां
52.	संचार प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन

53.	संचार अभियांत्रिकी
54.	यांत्रिकी विज्ञान में परिकलनात्मक विश्लेषण
55.	परिकलनात्मक यांत्रिकी
56.	कम्प्यूटर समर्थित विश्लेषण और डिजाइन
57.	कम्प्यूटर समर्थित डिजाइन
58.	कम्प्यूटर समर्थित डिजाइन तथा कम्प्यूटर समर्थित विनिर्माण
59.	कम्प्यूटर समर्थित डिजाइन तथा विनिर्माण
60.	कम्प्यूटर समर्थित डिजाइन विनिर्माण तथा स्वचालन
61.	कम्प्यूटर समर्थित डिजाइन विनिर्माण तथा अभियांत्रिकी
62.	कम्प्यूटर समर्थित ढाचों का डिजाइन
63.	कम्प्यूटर समर्थित प्रक्रिया डिजाइन
64.	कम्प्यूटर समर्थित ढाचों का विश्लेषण और डिजाइन
65.	कम्प्यूटर समर्थित ढाचों की अभियांत्रिकी
66.	कम्प्यूटर और संचार
67.	कम्प्यूटर और संचार अभियांत्रिकी
68.	कम्प्यूटर और सूचना विज्ञान
69.	कम्प्यूटर अनुप्रयोग
70.	औद्योगिक उपकरणों में कम्प्यूटर अनुप्रयोग
71.	कम्प्यूटर कॉगनीशन एण्ड टेक्नोलॉजी
72.	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी
73.	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी तथा अनुप्रयोग
74.	कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण तथा नेटवर्किंग
75.	कम्प्यूटर समेकित विनिर्माण
76.	कम्प्यूटर नेटवर्किंग
77.	कम्प्यूटर नेटवर्किंग तथा अभियांत्रिकी
78.	कम्प्यूटर नेटवर्क
79.	कम्प्यूटर नेटवर्क तथा सूचना सुरक्षा
80.	कम्प्यूटर नेटवर्क तथा इंटरनेट सुरक्षा
81.	कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी
82.	कम्प्यूटर विज्ञान
83.	कम्प्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी
84.	कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना सुरक्षा
85.	कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी
86.	कम्प्यूटर विज्ञान और प्रणालीगत अभियांत्रिकी
87.	कम्प्यूटर प्रणालियां और प्रौद्योगिकी
88.	कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी
89.	कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग
90.	कम्प्यूटर विज्ञान और रोबोटिक्स
91.	विनिर्माण अभियांत्रिकी

92.	विनिर्माण प्रौद्योगिकी और प्रबंधन
93.	विनिर्माण प्रबंधन
94.	विनिर्माण और परियोजना प्रबंधन
95.	विनिर्माण प्रौद्योगिकी
96.	विनिर्माण प्रौद्योगिकी और प्रबंधन
97.	नियंत्रण और इंस्ट्रुमेंटेशन
98.	नियंत्रण अभियांत्रिकी
99.	नियंत्रण प्रणाली और अभियांत्रिकी
100.	नियंत्रण प्रणाली
101.	क्रायोजेनिक अभियांत्रिकी
102.	डिजाइन और उत्पादन
103.	डिजाइन और तापीय अभियांत्रिकी
104.	डिजाइन अभियांत्रिकी
105.	विनिर्माण हेतु डिजाइन
106.	यांत्रिक उपस्कर हेतु डिजाइन
107.	यांत्रिक प्रणालियों हेतु डिजाइन
108.	डिजीटल संचार
109.	डिजीटल संचार
110.	डिजीटल संचार तथा नेटवर्किंग
111.	डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक्स
112.	डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा माइक्रोप्रोसेसर
113.	डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार प्रौद्योगिकी
114.	डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार प्रणालियां
115.	डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी
116.	डिजीटल इमेज प्रोसेसिंग
117.	डिजीटल इंस्ट्रुमेंटेशन
118.	डिजीटल सिग्नल प्रोसेसिंग
119.	डिजीटल सिस्टम
120.	डिजीटल सिस्टम और संचार अभियांत्रिकी
121.	डिजीटल सिस्टम और कम्प्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स
122.	डिस्ट्रीब्यूटिड सिस्टम्स
123.	डायस्टैफ प्रौद्योगिकी
124.	भूकंप अभियांत्रिकी
125.	इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम
126.	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी
127.	विद्युत और यांत्रिक अभियांत्रिकी
128.	इलेक्ट्रिकल एण्ड पावर इंजीनियरिंग
129.	इलेक्ट्रिकल डिवाइस एण्ड पावर सिस्टम्स
130.	इलेक्ट्रिकल ड्राइव एण्ड कन्ट्रोल
131.	इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम्स

132.	विद्युत अभियांत्रिकी
133.	विद्युत अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत)
134.	विद्युत मशीन
135.	विद्युत मशीन और ड्राइव
136.	इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग
137.	इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम
138.	इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स
139.	इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट और प्रणालीगत डिजाइन
140.	इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण अभियांत्रिकी
141.	इलेक्ट्रॉनिक्स
142.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी
143.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (उद्योग समेकित)
144.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (उद्योग समेकित)
145.	इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी
146.	इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी
147.	इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी (टेक्नालॉजीशियन इलेक्ट्रॉनिक रेडियो)
148.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी
149.	इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर अभियांत्रिकी
150.	इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण प्रणालियां
151.	इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत अभियांत्रिकी
152.	इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी
153.	इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी
154.	इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और प्रौद्योगिकी
155.	इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन प्रौद्योगिकी
156.	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी
157.	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी (स्ववित्तपोषित)
158.	इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद डिजाइन और प्रौद्योगिकी
159.	इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियां और संचार
160.	इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी
161.	एम्बेडेड एण्ड रीयल टाइम सिस्टम्स
162.	एम्बेडेड सिस्टम्स एण्ड कम्प्यूटिंग
163.	एम्बेडेड सिस्टम एण्ड वीएलएसआई
164.	एम्बेडेड सिस्टम
165.	एम्बेडेड सिस्टम एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन
166.	एम्बेडेड सिस्टम टेक्नोलॉजी

167.	ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन
168.	ऊर्जा अभियांत्रिकी
169.	ऊर्जा प्रबंधन
170.	ऊर्जा प्रणालियां
171.	ऊर्जा प्रणालियां और प्रबंधन
172.	ऊर्जा प्रणालियां अभियांत्रिकी
173.	ऊर्जा प्रौद्योगिकी
174.	ऊर्जा प्रौद्योगिकी और प्रबंधन
175.	अभियांत्रिकी डिजाइन
176.	अभियांत्रिकी शिक्षा
177.	अभियांत्रिकी सांख्यिकी
178.	पर्यावरण और जल संसाधन अभियांत्रिकी
179.	पर्यावरण अभियांत्रिकी
180.	पर्यावरणीय अभियांत्रिकी
181.	पर्यावरणीय अभियांत्रिकी और प्रबंधन
182.	पर्यावरणीय प्रबंधन
183.	पर्यावरणीय विज्ञान और अभियांत्रिकी
184.	पर्यावरणीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी
185.	ई-सुरक्षा
186.	कृषि मशीनरी
187.	फैशन और परिधान अभियांत्रिकी
188.	फायरबर आर्टिक्स एण्ड लाईट वेव टेक्नोलॉजी
189.	फूड बायोटेक इंजीनियरिंग
190.	खाद्य जैव प्रौद्योगिकी
191.	फूड इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी
192.	खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
193.	खाद्य प्रौद्योगिकी
194.	कृषि मशीनरी तथा विद्युत अभियांत्रिकी
195.	नींव अभियांत्रिकी
196.	फ्रेक्चर मेकेनिक्स
197.	ईंधन और दहन
198.	गैस टरबाइन प्रौद्योगिकी
199.	जीओ इनफार्मेटिक्स
200.	जीओ इनफार्मेटिक्स एण्ड सर्वे टेक्नोलॉजी
201.	जीओ मशीनस एण्ड स्ट्रक्चर्स
202.	जीओ टेक्नीकल एण्ड जीओ एनवायरनमेन्ट एनर्जी
203.	जीओ टेक्नीकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग
204.	जीओ टेक्नीकल इंजीनियरिंग
205.	भू-प्रौद्योगिकी

206.	स्वच्छ प्रौद्योगिकी
207.	गार्डिडेंस एण्ड नेवीगेशन कंट्रोल
208.	स्वास्थ्य परिचर्या प्रौद्योगिकी
209.	स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन
210.	स्वास्थ्य विज्ञान और जल अभियांत्रिकी
211.	ताप विद्युत और ताप अभियांत्रिकी
212.	ताप विद्युत अभियांत्रिकी
213.	उच्च वोल्टेज और विद्युत प्रणाली अभियांत्रिकी
214.	उच्च वोल्टेज अभियांत्रिकी
215.	राजमार्ग अभियांत्रिकी
216.	राजमार्ग प्रौद्योगिकी
217.	पर्वतीय क्षेत्र विकास अभियांत्रिकी
218.	द्रव अभियांत्रिकी
219.	इमेज प्रोसेसिंग
220.	औद्योगिक और उत्पादन अभियांत्रिकी
221.	औद्योगिक स्वचालन और आरएफ अभियांत्रिकी
222.	औद्योगिक स्वचालन रोबोटिक्स
223.	औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी
224.	औद्योगिक कैटालिसिस
225.	औद्योगिक डिजाइन
226.	औद्योगिक ड्राइव और नियंत्रण
227.	औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स
228.	औद्योगिक अभियांत्रिकी
229.	औद्योगिक अभियांत्रिकी और प्रबंधन
230.	औद्योगिक इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण
231.	औद्योगिक अनुसंधान और विश्वसनीयता
232.	औद्योगिक गणित
233.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण
234.	इंडस्ट्रीयल पावर कंट्रोल एण्ड ड्राइव
235.	औद्योगिक प्रशीतन और क्रायोजेनिक्स
236.	औद्योगिक संरक्षा
237.	औद्योगिक संरक्षा और अभियांत्रिकी
238.	औद्योगिक ढांचे
239.	औद्योगिक प्रणाली अभियांत्रिकी
240.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
241.	सूचना अभियांत्रिकी
242.	सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी
243.	सूचना सुरक्षा
244.	सूचना सुरक्षा प्रबंधन

245.	सूचना प्रौद्योगिकी
246.	सूचना प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी
247.	अवसंरचना अभियांत्रिकी
248.	अवसंरचना अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन
249.	अवसंरचना प्रबंधन
250.	इंस्ट्रुमेंटेशन
251.	इंस्ट्रुमेंटेशन तथा नियंत्रण
252.	इंस्ट्रुमेंटेशन तथा नियंत्रण अभियांत्रिकी
253.	इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी
254.	समेकित विद्युत प्रणालियां
255.	प्रज्ञावान प्रणालियां
256.	अंतर्दहन तथा मोटरयान
257.	अंतर्दहन इंजन तथा टर्बो मशीनरी
258.	सिंचाई तथा जल निकास अभियांत्रिकी
259.	सिंचाई अभियांत्रिकी
260.	चमड़ा प्रौद्योगिकी
261.	मशीन डिजाइन
262.	मशीन डिजाइन और रोबोटिक्स
263.	अनुरक्षण अभियांत्रिकी
264.	मानव-निर्मित वस्त्र प्रौद्योगिकी
265.	विनिर्माण तथा स्वचालन
266.	विनिर्माण अभियांत्रिकी
267.	विनिर्माण अभियांत्रिकी तथा स्वचालन
268.	विनिर्माण अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन
269.	विनिर्माण अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी
270.	विनिर्माण प्रक्रिया
271.	विनिर्माण विज्ञान तथा अभियांत्रिकी
272.	विनिर्माण प्रणालियां तथा प्रबंधन
273.	विनिर्माण प्रणालियां तथा अभियांत्रिकी
274.	विनिर्माण प्रौद्योगिकी
275.	समुद्रीय अभियांत्रिकी
276.	समुद्रीय प्रौद्योगिकी
277.	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में विज्ञान निष्णांत
278.	प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में निष्णांत
279.	पदार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी
280.	यांत्रिक और स्वचालन अभियांत्रिकी
281.	यांत्रिक अभियांत्रिकी
282.	यांत्रिक अभियांत्रिकी (उद्योग समेकित)
283.	यांत्रिक अभियांत्रिकी (समेकित)
284.	यांत्रिक अभियांत्रिकी डिजाइन

285.	यांत्रिक अभियांत्रिकी, कैड में विशेषज्ञता
286.	यांत्रिक प्रणाली और डिजाइन
287.	यांत्रिक वेल्डिंग तथा शीट मेटल इंजीनियरिंग
288.	मेकाट्रानिक्स
289.	चिकित्सीय इलेक्ट्रॉनिक्स
290.	धातुकर्म तथा पदार्थ अभियांत्रिकी
291.	धातुकर्म अभियांत्रिकी
292.	धातुकर्म
293.	धातुकर्म तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी
294.	सूक्ष्म तथा नैनो प्रौद्योगिकी
295.	माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स
296.	माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तथा नियंत्रण प्रणालियां
297.	माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी
298.	माइक्रोवेव तथा संचार अभियांत्रिकी
299.	माइक्रोवेव तथा मिलीमीटर अभियांत्रिकी
300.	माइक्रोवेव तथा राडार अभियांत्रिकी
301.	माइक्रोवेव तथा टेलीविजन अभियांत्रिकी
302.	माइक्रोवेव अभियांत्रिकी
303.	खनन अभियांत्रिकी
304.	मोबाइल संचार और नेटवर्क प्रौद्योगिकी
305.	मोबाइल प्रौद्योगिकी
306.	आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी
307.	मल्टीमीडिया और साफ्टवेयर अभियांत्रिकी
308.	नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी
309.	नैनो प्रौद्योगिकी
310.	नेटवर्क अभियांत्रिकी
311.	नेटवर्क अवसंरचना प्रबंधन
312.	नेटवर्क सुरक्षा तथा प्रबंधन
313.	नेटवर्किंग
314.	नेटवर्किंग तथा इंटरनेट इंजीनियरिंग
315.	न्यूरल नेटवर्क
316.	न्यू मेटीरियल प्रोसेस एण्ड टेक्नोलॉजी
317.	तेल प्रौद्योगिकी
318.	तैल, ओलियो रसायन और सरफेक्टेंट प्रौद्योगिकी
319.	आप्टिकल इंजीनियरिंग
320.	आप्टो इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूनीकेशन
321.	आप्टो इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी
322.	पेन्ट प्रौद्योगिकी
323.	पेरेलल डिस्ट्रीब्यूटिड सिस्टम्स
324.	सुगन्धित सामग्री सुगन्ध प्रौद्योगिकी

325.	पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी
326.	पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी
327.	पेट्रोलियम अभियांत्रिकी
328.	भेषज रसायन और प्रौद्योगिकी
329.	फिजीकल मेटालर्जी
330.	संयंत्र डिजाइन
331.	प्लास्टिक अभियांत्रिकी
332.	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
333.	प्लास्टिक अभियांत्रिकी
334.	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
335.	पॉलीमर अभियांत्रिकी
336.	पॉलीमर नेनो प्रौद्योगिकी
337.	पॉलीमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी
338.	पॉलीमर प्रौद्योगिकी
339.	विद्युत और ऊर्जा अभियांत्रिकी
340.	विद्युत और औद्योगिक ड्राईव
341.	विद्युत नियंत्रण और ड्राईव
342.	विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स
343.	विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राईव
344.	विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ड्राईव
345.	विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत प्रणालियां
346.	विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रणालियां
347.	विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी
348.	विद्युत अभियांत्रिकी
349.	पावर इंजीनियरिंग एण्ड एनर्जी सिस्टम्स
350.	विद्युत संयंत्र अभियांत्रिकी और विद्युत प्रबंधन
351.	विद्युत प्रणाली नियंत्रण
352.	विद्युत प्रणाली और नियंत्रण स्वचालन
353.	विद्युत प्रणाली
354.	विद्युत प्रणाली और स्वचालन
355.	विद्युत प्रणाली और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स
356.	विद्युत प्रणाली नियंत्रण और स्वचालन अभियांत्रिकी
357.	विद्युत प्रणाली अभियांत्रिकी
358.	प्री-स्ट्रेसड कंकरीट
359.	मुद्रण प्रौद्योगिकी
360.	संसाधन और खाद्य अभियांत्रिकी
361.	प्रोसेस कंट्रोल
362.	प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रुमेंटेशन
363.	प्रोसेस डायनामिक्स एण्ड कंट्रोल

364.	प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन
365.	प्रोसेस मेटलर्जी
366.	उत्पाद डिजाइन
367.	प्रोडक्ट डिजाइन एण्ड कार्मस
368.	उत्पाद डिजाइन और विकास
369.	उत्पाद डिजाइन और विनिर्माण
370.	उत्पादन और औद्योगिक अभियांत्रिकी
371.	उत्पादन डिजाइन और विनिर्माण
372.	उत्पादन अभियांत्रिकी
373.	उत्पादन अभियांत्रिकी और अभियांत्रिकी डिजाइन
374.	उत्पादन अभियांत्रिकी प्रणाली प्रौद्योगिकी
375.	उत्पादन प्रबंधन
376.	उत्पादन प्रौद्योगिकी
377.	उत्पादन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन
378.	परियोजना प्रबंधन
379.	प्रोपल्शन इंजीनियरिंग
380.	गुणवत्ता अभियांत्रिकी और प्रबंधन
381.	रेडियो फ्रीक्वेंसी एण्ड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग
382.	रीयल टाईम सिस्टम
383.	प्रशीतन और वातानुकूलन
384.	दूर संवेदी
385.	रोबोटिक्स और स्वचालन
386.	रोबोटिक्स और मेकाट्रॉनिक्स
387.	राकेट प्रपल्शन
388.	रबड प्रौद्योगिकी
389.	वैज्ञानिक कम्प्यूटिंग
390.	भूकंपीय डिजाइन और भूकंप अभियांत्रिकी
391.	सिग्नल प्रोसेसिंग
392.	सिग्नल प्रोसेसिंग और संचार
393.	सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी
394.	सॉफ्टवेयर प्रणालियां
395.	मृदा और जल संरक्षण अभियांत्रिकी
396.	मृदा यांत्रिकी
397.	मृदा यांत्रिकी और नींव अभियांत्रिकी
398.	खेल-कूद प्रौद्योगिकी
399.	स्ट्रक्चरल एण्ड फाउंडेशन इंजीनियरिंग
400.	स्ट्रक्चरल डिजाइन
401.	स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एण्ड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग
402.	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग
403.	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन

404.	सर्फेस कोटिंग टेक्नोलॉजी
405.	सिस्टम साफ्टवेयर
406.	सिस्टम एण्ड सिग्नल प्रोसेसिंग
407.	टेक्नीकल केमीस्ट्री
408.	दूरसंचार अभियांत्रिकी
409.	टेलीमेटेक्स
410.	वस्त्र रसायन शास्त्र
411.	वस्त्र प्रौद्योगिकी
412.	वस्त्र प्रसंस्करण
413.	वस्त्र प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
414.	वस्त्र प्रौद्योगिकी
415.	तापीय और द्रव्य अभियांत्रिकी
416.	तापीय अभियांत्रिकी
417.	तापीय विद्युत अभियांत्रिकी
418.	तापीय विज्ञान
419.	तापीय विज्ञान अभियांत्रिकी
420.	तापीय प्रणालियां और डिजाइन
421.	उपकरण डिजाइन
422.	उपकरण अभियांत्रिकी
423.	नगर और ग्राम्य आयोजना
424.	नगर आयोजना और वास्तुकला
425.	यातायात और परिवहन अभियांत्रिकी
426.	परिवहन अभियांत्रिकी
427.	परिवहन अभियांत्रिकी और प्रबंधन
428.	परिवहन प्रणाली अभियांत्रिकी
429.	टरबो मशीनरी
430.	वीएलएसआई
431.	वीएलएसआई और इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजीटल संचार
432.	वीएलएसआई और एम्बेडेड प्रणालियां
433.	वीएलएसआई और एम्बेडेड प्रणालियां डिजाइन
434.	वीएलएसआई और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स
435.	वीएलएसआई डिजाइन
436.	वीएलएसआई डिजाइन और एम्बेडेड प्रणालियां
437.	वीएलएसआई डिजाइन और टेस्टिंग
438.	वीएलएसआई प्रणाली डिजाइन
439.	वीएलएसआई प्रणालियां
440.	जल संसाधन अभियांत्रिकी
441.	जल संसाधन प्रबंधन
442.	वेब टेक्नोलॉजी
443.	तार और बेतार संचार

444.	बेतार और मोबाईल संचार
445.	बेतार संचार और मोबाइल कम्प्यूटिंग
446.	बेतार संचार प्रौद्योगिकी
447.	बेतार संचार
448.	बेतार प्रौद्योगिकी

2.3 शिक्षण कार्यक्रम: अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला स्तर: स्नातकपूर्व

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	ललित कला

2.4 शिक्षण कार्यक्रम: अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला स्तर: स्नातकोत्तर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
2.	ललित कला

2.5 शिक्षण कार्यक्रम: वास्तुकला और नगर आयोजना स्तर: स्नातकपूर्व

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
1	वास्तुकला अभियांत्रिकी
2	वास्तुकला
3	वास्तुकला (भवन सज्जा)
4	वास्तुकला (नगर आयोजना)
5	वास्तुकला (भवन अभियांत्रिकी और विनिर्माण प्रबंधन)
6	भवन सज्जा
7	आयोजना
8	शहरी और क्षेत्रीय आयोजना

2.6 शिक्षण कार्यक्रम: वास्तुकला और नगर आयोजना स्तर: स्नातकोत्तर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
1	वास्तुकला अभियांत्रिकी
2	वास्तुकला
3	वास्तुकला (आवास)
4	वास्तुकला (भूदृश्य निर्माण)
5	वास्तुकला (नगर आयोजना)
6	पर्यावरणीय आयोजना
7	आवास
8	औद्योगिक क्षेत्र आयोजना और प्रबंधन
9	अवसंरचना आयोजना
10	आयोजना
11	बसावट संरक्षण
12	सिद्धान्त और डिजाइन

13	नगर आयोजना
14	शहरी और क्षेत्रीय आयोजना
15	शहरी डिजाइन
16	शहरी आयोजना
17	शहरी परिवहन आयोजना और प्रबंधन

2.7 शिक्षण कार्यक्रम: होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी

स्तर: स्नातकपूर्व

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
1	आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन
2	होटल प्रबंधन
3	होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी
4	होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी

2.9 शिक्षण कार्यक्रम: होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी

स्तर: स्नातकोत्तर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
1	खाद्य और पेय पदार्थ प्रबंधन
2	आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन
3	होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी
4	होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी में निष्णात (एमएचएमसीटी)

2.10 शिक्षण कार्यक्रम: कंप्यूटर अनुप्रयोग

स्तर: स्नातकपूर्व

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	कंप्यूटर अनुप्रयोग

2.11 शिक्षण कार्यक्रम: कंप्यूटर अनुप्रयोग

स्तर: स्नातकोत्तर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	कंप्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात

2.12 शिक्षण कार्यक्रम: भेषजी

स्तर: स्नातकपूर्व

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	भेषजी

2.12 शिक्षण कार्यक्रम: भेषजी

स्तर: स्नातकोत्तर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	जैव भेषज शास्त्र
2.	थोक में औषधि निर्माण प्रौद्योगिकी
3.	क्लिनिक और अस्पताल भेषजिकी
4.	क्लिनिक भेषजिकी
5.	औषध विनियामक संबंधी कार्य
6.	क्लिनिक और अस्पताल भेषजिकी

7.	औद्योगिक भेषजिकी
8.	चिकित्सा रसायन
9.	चिकित्सा भेषजीय रसायन
10.	भेषज प्रौद्योगिकी
11.	भेषजीय प्रबंधन
12.	भेषजीय विश्लेषण
13.	भेषजीय विश्लेषण गुणवत्ता आश्वासन
14.	भेषजीय विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण
15.	भेषजीय आश्वासन
16.	भेषजीय जैव प्रौद्योगिकी
17.	भेषजीय रसायन
18.	भेषजीय प्रबंधन और विनियामक संबंधी कार्य
19.	भेषजीय विपणन
20.	भेषजीय विपणन प्रबंधन
21.	भेषजीय गुणवत्ता आश्वासन
22.	भेषजीय विज्ञान
23.	भेषजीय प्रौद्योगिकी
24.	भेषज शास्त्र
25.	भेषज शास्त्र (औषध विनियामक संबंधी कार्य)
26.	भेषज शास्त्र रसायन
27.	भेषज विज्ञान
28.	भेषज विज्ञान और पादप रसायन
29.	भेषज विज्ञान पादप औषध
30.	औषध विज्ञान
31.	औषध विज्ञान और विष विज्ञान
32.	भेषजिकी
33.	भेषजिकी (क्लिनिकल अनुसंधान)
34.	भेषजिकी (गुणवत्ता आश्वासन संबंधी तकनीक)
35.	भेषजिकी (गुणवत्ता आश्वासन)
36.	भेषजिकी प्रबंधन
37.	भेषजिकी पद्धति
38.	भेषजिकी पद्धति और क्लिनिकल भेषजिकी
39.	पादप रसायन
40.	पादप औषधि
41.	गुणवत्ता आश्वासन
42.	गुणवत्ता आश्वासन और औषध निर्माण संबंधी विनियम
43.	गुणवत्ता आश्वासन संबंधी तकनीक

परिशिष्ट 3

तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों/डिवीजनों की संख्या तथा दाखिले हेतु मानदण्ड

3.1 अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में नए तकनीकी संस्थान अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रमों के समूह 'ग' से पाठ्यक्रमों का विकल्प अपनाएंगे। अपनाए गए से पाठ्यक्रमों की कुल संख्या में से समूह 'ग' में से चयन किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की न्यूनतम संख्या को निम्नवत तालिका में दिया गया है।

नए तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा अपनाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	समूह 'ग' से चुने जाने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या	समूह 'ग' में सूचीबद्ध पाठ्यक्रम
5	3 और अधिक	अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन रसायन अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी, सिविल अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी, विनिर्माण अभियांत्रिकी कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, विद्युत अभियांत्रिकी और विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन तथा नियंत्रण अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, उत्पादन अभियांत्रिकी
4	3 और अधिक	
3	2 और अधिक	
2	1 और अधिक	
1	1	

3.2 स्नातकपूर्व स्तर

3.2 क	प्रति डिवीजन दाखिला	नये संस्थान में अनुमेय स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम और/अथवा डिवीजनों की अधिकतम संख्या (एकल पाली में चलने वाले)	
		डिवीजन	दाखिला
अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	60	5	300
भेषजी	60	3	180
वास्तुकला और नगर आयोजना	60	3	180
अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला	60	3	180
एचएमसीटी	60	3	180

3.2 ख अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में नए तकनीकी संस्थान अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रमों के समूह 'ग' से पाठ्यक्रमों का विकल्प अपनाएंगे। अपनाए गए से पाठ्यक्रमों की कुल संख्या की तुलना में से समूह 'ग' से चुने जाने वाले पाठ्यक्रमों की न्यूनतम संख्या को निम्नवत तालिका में दिया गया है।

नए तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा अपनाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	समूह 'ग' से चुने जाने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या	समूह 'ग' में सूचीबद्ध पाठ्यक्रम
5	3 और अधिक	अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन रसायन अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी, सिविल अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी, विनिर्माण अभियांत्रिकी कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, विद्युत अभियांत्रिकी और विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन तथा नियंत्रण अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, उत्पादन अभियांत्रिकी
4	3 और अधिक	
3	2 और अधिक	
2	1 और अधिक	
1	1	

3.3 स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर

	बहुय सहयोग के बिना प्रति डिवीजन दाखिला	बहुय सहयोग के बिना स्नातकोत्तर डिवीजन	बहुय सहयोग के बिना कुल योग	बहुय सहयोग / युगलित रहते हुए प्रति डिवीजन दाखिला	बहुय सहयोग / युगलित रहते हुए अनुमेय स्नातकोत्तर डिवीजन	
एमसीए	60	3	180	60	2	
प्रबंधन	60	3	180	60	2	
अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	30*	6	180	30	4	
मेषजी	30*	6	180	30	4	
वास्तुकला और नगर आयोजना	30*	6	180	30	4	
अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला	30*	6	180	30	4	
एचएमसीटी	30*	6	180	30	4	

*छह चरणों में अधिकतम 30, न्यूनतम 18

*स्नातकोत्तर स्तर में आवंटित दो डिवीजनों में से एक अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी की कंप्यूटर /सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में "सायबर सुरक्षा" अथवा सायबर सुरक्षा से संबंधित एक पाठ्यक्रम होगा।

* छह चरणों में न्यूनतम 18 तथा अधिकतम 24 सीटें।

* पाठ्यक्रम के प्रत्यायित होने पर 24 सीटों के अलावा 6 सीटें।

*18 से कम दाखिले की क्षमता वाले नये पाठ्यक्रम को अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे मौजूदा पाठ्यक्रम जिनमें दाखिले की क्षमता 18 से कम हैं, वे मौजूदा दाखिले की क्षमता के साथ जारी रह सकते हैं।

स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने वाला निजी लिमिटेड अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी/उद्योग

	प्रति डिवीजन दाखिला	नये संस्थान में अनुमेय स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम और/अथवा डिवीजनों की अधिकतम संख्या (एकल पाली में चलने वाले)	
		डिवीजन	दाखिला
अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	60	10	600
भेषजी	60	6	360
वास्तुकला और नगर आयोजना	60	6	360
अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला	60	6	360
होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी	60	6	360

क. ऐसी निजी कम्पनी और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी/उद्योग जिनका पिछले तीन वर्षों से कम से कम 100 करोड़ रुपये का कारोबार रहा हो, वे अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, भेषजी, वास्तुकला और नगर आयोजना और होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी में स्थापित किये गये नये तकनीकी संस्थान में यथा उपरोक्त विधिवत् प्रक्रिया का पालन कर दाखिले आरंभ करने के लिये आवेदन करने तथा अनुमति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

ख. ऐसी निजी कम्पनी और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी/उद्योगों द्वारा स्थापित संस्थान विहित नियमों द्वारा शासित होंगे।

ग. डिप्लोमा अथवा स्नातकपूर्व अथवा स्नातकोत्तर संस्थान की स्थापना करने वाले ऐसी निजी कम्पनी और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी/उद्योग अनुमोदित सूची से किसी भी पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं जिसमें दाखिले की क्षमता यथा उपरोक्त उसी कार्यक्रम में किसी भी संयोजन में दिये गये आंकड़ों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिशिष्ट 4

तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे महाविद्यालयों के लिए भूमि तथा भवन हेतु स्थान की आवश्यकता संबंधी मानदण्ड तकनीकी संस्थानों हेतु भूमि संबंधी अपेक्षाएं

	अपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में					
	ग्रामीण क्षेत्र के अलावा (सक्षम प्राधिकारी को यह अनुप्रमाणित करना होगा कि उक्त स्थान किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित नहीं है)			सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र		
	स्नातकपूर्व कार्यक्रम	डिप्लोमा	स्टैण्डालोन स्नातकोत्तर	स्नातकपूर्व कार्यक्रम	डिप्लोमा	स्टैण्डालोन स्नातकोत्तर कार्यक्रम

			कार्यक्रम			
अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	2.50	1.50	2.5	10.0	5.00	10.0
भेषजी	0.75	0.75	0.75	2.00	2.00	2.00
वास्तुकला और नगर आयोजना	1.00	1.00	1.00	2.50	2.50	2.50
अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला	0.75	0.75	0.75	2.00	2.00	2.00
एचएमसीटी	1.00	1.00	1.00	2.50	2.50	2.50
एमसीए	-	-	0.50	-	-	1.50

	4.1.1.	क	भूमि में छात्रावास सुविधा, यदि कोई हो तो, शामिल होंगी।
		ख	भूमि केवल एक भूखण्ड में होगी।
		ग	उत्तर पूर्वी राज्यों में भूमि के पर्वतीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, भूमि तीन भूखण्डों में उपलब्ध कराई जा सकती है जो कि एक दूसरे से एक किलोमीटर से अधिक दूर स्थित नहीं होने चाहिए।

	4.1.2	कार्यक्रम	एफएसआई=1 होने पर प्रति एकड़ उपलब्ध भूमि पर सामान्यतः अनुमेय छात्रों की संख्या
	क	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	300
	ख	भेषजी	250
	ग	वास्तुकला और नगर आयोजना	250
	घ	अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला	250
	ङ	एचएमसीटी	300
	च	एमसीए	300

4.2 विनिर्मित क्षेत्रफल संबंधी अपेक्षाएं

4.2	क	संस्थान शिक्षण क्षेत्र (आईएनए वर्ग मी. में कारपेट क्षेत्र), प्रशासनिक क्षेत्र (एडीए वर्ग मी. में कारपेट क्षेत्र), सुविधा क्षेत्र (एएमए वर्ग मी. में कारपेट क्षेत्र) में विभक्त किया गया है।
	ख	परिचालन क्षेत्र (सीआईए)= $0.25 \times (\text{आईएनए} + \text{एडीए} + \text{एएमए})$
	ग	वर्ग मीटर में कुल विनिर्मित क्षेत्र $(\text{आईएनए} + \text{एडीए} + \text{एएमए}) + (\text{सीआईए})$

4.2.1. वर्ग मीटर में शिक्षण क्षेत्र (कारपेट क्षेत्रफल)

अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी (डिग्री संस्थान)

	डिवीजनों की संख्या (60 छात्रों की कक्षा) स्नातकपूर्व वर्षों में	पाठ्य-क्रम की अवधि वर्षों में	कक्षाएं (ग)	अनुशिक्षण कक्षा (घ) स्नातकोत्तर कक्षाएं (ज)	प्रयोगशाला (जिसमें "एक्स" श्रेणी के पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त डब्ल्यू एस/प्रयोगशालाएं शामिल हैं)	अनुसंधान प्रयोग-शाला	कार्यशाला (सभी पाठ्यक्रमों के लिए)	"एक्स" श्रेणी के पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त डब्ल्यू एस/प्रयोग-शालाएं	कम्प्यूटर केन्द्र	ड्राईंग हॉल	ग्रंथालय तथा वाचनालय	सम्मेलन हॉल
कारपेट क्षेत्रफल, वर्ग मीटर प्रति कक्षा			66	33	66	66	200	200	150	132	400	132
नये संस्थान के लिए अपेक्षित कक्षाओं की संख्या	ए	4	सी=ए	डी=सी/4	02/पाठ्यक्रम	-	1	-	1	1	1	1
कक्षा की कुल संख्या (स्नातकपूर्व)	ए	4	सी=एx4	डी=सी/4	10/पाठ्यक्रम #	-	1	2/ पाठ्यक्रम (अधिकतम 4)	1	1	1	1/ पाठ्यक्रम
कक्षा की कुल संख्या (स्नातकोत्तर)	एफ	2	-	एच=एफ x2	1/विशेषज्ञता	1/ विशेषज्ञता						

1.	"एक्स" श्रेणी के पाठ्यक्रम: यांत्रिक, उत्पादन, सिविल, विद्युत, रसायन, वस्त्र, सामुद्रिक, वैमानिकी तथा प्रत्येक के संबंधित पाठ्यक्रम।
2.	द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष के लिए अपेक्षित कक्षाओं, अनुशिक्षण कक्षा, तथा प्रयोगशालाओं को प्रगामी रूप से जोड़ा जा सकता है ताकि यथा उल्लिखित कुल संख्या को प्राप्त किया जा सके।
3	420 से इतर प्रति 60 छात्रों (स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर) पर 50 वर्ग मीटर का अतिरिक्त ग्रंथालय (वाचनालय) क्षेत्रफल।
4	यदि स्नातकोत्तर प्रयोगशाला की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सहभागिता की जाती है तो स्नातकोत्तर प्रयोगशाला की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का उन्नयन किया जाएगा।
5	# प्रगामी आवश्यकता को द्वितीय वर्ष के पश्चात् प्रति पाठ्यक्रम 3+3+2 प्रयोगशाला के आधार पर परिकलित किया जाएगा।
6	#डिवीजनों के प्रति पाठ्यक्रम दो से अधिक होने पर प्रति पाठ्यक्रम पर अतिरिक्त पांच प्रयोगशालाएं।
7	परिकलन करते हुए अंश को अगली पूर्ण संख्या पर पूर्णांकित किया जाएगा।

भेषज (डिग्री संस्थान)

	डिवीजनों की संख्या (60 छात्रों की कक्षा) स्नातकपूर्व (18 छात्रों की कक्षा) स्नातकोत्तर	पाठ्यक्रम की अवधि वर्षों में	कक्षाएं	अनुशिक्षण कक्ष	प्रयोगशाला (जिसमें मशीन कक्ष तथा उपकरण कक्ष शामिल हैं)	अनुसंधान प्रयोगशाला	पशु गृह	कंप्यूटर कक्ष	ग्रंथालय तथा वाचनालय	सम्मेलन हॉल
कारपेट क्षेत्रफल, वर्ग मीटर प्रति कक्ष			66	33	75	75	75	75	150	132
नये संस्थान के लिए अपेक्षित कक्षाओं की संख्या	ए	4	सी=ए	डी=सी/4	12	-	1	1	1	1
कक्ष की कुल संख्या (स्नातकपूर्व)	ए	4	सी=एx4	डी=सी/4	12	-				
कक्ष की कुल संख्या (स्नातकोत्तर)	एफ	2	-	एच=एफx2	1/विशेषज्ञता	1/ विशेषज्ञता	1	1	1	1
1	प्रयोगशाला में मशीन कक्ष तथा उपकरण कक्ष शामिल हैं।									
2	द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष के लिए अपेक्षित कक्षाओं, अनुशिक्षण कक्ष, तथा प्रयोगशालाओं को प्रगामी (3+3+2) रूप से जोड़ा जा सकता है ताकि यथा उल्लिखित कुल संख्या को प्राप्त किया जा सके।									
3	यदि स्नातकोत्तर प्रयोगशाला की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सहभागिता की जाती है तो स्नातकोत्तर प्रयोगशाला की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का उन्नयन किया जाएगा।									
4	परिकलन करते हुए अंश को अगली पूर्ण संख्या पर पूर्णांकित किया जाएगा।									

वास्तुकला तथा नगर आयोजना (डिग्री संस्थान)

	डिवीजनों की संख्या (60 छात्रों की कक्षा) स्नातकपूर्व (18 छात्रों की कक्षा) स्नातकोत्तर	पाठ्यक्रम की अवधि वर्षों में	कक्षाएं(ग)	अनुशिक्षण कक्ष (घ) स्नातकोत्तर कक्षाएं (ज)	कंप्यूटर प्रयोगशाला सहित प्रयोगशाला	अनुसंधान प्रयोगशाला	मॉडल निर्माण तथा बढई कार्यशाला	स्टूडियो/मैटीरियल म्यूजियम	कंप्यूटर कक्ष	ग्रंथालय तथा वाचनालय	सम्मेलन हॉल
कारपेट क्षेत्रफल, वर्ग मीटर प्रति कक्ष			66	33	66	66	200	132	75	150	132
नये संस्थान के लिए अपेक्षित कक्षाओं की संख्या	ए	5	सी=ए	डी=सी/4	1	-	1	1	1	1	1

कक्ष की कुल संख्या (स्नातकपूर्व)	ए	5	सी=एx5	डी=सी/4	5	-					
कक्ष की कुल संख्या (स्नातकोत्तर)	एफ	2	-	एच=एफx2	1/विशेषज्ञता	1/ विशेषज्ञता	1	5	1	1	1

1	द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवें वर्ष के लिए अपेक्षित कक्षाओं, अनुशिक्षण कक्ष, तथा प्रयोगशालाओं को प्रगामी (1+1+1) रूप से जोड़ा जा सकता है ताकि यथा उल्लिखित कुल संख्या को प्राप्त किया जा सके। यदि स्नातकोत्तर प्रयोगशाला की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सहभागिता की जाती है तो स्नातकोत्तर प्रयोगशाला की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का उन्नयन किया जाएगा।
2	परिकलन करते हुए अंश को अगली पूर्ण संख्या पर पूर्णांकित किया जाएगा।

अनुप्रयुक्त कला तथा शिल्पकला (डिग्री संस्थान)

	डिवीजनों की संख्या (60 छात्रों की कक्षा) स्नातकपूर्व (18 छात्रों की कक्षा) स्नातकोत्तर	पाठ्यक्रम की अवधि वर्षों में	कक्षाएं (ग)	अनुशिक्षण कक्ष (घ) स्नातकोत्तर कक्षाएं (ज)	फोटोग्राफी और कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहित प्रयोगशाला	अनुसंधान प्रयोगशाला	कार्यशाला	स्टूडियो/ प्रदर्शन कक्ष	कम्प्यूटर कक्ष	ग्रंथालय तथा वाचनालय	सम्मेलन हॉल
कारपेट क्षेत्रफल, वर्ग मीटर प्रति कक्ष			66	33	66	66	200	132	75	150	132
नये संस्थान के लिए अपेक्षित कक्षाओं की संख्या	ए	5	सी=ए	डी=सी/4	1	-	1	1	1	1	1
कक्ष की कुल संख्या (स्नातकपूर्व)	ए	5	सी=एx5	डी=सी/4	3	-					
कक्ष की कुल संख्या (स्नातकोत्तर)	एफ	जी	-	एच=एx जी	1/विशेषज्ञता	1/ विशेषज्ञता	1	1	1	1	1

1	द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवें वर्ष के लिए अपेक्षित कक्षाओं, अनुशिक्षण कक्ष, तथा प्रयोगशालाओं को प्रगामी (1+1+1) रूप से जोड़ा जा सकता है ताकि यथा उल्लिखित कुल संख्या को प्राप्त किया जा सके। यदि स्नातकोत्तर प्रयोगशाला की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सहभागिता की जाती है तो स्नातकोत्तर प्रयोगशाला की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का उन्नयन किया जाएगा।
2	परिकलन करते हुए अंश को अगली पूर्ण संख्या पर पूर्णांकित किया जाएगा।

होटल प्रबंधन तथा खान-पान प्रौद्योगिकी (डिग्री संस्थान)

	डिजीजनों की संख्या (60 छात्रों की कक्षा) स्नातकपूर्व तथा (18 छात्रों की कक्षा) स्नातकोत्तर	पाठ्यक्रम की अवधि वर्षों में	कक्षाएं (ग)	अनुशिक्षण कक्ष (घ) स्नातकोत्तर कक्षाएं (ज)	प्रयोगशाला / आगन्तुक कक्ष	रसोईघर	रेस्त्रां	कम्प्यूटर कक्ष	ग्रंथालय तथा वाचनालय	सम्मेलन हॉल
कारपेट क्षेत्रफल, वर्ग मीटर प्रति कक्ष			66	33	66	132	66	75	150	132
नये संस्थान के लिए अपेक्षित कक्षाओं की संख्या	ए	4	सी=ए	डी=सी/4	3	1	1	1	1	1
कक्ष की कुल संख्या (स्नातकपूर्व)	ए	4	सी=एx4	डी=सी/4	10	2				
कक्ष की कुल संख्या (स्नातकोत्तर)	एफ	जी	-	एच=एफxजी	1/विशेषज्ञता	1/विशेषज्ञता	2	1	1	1

1	द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवें वर्ष के लिए अपेक्षित कक्षाओं, अनुशिक्षण कक्ष, तथा प्रयोगशालाओं को प्रगामी (3+2+2) रूप से जोड़ा जा सकता है ताकि यथा उल्लिखित कुल संख्या को प्राप्त किया जा सके। यदि स्नातकोत्तर प्रयोगशाला की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सहभागिता की जाती है तो स्नातकोत्तर प्रयोगशाला की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का उन्नयन किया जाएगा।
2	परिकलन करते हुए अंश को अगली पूर्ण संख्या पर पूर्णांकित किया जाएगा।

एमसीए (डिग्री संस्थान)

	डिजीजनों की संख्या (60 छात्रों की कक्षा) स्नातकपूर्व	पाठ्यक्रम की अवधि वर्षों में	कक्षाएं (ग)	अनुशिक्षण कक्ष (घ)	कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं	कम्प्यूटर केन्द्र	ग्रंथालय तथा वाचनालय	सम्मेलन हॉल (ई)
कारपेट क्षेत्रफल, वर्ग मीटर प्रति कक्ष			66	33	66	150	100	132
नये संस्थान के लिए अपेक्षित कक्षाओं की संख्या	ए	3	सी=ए	डी=सी/4	2	1	1	1
कक्ष की कुल संख्या	ए	3	सी=एx3	डी=सी/4	4	1	1	ई=सी/4

1	द्वितीय, तृतीय, वर्ष के लिए अपेक्षित कक्षाओं, अनुशिक्षण कक्ष, तथा प्रयोगशालाओं को प्रगामी (1+1) रूप से जोड़ा जा सकता है ताकि यथा उल्लिखित कुल संख्या को प्राप्त किया जा सके।
2	परिकलन करते हुए अंश को अगली पूर्ण संख्या पर पूर्णांकित किया जाएगा।

4.2.2 प्रशासनिक क्षेत्र (कारपेट क्षेत्रफल) वर्ग मीटर में

	प्रधानाचार्य का कार्यालय	बोर्ड कक्ष	संपूर्ण कार्यालय	विभाग कार्यालय	विभागाध्यक्षों के लिए केबिन	संकाय कक्ष	केन्द्रीय भण्डार	अनुशिक्षण	सुरक्षा	हाउसकीपिंग	कर्मचारियों के लिए पेंटर	परीक्षा नियंत्रण कार्यालय	प्लेसमेंट कार्यालय
कारपेट क्षेत्रफल, वर्ग मीटर प्रति कक्ष	30	20	150* 300\$	20	10	5	30	10	10	10	10	30	30
नये तकनीकी महाविद्यालय के लिए अपेक्षित कक्षाओं की संख्या	1	1	1	-	-	प्रथम वर्ष छात्रों का दाखिला /15	1	1	1	1	1	1	-
कक्ष की कुल संख्या	1	1	1	1/विभाग	1/विभाग	संस्थान में प्रति शिक्षण संकाय एक (मानकों के अनुसार)	1	1	1	1	1	1	1

1	\$एक से अधिक शिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले तकनीकी महाविद्यालय
2	* एक शिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले तकनीकी महाविद्यालय

4.2.3 सुविधा क्षेत्र (कारपेट क्षेत्रफल) वर्ग मीटर में

	शौचालय (महिला तथा पुरुष)	छात्रों के लिए विनोद कक्ष	छात्राओं के लिए विनोद कक्ष	अल्पाहार गृह	लेखन सामग्री भण्डार	प्रथमोपचार सह अस्वस्थता कक्ष	प्रधानाचार्य का आवास	अतिथि गृह	खेल-कूद क्लब / व्यायामशाला	सभाभवन / खुला नाट्यगृह	छात्रों हेतु छात्रावास	छात्राओं हेतु छात्रावास
एक से अधिक शिक्षण कार्यक्रमों वाले तकनीकी महाविद्यालयों का प्रति कक्ष वर्ग मीटर में कारपेट क्षेत्रफल	350*	100	100	150	10	10	150	30	200	400	पर्याप्त	पर्याप्त
एक शिक्षण कार्यक्रम वाले तकनीकी महाविद्यालयों का प्रति कक्ष वर्ग मीटर में कारपेट क्षेत्रफल	150\$	75	75	150	10	10	150	30	100	250		
नये तकनीकी महाविद्यालयों के लिए अपेक्षित कक्षाओं की संख्या	पर्याप्त	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
कक्षाओं की कुल संख्या	पर्याप्त	1	1	1	1	1	वांछित	वांछित	वांछित	वांछित	वांछित	वांछित

1	*एक से अधिक शिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले तकनीकी महाविद्यालयों हेतु अनुमानित कुल क्षेत्रफल
2	\$ एक शिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले तकनीकी महाविद्यालयों हेतु अनुमानित कुल क्षेत्रफल

4.2.4 परिचालन क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

4.2.4	क	पैदल चलने के आम रास्ते, सीढ़ी, प्रवेश लॉबी को शामिल करते हुए शिक्षण, प्रशासनिक और सुविधा क्षेत्रफल के कुल योग के 25 प्रतिशत का परिचालन क्षेत्र होना वांछनीय है।
-------	---	---

परिशिष्ट 5

तकनीकी संस्थान हेतु पुस्तकों, जर्नलों, ग्रंथालय सुविधाओं, कम्प्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, तथा प्रयोगशाला उपस्करों हेतु मानक

5.1 , कम्प्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट

		कम्प्यूटर, की संख्या की तुलना में छात्रों की संख्या का अनुपात (कम से कम 20 कम्प्यूटर)	विधिक प्रणाली सॉफ्टवेयर	विधिक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर	लैन तथा इंटरनेट	मेल सर्वर एवं क्लाईट	इंटरनेट एमबीपीएस प्रति 240 छात्रों के दाखिले पर 1:1 का बैडविड्थ कनेक्शन (न्यूनतम 1एमबीपीएस)	रंगीन प्रिंटर सहित प्रिंटर (कुल कम्प्यूटरों का कुल प्रतिशत)
अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी			03	20	सभी	वांछित	02	10 प्रतिशत
	स्नातकपूर्व	1:4						
	स्नातकोत्तर	1:2						
भेषजी			01	10	सभी	वांछित	01	5 प्रतिशत
	स्नातकपूर्व	1:6						
	स्नातकोत्तर	1:6						
वास्तुकला और नगर आयोजना			01	10	सभी	वांछित	01	5 प्रतिशत
	स्नातकपूर्व	1:6						
	स्नातकोत्तर	1:6						
अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला			01	10	सभी	वांछित	01	5 प्रतिशत
	स्नातकपूर्व	1:6						
	स्नातकोत्तर	1:6						
एचएमसीटी			01	10	सभी	वांछित	01	5 प्रतिशत
	स्नातकपूर्व	1:6						
	स्नातकोत्तर	1:6						
एमसीए	स्नातकोत्तर	1:2	03	20	सभी	वांछित	02	10 प्रतिशत

5.1	क	ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
	ख	सुरक्षित वाई-फाई सुविधा की पुरजोर सिफारिश की जाती है।
	ग	नवीनतम सॉफ्टवेयरों की खरीद की जानी चाहिए।
	घ	ग्रंथालय, प्रशासनिक अधिकारियों तथा संकाय सदस्यों को लैन तथा इंटरनेट के साथ विशिष्ट कम्प्यूटर की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। इसे कम्प्यूटर की तुलना में छात्रों के अनुपात की अपेक्षा से पृथक समझा जाना चाहिए।
	ङ	@पर्याप्त संख्या में सॉफ्टवेयरों के लाइसेंसों की आवश्यकता है।
	च	# छात्रों के लिए केन्द्रीयकृत फोटोकॉपी की सुविधा होनी चाहिए।

5.2 प्रयोगशाला उपस्कर और प्रयोग

5.2 (क)	प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त उपस्कर होने चाहिये जैसाकि संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड के पाठ्यक्रम हेतु अपेक्षाओं में उपयुक्त बताया गया है/उल्लेख किया गया है। यह वांछनीय है कि प्रयोगों की व्यवस्था इस प्रकार की जाए की एक सेट पर अधिकतम चार छात्र कार्य कर सकें।
---------	---

5.3 पुस्तकें, जर्नल तथा ग्रंथालय सुविधाएं

शिक्षण कार्यक्रम	डिवीजनों की कुल संख्या	शीर्षक	खण्ड	राष्ट्रीय जर्नल	अंतराष्ट्रीय जर्नल	ई-जर्नल	वाचनालय कक्ष में बैठने की व्यवस्था	डिजिटल ग्रंथालय/ इंटरनेट हेतु मल्टीमीडीया कंप्यूटर
		संख्या					छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत	छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत
अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी (स्नातकपूर्व)	ख	100	500×ख	6×ख	वांछित	अनुलग्नक 10 के अनुसार	15% (अधिकतम 150)	1% (अधिकतम 10)
		50 प्रति पाठ्यक्रम	250 प्रति पाठ्यक्रम – डिवीजन					
भेषजी (स्नातकपूर्व)	ख	100	500 × ख	6×ख				
		50	500 × ख					
वास्तुकला और नगर आयोजना (स्नातकपूर्व)	ख	100	400 × ख	6×ख				
		50	400 × ख					
अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला (स्नातकपूर्व)	ख	100	500 × ख	6×ख			25% (अधिकतम 100)	
		50	500 × ख					
एचएमसीटी	ख	100	500 × ख	6×ख				
		50	500 × ख					
एमसीए (स्नातकोत्तर)	ख	100	500 × ख	12×ख				
		50	500 × ख					
अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी / भेषजी / वास्तुकला और नगर आयोजना / अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला (स्नातकोत्तर)	ख	50	200	5×ख				
		आवश्यकतानुसार	100					

ख = प्रथम वर्ष (पाली 1+2) में डिवीजनों की संख्या+द्वितीय वर्ष प्रत्यक्ष डिवीजनों की संख्या (पाली 1+2)।

1	नए संस्थान को आरंभ करते समय अपेक्षित पुस्तकों के शीषकों तथा खण्डों की संख्या।
2	वर्ष 1950 से पूर्व आरंभ किए गए संस्थानों हेतु अपेक्षित पुस्तकों के शीषकों तथा खण्डों की संख्या का परिकलन, वर्ष 1950 को आरंभिक वर्ष मानते हुए किया जायेगा।
3	वार्षिक वेतन वृद्धि।
4	अतिरिक्त डिवीजन/पाठ्यक्रम हेतु घटक।
5	अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों की हार्ड प्रति की खरीद करना वांछनीय है। तथापि, परिशिष्ट 10 के अनुसार ई-जर्नल तथा राष्ट्रीय जर्नलों की नियमित खरीद करना अनिवार्य है।
6	जर्नलों तथा पुस्तकों में विज्ञान और मानविकी विषय सम्मिलित किये जा सकते हैं।
7	मल्टीमीडिया सुविधा के साथ डिजिटल ग्रंथालय सुविधा अनिवार्य है।
8	ग्रंथालय में फोटोकापी की सुविधा अनिवार्य है।
9	ग्रंथालय में दस्तावेजों की स्कैनिंग सुविधा अनिवार्य है।
10	ग्रंथालय में दस्तावेजों के मुद्रण की सुविधा अनिवार्य है।
11	मानक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार ग्रंथालय पुस्तकों/गैर-पुस्तक वर्गीकरण करना अनिवार्य है।
12	ग्रंथालय में एनपीटीईएल सुविधा की उपलब्धता अनिवार्य है।
13	बार कोड /आरएफ टैग के साथ पुस्तकों की सप्लाय हेतु कम्प्यूटरीकृत अनुक्रमणिका तैयार करना वांछनीय है।

परिशिष्ट-6

तकनीकी महाविद्यालयों के लिये अनिवार्य और वांछित अपेक्षाओं के संबंध में मानदण्ड (जिन बिंदुओं को अनिवार्य के रूप में चिह्नित किया गया है उन्हें विशेषज्ञ समिति के दौरे के समय उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है)।

1.	भाषा प्रयोगशाला	
	भाषा प्रयोगशाला को भाषा में अनुशिक्षण हेतु उपयोग किया जाता है। इनमें वे छात्र भाग लेते हैं जो अंग्रेजी में उपचार्य कक्षाओं का स्वैच्छिक रूप से चुनाव करते हैं। पाठ तथा अभ्यास को साप्ताहिक आधार पर दर्ज किया जाता है ताकि छात्रों को बहु-विषयों पर सुनने तथा बोलने का प्रशिक्षण दिया जा सके। यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिए लाभदायक होता है जो अंग्रेजी भाषा में कमजोर होते हैं तथा जिनका उद्देश्य साक्षात्कार तथा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अपने आत्मविश्वास का निर्माण करना होता है। भाषा प्रयोगशाला सत्रों में शब्द संबंधी क्रीड़ाएं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, किसी विषय पर बिना तैयारी के बोलना, वाद-विवाद, व्यंग्य रचना भी शामिल है। इन सत्रों में ऑन-लाइन ज्ञान अर्जन सत्र भी शामिल होते हैं जो बहुदेशीय कम्प्यूटर प्रयोगशाला में किये जाते हैं। इन प्रयोगशालाओं में प्रत्येक 1000 छात्रों पर 25 कम्प्यूटर होंगे।	अनिवार्य
2.	महत्वपूर्ण स्थानों पर पेयजल आपूर्ति तथा नल की सुविधा।	अनिवार्य
	विद्युत आपूर्ति।	अनिवार्य
	बैकअप विद्युत आपूर्ति।	वांछनीय
	जल-मल निपटान।	अनिवार्य

	टेलीफोन तथा फ़ैक्स।	अनिवार्य
	वाहन पाकिंग।	अनिवार्य
	संस्थान की वेबसाईट।	अनिवार्य
	निशक्त तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु अवरोध मुक्त निर्माण परिवेश साथ ही महिलाओं और पुरुषों के लिये विशेष रूप से विनिर्मित पृथक शौचालय की उपलब्धता। निशक्त तथा वरिष्ठ व्यक्तियों हेतु अवरोध मुक्त निर्माण परिवेश संबंधी दिशानिर्देशों तथा स्थान संबंधी मानकों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय, भारत के दिशानिर्देशों का अवलोकन करें।	अनिवार्य
	अग्नि तथा अन्य आपदाओं सहित सुरक्षा व्यवस्था।	अनिवार्य
	अग्नि, चोरी तथा अन्य आपदाओं के लिए परिसम्पत्तियों हेतु उपलब्ध कराया गया सामान्य बीमा।	अनिवार्य
	बारहमासी पहुंच मार्ग	अनिवार्य
	सामान्य नोटिस बोर्ड तथा विभागीय नोटिस बोर्ड	अनिवार्य
	प्रथमोचार, चिकित्सा तथा परामर्श सुविधाएं	अनिवार्य
	महत्वपूर्ण स्थानों पर सामान्य उद्घोषणाएं करने/खोज करने तथा आपातकाल में उद्घोषणाएं करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली।	वांछनीय
	छात्र –संस्थान–माता–पिता अन्योन्यक्रिया हेतु इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर।	अनिवार्य
	परिवहन वाछित है।	वांछनीय
	डाक, बैंकिंग सुविधा/एटीएम।	वांछनीय
	सीसीटीवी सुरक्षा प्रणाली।	वांछनीय
	कक्षाओं में एलसीडी(अथवा इसके समान) प्रोजेक्टर।	वांछनीय
	कर्मचारियों को समूह बीमा योजना उपलब्ध कराया जाए।	वांछनीय
	छात्रों के लिए बीमा।	वांछनीय
	कर्मचारियों के लिए आवास।	वांछनीय

परिशिष्ट 7

तकनीकी शिक्षा की पेशकश करने वाले महाविद्यालयों हेतु संकाय संबंधी अपेक्षाएं तथा संवर्ग अनुपात मानदण्ड

7.1 संकाय संबंधी अपेक्षाएं तथा संवर्ग अनुपात (स्नातकोत्तर)

	संकाय: छात्र अनुपात	प्रधानाचार्य	आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य	कुल क+ख+ग+घ
		क	ख	ग	घ	क+ख+ग+घ
अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी	1:15* (1:20)**	1	(एस/15 एक्सआर)-1	(एस/15 एक्सआर)-2	(एस/15 एक्सआर)-6	एस /15
भेषजी	1:15* (1:20)**	1	(एस/15 एक्सआर)-1	(एस/15 एक्सआर)-2	(एस/15 एक्सआर)-6	एस /15
वास्तुकला और नगर आयोजना	1:10* (1:15)**	1	(एस/10 एक्सआर)-1	(एस/10 एक्सआर)-2	(एस/10 एक्सआर)-6	एस /10
अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला	1:10* (1:15)**	1	(एस/10 एक्सआर)-1	(एस/10 एक्सआर)-2	(एस/10 एक्सआर)-6	एस /10
एचएमसीटी	1:15* (1:20)**	1	(एस/15 एक्सआर)-1	(एस/15 एक्सआर)-2	(एस/15 एक्सआर)-6	एस /15

7.1 क	एस = सभी वर्षों के दौरान अनुमोदित छात्रों की संख्या के अनुसार छात्रों की संख्या का योग। आर = (1+2+6)
--------------	---

* संकाय और छात्र अनुपात शीघ्रातिशीघ्र, और अधिकतम तीन अकादमिक वर्षों से पूर्व ही प्राप्त किया जाना चाहिये।

** न्यूनतम संकाय-छात्र अनुपात बनाये रखा जाना चाहिये।

1:2:6 का विनिर्धारित संवर्ग अनुपात शीघ्रातिशीघ्र और अधिकतम तीन अकादमिक वर्षों से पूर्व ही प्राप्त किया जाना चाहिये।

7.2 संकाय संबंधी अपेक्षाएं तथा संवर्ग अनुपात (स्नातकोत्तर)

	संकाय: छात्र अनुपात	प्रधानाचार्य/ निदेशक	आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य	कुल क+ख+ग+घ
		क	ख	ग	घ	क+ख+ग+घ
*अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी	1:12	-	एस/12 एक्सआर	एस/12 एक्सआर	एस/12 एक्सआर	एस /12
भेषजी	1:12	-	एस/12 एक्सआर	एस/12 एक्सआर	एस/12 एक्सआर	एस /12
*वास्तुकला और नगर	1:10	-	एस/10	एस/10	एस/10	एस /10

आयोजना			एक्सआर	एक्सआर	एक्सआर	
*अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला	1:10	-	एस/10 एक्सआर	एस/10 एक्सआर	एस/10 एक्सआर	एस /10
*एचएमसीटी	1:12	-	एस/12 एक्सआर	एस/12 एक्सआर	एस/12 एक्सआर	एस /12
*एमसीए	1:15	1	(एस/15 एक्सआर) – 1	(एस/15 एक्सआर) – 2	(एस/15 एक्सआर) – 6	एस /15

7.1 क	एस = सभी वर्षों के दौरान अनुमोदित छात्रों की संख्या के अनुसार छात्रों की संख्या का योग *आर = (1+2) #आर = (1+2+6)
-------	---

परिशिष्ट 8: संकाय संवर्ग तथा अर्हताएं

तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक स्टाफ की अनिवार्य और वांछित योग्यताएं समय-समय पर यथा संशोधित वि०अ०आ० विनियमों (विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखना), 2010 के अनुरूप होंगी।

परिशिष्ट 9 : ई-जर्नलों का सबस्क्रिप्शन (वांछनीय)

स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले अभियांत्रिकी संस्थानों के लिए वांछनीय ई-जर्नलों के पैकेजों का सबस्क्रिप्शन

क्र.स.	प्रकाशक	विषय	ई-विषयवस्तु	एआईसीटीई संस्थानों के लिए वार्षिक सबस्क्रिप्शन की दर
1.	आईईईई	कंप्यूटर अभियांत्रिकी+ कंप्यूटर विज्ञान+विद्युत तथा इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी + दूरसंचार एवं संबद्ध विषय	आईईईई – सभी सोसायटी की पत्रिकाएं ई-पैकेज (एसपीपी) (145 ई-जर्नल) (2011) (वर्ष 2000 तथा उसके पश्चात् बैक फाईल तक पहुंच)	4980 अमरीकी डालर
2.	एसएमई	यांत्रिक अभियांत्रिकी	एसएमई ई-जर्नल पैकेज (ई-जर्नल) (2011) (वर्ष 2000 तथा उसके पश्चात् बैक फाईल तक पहुंच)	2156 अमरीकी डालर
3	एससीई	सिविल अभियांत्रिकी	एससीई ई-जर्नल पैकेज (33	2520 अमरीकी डालर

			ई-जर्नल) (2011) (वर्ष 1983 तथा उसके पश्चात् बैंक फाईल तक पहुंच)	
4	मैक ग्रा हिल	सामान्य अभियांत्रिकी एवं संदर्भ	एक्सेस इंजीनियरिंग लाइब्रेरी	1969 अमरीकी डालर
5	एलसेवियर	अभियांत्रिकी + कंप्यूटर विज्ञान (विद्युत+इलेक्ट्रानिक्स + यांत्रिक + सिविल तथा ढांचागत + एरोस्पेस + जैव चिकित्सा + औद्योगिक तथा विनिर्माण + महासागरीय अभियांत्रिकी + परिकलन यांत्रिकी तथा संरक्षा जोखिम, विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता+कंप्यूटर नेटवर्क तथा दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर विज्ञान, परिकलन सिद्धान्त तथा गणित, कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन, सूचना प्रणालियां, नियंत्रण तथा प्रणालीगत अभियांत्रिकी तथा सॉफ्टवेयर	साईंस डायरेक्ट 275 जर्नल (वर्ष 2000 तथा उसके पश्चात् बैंक फाईल तक पहुंच)	6500 अमरीकी डालर
6	एएसटीएम डिजीटल लाइब्रेरी ऑन-लाइन वर्जन	अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ऑन-लाइन शब्द कोश विद्युत तथा इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी यांत्रिक अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी, धातुकर्म, पेट्रोलियम, इंस्ट्रुमेंटेशन	एएसटीएम डीएल (डिजीटल ग्रंथालय) 1700 से अधिक ई-पुस्तकें तथा 13000 से अधिक जर्नल तथा लेख	1100 अमरीकी डालर

टिप्पण :

- 1 संस्थान जिनमें केवल प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के स्नातकपूर्व छात्र हैं तथा वे संस्थान जो स्थापित किये जा रहे हैं, वे केवल एलसेवियर तथा एएसटीएम डिजीटल ग्रंथालय पेकेजों (क्र0स0 5,6 पर) को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
- 2 उपरोक्त टिप्पण 1 के अलावा सभी संस्थान उपरोक्त क्र0स0 1 से 6 तक सभी पेकेजों को सब्सक्राइब करेंगे।
- 3 सिविल अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों की पेशकश नहीं करने वाले संस्थानों को एएससीई पेकेजों को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है।
4. यांत्रिक अभियांत्रिकी की पेशकश नहीं करने वाले संस्थानों को एएसएमई पेकेजों को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है।
5. जिन संस्थानों ने पहले ही ऑन-लाइन आईईईएल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें आईईईई-एसपीपी पेकेजों को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है जबतक कि इसका सबस्क्रिप्शन वैध न हो।

स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करने वाले सभी भेषज संस्थानों के लिए ई-जर्नलों का वांछनीय सबस्क्रिप्शन:

प्रकाशक	विषय	ई-विषयवस्तु	एआईसीटीई संस्थानों के लिए वार्षिक सबस्क्रिप्शन की दर
बेनथेम	भेषज	भेषज संग्रहण (23 ई-जर्नल) (2011) (वर्ष 2000 तथा उसके पश्चात् बैक फाईल तक पहुंच)	1000 अमरीकी डालर
एलसेवियर	भेषज	सईस डायरेक्ट 70 जर्नल (वर्ष 2000 तथा उसके पश्चात् बैक फाईल तक पहुंच)	5400 अमरीकी डालर

स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करने वाले सभी वास्तुकला संस्थानों के लिए ई-जर्नलों का वांछनीय सबस्क्रिप्शन:

प्रकाशक	विषय	ई-विषयवस्तु	एआईसीटीई संस्थानों के लिए वार्षिक सबस्क्रिप्शन की दर
ईबीएससीओ	वास्तुकला	कला और वास्तुकला संपूर्ण (1081 ई-जर्नल, पत्रिकाएं तथा व्यापार संबंधी प्रकाशन) (2011)	3800 अमरीकी डालर

स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करने वाले सभी होटल प्रबंधन संस्थानों के लिए ई-जर्नलों का वांछनीय सबस्क्रिप्शन:

प्रकाशक	विषय	ई-विषयवस्तु	एआईसीटीई संस्थानों के लिए वार्षिक सबस्क्रिप्शन की दर
ईबीएससीओ	होटल प्रबंधन	आतिथ्य तथा पर्यटन संपूर्ण (761 ई-जर्नल, पत्रिकाएं तथा व्यापार संबंधी प्रकाशन) (2011)	3500 अमरीकी डालर

विशेषज्ञता वाले निम्नवत स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करने वाले सभी संस्थानों के लिए ई-जर्नलों का वांछनीय सबस्क्रिप्शन:

प्रकाशक	विषय	ई-विषयवस्तु	एआईसीटीई संस्थानों के लिए वार्षिक सबस्क्रिप्शन की दर
एलसेवियर	जैव प्रौद्योगिकी	70 (वर्ष 2000 तथा उसके पश्चात् बैक फाईल तक पहुंच)	4000 अमरीकी डालर
	रसायन अभियांत्रिकी	30 (वर्ष 2000 तथा उसके पश्चात् बैक फाईल तक पहुंच)	3000 अमरीकी डालर
	पर्यावरण अभियांत्रिकी	60 (वर्ष 2000 तथा उसके पश्चात् बैक फाईल तक पहुंच)	4500 अमरीकी डालर
	नैनो प्रौद्योगिकी	10 (वर्ष 2000 तथा उसके पश्चात् बैक फाईल तक पहुंच)	2000 अमरीकी डालर
	भू प्रौद्योगिकी	10 (वर्ष 2000 तथा उसके पश्चात् बैक फाईल तक पहुंच)	1500 अमरीकी डालर

अभियांत्रिकी में शिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थान अभियांत्रिकी, इसी प्रकार वास्तुकला, भेषज तथा अभियांत्रिकी में पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान संगत विषयों के सभी पेकेजों को सब्सक्राइब कर सकते हैं।

स्नातकोत्तर अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम में शिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थानों के लिए वैकल्पिक पेकेज

प्रकाशक	विषय	ई-विषयवस्तु	एआईसीटीई संस्थानों के लिए वार्षिक सबस्क्रिप्शन की दर
आईएसओ	आईएसओ जेसीटी 1 सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स और दूरसंचार	(2630) मानक	सीएचएफ 2300 सीएचएफ-स्विस फ्रांस

निबंधन और शर्तें

सबस्क्रिप्शन की अवधि: कलेण्डर वर्ष का सबस्क्रिप्शन अर्थात् 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक।

भुगतान : संस्थान को इसके प्रकाशक अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सबस्क्रिप्शन आदेश की पुष्टि के साथ शतप्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा। सबस्क्रिप्शन मूल्य का भारतीय मुद्रा में भुगतान करना होगा (वस्तु संबंधी कार्यालयी समिति/आदेश दिए जाने वाले माह में मौजूदा विदेशी मुद्रा के जीओसी विनिमय दर को भारतीय रुपये में परिवर्तित कर)

पहुंच: सबस्क्रिप्शन करने वाले संस्थान के आईपी ओथेन्टीकेशन पर कैम्पस भर तक पहुंच सुनिश्चित करवायी जाती है। संस्थान के परिसर में एक साथ बह-उपयोगकर्ता ई-जर्नल तक पहुंच बना सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं।

सबस्क्रिप्शन करार : सभी संस्थानों को संबंधित प्रकाशक अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ करार पर हस्ताक्षर करने होते हैं। संबंधित प्रकाशक अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ किये गये करार मुख्य लाइसेंसिंग की शर्तों को कवर करेंगे (जिसमें असीमित रूप से उचित उपयोग नीति, सबस्क्राइब की गई विषयवस्तु, मूल्य तथा विवाद की स्थिति में माध्यस्थ की व्यवस्था शामिल होती है)।

परिशिष्ट 10

नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का प्रारूप

10.1 उद्देशिका

यह अपेक्षा की जाती है कि अध्याय द्वारा उस राज्य में, जहां प्रस्तावित संस्था स्थापित किया जा रहा है, तकनीकी शिक्षा की पृष्ठभूमि तथा उद्योग परिदृश्य के संबंध में प्रस्ताव की मुख्य विशेषताओं और डीपीआर को तैयार करने के लिए प्रवर्तकों द्वारा नियुक्त किए गए परामर्शकों, यदि कोई हैं, के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी।

10.1.1 प्रस्तावना

10.1.2 परामर्शकों की पृष्ठभूमि

10.1.3 तकनीकी शिक्षा और उद्योग परिदृश्य

10.2 प्रवर्तक निकाय

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय में प्रवर्तक निकाय की स्थिति, पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं के संबंध में उसकी विधिक स्थिति, निकाय की प्रकृति अर्थात् लोकोपकारी न्यास, कुटुंब न्यास, सहकारी सोसायटी, सार्वजनिक सोसायटी आदि, इसकी स्थापना से इसके क्रियाकलाप जिसमें इसके सामाजिक, परोपकारी, शैक्षणिक क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया गया हो और आज की तारीख तक संचालित किए गए मुख्य क्रियाकलापों की सूची भी दी गई हो, तथा इसके मिशन और दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा।

क. पंजीकरण की स्थिति को शामिल करते हुए इसकी स्थापना संबंधी विशेषताओं का परिचय।

ख. प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि सहित उनका ब्यौरा।

ग. प्रमुख शैक्षणिक कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हुए प्रवर्तक निकाय के क्रियाकलाप ।

घ. पूर्व में संचालित किए गए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप।

ड. प्रवर्तक निकाय का मिशन।

च. प्रवर्तक निकाय का दृष्टिकोण।

10.3 प्रस्तावित महाविद्यालय के उद्देश्य और व्याप्ति

यह अपेक्षा की जाती है कि अध्याय द्वारा महाविद्यालय के लक्ष्य, राज्य में विद्यमान तकनीकी शिक्षा और उद्योग परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थापना की व्याप्ति और औचित्य, प्रवेश के लिए छात्रों की उपलब्धता, विशेषरूप से अर्हक परीक्षा अर्थात् प्रथम श्रेणी में +2 विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या तथा राज्य में इस पाठ्यक्रम-विशेष में (बीई/बी. फार्मा./बी.आर्क./बीएचएमसीटी/एमसीए आदि) में पहले से उपलब्ध सीटों की संख्या तथा राज्य की तकनीकी मानवशक्ति आवश्यकता, यदि उपलब्ध हैं, के संबंध में प्रस्ताव की मुख्य विशेषताओं के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी।

क. महाविद्यालय के उद्देश्य।

ख. राज्य में सामान्य और तकनीकी शिक्षा परिदृश्य।

ग. प्रवेश स्तर की स्थिति।

घ. तकनीकी स्तर की मानवशक्ति की स्थिति।

ड. राज्य का औद्योगिक परिदृश्य।

च. राज्य में पहले से ही उपलब्ध औद्योगिक परिदृश्य तथा शैक्षणिक सुविधाओं की तुलना में महाविद्यालय की व्याप्ति।

10.4 शैक्षणिक कार्यक्रम

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय में महाविद्यालय के मूलभूत शैक्षणिक दर्शन के विषय में जानकारी शामिल की जाएगी तथा चिह्नित कार्यक्रमों, लक्ष्यों तथा विभिन्न सुविधाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा।

क. महाविद्यालय का मूलभूत शैक्षणिक दर्शन।

ख. कार्यक्रमों का प्रकार।

ग. चिह्नित कार्यक्रम।

घ. कार्यक्रमों और प्रवेश क्षमता का चरणवार प्रारंभ किया जाना।

ड. शैक्षणिक कार्यक्रम आरंभ करने के लिए लक्षित तिथि।

च. केन्द्रीय कम्प्यूटिंग सुविधा।

छ. केन्द्रीय पुस्तकालय।

ज. केन्द्रीय कार्यशाला।

झ. केन्द्रीय यंत्रशाला सुविधा।

ञ. संबद्ध निकाय।

ट. छात्रवृत्तियां।

10.5 शैक्षणिक प्रभागों की मुख्य विशेषताएं

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय के माध्यम से उन शैक्षणिक कार्यक्रमों/प्रभागों के पैरावार विवरण प्रदान किया जायेगा, जिनकी स्थापना प्रस्तावित महाविद्यालय अपने शैक्षणिक दर्शन के अनुरूप करने का इच्छुक है, जिसमें उसके उद्देश्य, विशेष बल दिये जाने वाले क्षेत्र, प्रत्येक नए शैक्षणिक प्रभाग के लिए अपेक्षित संकाय की संख्या का विस्तृत विश्लेषण, भवन स्थान, उपकरण आदि भी शामिल हैं।

क. शैक्षणिक प्रभागों का वर्गीकरण अर्थात् विभाग, केन्द्र, विद्यालय, केन्द्रीय शैक्षणिक सुविधाएं

ख. प्रत्येक शैक्षणिक विभाग/केन्द्र के विवरण, जैसे :

- शैक्षणिक उद्देश्य।
- बल दिये जाने वाले क्षेत्र।
- शैक्षणिक कार्यक्रम।
- संकाय आवश्यकता तथा चरणवार भर्ती।
- प्रयोगशालाओं, स्थान और उपकरणों की आवश्यकता (लागत)।
- अन्य स्थान जैसे कक्षाएं, संकाय कक्ष, विभागीय कार्यालय की आवश्यकता।

10.6 गुणवत्ता और मानव संसाधन विकास

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय द्वारा प्रस्तावित संस्था के मानव संसाधन विकास संबंधी पहलुओं के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी जिसमें संकाय और कर्मचारियों के मध्य उत्कृष्टता को संवर्धित करने के लिए प्रबंधन की नीतियों, मेधावी संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और उन्हें अपने यहां बनाए रखने की कार्यनीतियों तथा गुणवत्ता प्रबंधन और शैक्षणिक उत्कृष्टता को संपोषित करने के लिए परिकल्पित क्रियाविधियों को भी शामिल किया जाएगा ।

क. शैक्षणिक मूल्य ।

ख. संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और उन्हें अपने यहां बनाए रखने के लिए उत्कृष्टता, प्रोन्नति के अवसरों और कैरियर संवर्धन संबंधी भर्ती कार्यनीतियां ।

ग. शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारी विकास के लिए नीतियां ।

घ. शिक्षण, शिक्षणोत्तर तथा अन्य सहायक कार्मिकों के लिए स्थायी तथा संविदा आधार पर सेवाएं ।

ङ. सकल गुणवत्ता प्रबंधन ।

च. समग्र शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों की आवश्यकताएं ।

10.7 तकनीकी शिक्षा में संबंध

यह अपेक्षा की जाती है कि यह अध्याय परिकल्पित किए गए बाह्य संबंधों का विस्तारपूर्वक वर्णन करेगा जिसमें अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन हेतु कार्यनीतियों, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उद्योगों के साथ संपर्क तथा व्यापक स्तर पर समाज के प्रति महाविद्यालयों के योगदान को भी शामिल किया जाएगा

क. प्रस्तावना ।

ख. उद्योग के साथ संबंध ।

ग. समुदाय के साथ संबंध ।

घ. क्षेत्र में अन्य महाविद्यालयों के साथ संबंध ।

ङ. उत्कृष्टता की अन्य संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएस, बेंगलूरु, के साथ संबंध ।

च. विदेशों में संबंध ।

छ. अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के साथ संबंध ।

10.8 शासन, शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रबंधन

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय के माध्यम से शासन के दर्शन तथा प्रशासनिक प्रबंधन के मूलभूत दर्शन का वर्णन किया जाएगा जिसमें इसके शासी बोर्ड (बीओजी) की संरचना, प्रचालनात्मक प्रबंधन के लिए संगठनात्मक चार्ट तथा प्रशासनिक पदक्रम—व्यवस्था के विभिन्न स्तरों में निहित उत्तरदायित्वों को भी शामिल किया जाएगा । यह अपेक्षा की जाती है कि संस्थागत शासन तथा प्रशासन की एक सुविचारित पद्धति इसके विकास और सफलता की कुंजी होगी ।

क. अभिशासन का दर्शन ।

ख. शासी मंडल ।

ग. दैनिक प्रचालनों तथा प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना और चार्ट ।

घ. प्रमुख वरिष्ठ पदों की भूमिका और उत्तरदायित्व ।

ङ. प्रशासन/प्रबंधन की पद्धतियां/शैली ।

10.9 मुख्य परिसर के विकास के लिए संकल्पनात्मक मास्टर प्लान

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय में परिसर विकास के लिए मास्टर प्लान का ब्यौरा शामिल किया जाएगा, जो स्थल के चयन से लेकर प्रस्तावित भूमि उपयोग पैटर्न तक की जानकारी समाहित करेंगे तथा इसमें भू-स्थलाकृति के स्तर तक विभिन्न सुविधाओं/उपयोगिताओं का चरणवार निर्माण भी सम्मिलित होगा । विकास के संस्थागत पहलुओं को सुविधा, सुरक्षा तथा सुविधाओं के उपयोग के विविध आयामों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के अनुरूप आरंभ किए जाना अपेक्षित है ।

क. स्थल ।

ख. प्रस्तावित भूमि उपयोग पैटर्न ।

ग. डिजाइन संकल्पना ।

घ. परिसर में भवन और सुविधाएं ।

ङ. बाहरी सेवाएं ।

च. निर्माण प्रणाली तथा सामग्री ।

छ. भू-स्थलाकृति प्रस्ताव ।

10.10 कर्मचारियों की भर्ती, स्थान तथा उपकरण और उनकी लागत

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय द्वारा कर्मचारियों, भवन, उपकरण और उनकी लागत की चरणवार आवश्यकताओं का एक समेकित अनुमान प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें अपेक्षित निधि को जुटाने के लिए कार्यनीतियां भी शामिल होंगी।

- क. प्रस्तावना।
- ख. संकाय की आवश्यकता।
- ग. शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की आवश्यकता।
- घ. भवन संबंधी अपेक्षाएं : क्षेत्र और लागत।
- ड. उपकरणों की अनुमानित लागत।
- च. चरणवार वित्तीय आवश्यकताएं।
- छ. वित्त को जुटाने के लिए कार्यनीतियां।

10.11 क्रियान्वयन के लिए कार्य-योजना

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय में संकल्पनात्मक अवस्था से लेकर क्रियाकलापों के अंतिम रूप से कार्यान्वयन तक का क्रियाकलाप चार्ट शामिल किया जाएगा जिसमें विभिन्न क्रियाकलापों, उनकी बाध्यताओं तथा वित्तीय परिव्यय सहित क्रियान्वयन कार्यनीति को भी सम्मिलित किया जाएगा।

- क. क्रियाकलाप संबंधी चार्ट।
- ख. बाध्यताएं।
- ग. वित्तीय परिव्यय।
- घ. क्रियान्वयन के लिए कार्यनीति।

10.12 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश

यह अपेक्षा की जाती है कि यह अध्याय सुलभ संदर्भ के लिए निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार डीपीआर का एक सारांश प्रस्तुत करेगा।

- क. प्रवर्तक निकाय के बारे में विवरण।
- ख. प्रवर्तक निकाय का नाम और पता।
- ग. प्रवर्तक निकाय के पंजीकरण/स्थापना की तारीख।
- घ. प्रवर्तक निकाय की प्रकृति।
- ड. स्थापना के बाद से प्रवर्तक निकाय के क्रियाकलाप।
- च. प्रवर्तक निकाय की संरचना।

10.13 संकाय संबंधी आंकड़े

नाम	शैक्षणिक योग्यता	प्रवर्तक निकाय के साथ का स्वरूप	शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभव (वर्ष में)		
	तकनीकी	गैर-तकनीकी	संवर्धनात्मक	प्रबंधन	संगठनात्मक

10.14 प्रस्तावित संस्था

- क. प्रस्तावित महाविद्यालय के बारे में ब्यौरा।
- ख. प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए विकास योजना
- ग. प्रवर्तक निकाय का दृष्टिकोण (विजन)
- घ. प्रवर्तक निकाय का मिशन

10.15

- क. स्थापना के समय से पांच वर्षों के अंतराल पर आगामी दस वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु धनराशि जुटाने की व्यवस्था को दर्शाने वाला एक बार चार्ट प्रस्तुत कीजिए।
- ख. स्थापना के समय से पांच वर्षों के अंतराल पर आगामी दस वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु संकाय सदस्यों की भर्ती (व्याख्याता, सहायक आचार्य, आचार्य के लिए अलग-अलग) को दर्शाने वाला एक बार चार्ट प्रस्तुत कीजिए।
- ग. स्थापना के समय से पांच वर्षों के अंतराल पर आगामी दस वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्मित क्षेत्र (शैक्षणिक, प्रशासनिक और सुविधाओं के लिए अलग-अलग) को दर्शाने वाला एक बार चार्ट प्रस्तुत कीजिए।

घ. स्थापना के समय से पांच वर्षों के अंतराल पर आगामी दस वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु उपकरणों और मशीनों पर निवेश को दर्शाने वाला एक बार चार्ट प्रस्तुत कीजिए।

10.16 परियोजना की कुल लागत (स्थापना के समय और आगामी पांच वर्षों के लिए)

10.17 धनराशि जुटाने/उसके स्रोतों के विवरण (पूँजीगत और आवर्ती) (स्थापना के समय और आगामी पांच वर्षों के लिए) (रुपए लाख में)

10.18 संकाय सदस्यों की भर्ती (स्थापना के समय तथा आगामी पांच वर्षों के लिए)

वर्ष	आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य	कुल

10.19 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती (स्थापना के समय तथा आगामी पांच वर्षों के लिए)

वर्ष	भर्ती	योग
	तकनीकी	प्रशासक

10.20 शासी निकाय की प्रस्तावित संरचना

क्रम सं.	न्यास/सोसायटी प्रतिनिधि	शैक्षणिक पृष्ठभूमि	उद्योग प्रतिनिधि	अन्य
		तकनीकी	गैर-तकनीकी	

10.21 उद्योग के साथ संबंध (स्थापना के समय तथा आगामी पांच वर्षों के लिए)

घोषणा

मैं/हम, “_____” की ओर से एतद्वारा यह पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट “_____” नाम और शैली के अंतर्गत इसके प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए तैयार की गई है। एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(आवेदक का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

स्थान :

नाम :

तिथि :

पदनाम:

मुहर :

परिशिष्ट 11 : विभिन्न समितियों की संरचना के संबंध में विवरण

11.1 संवीक्षा समिति

संरचना	गणपूर्ति
आईआईटी/सरकारी/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं का आचार्य। विश्वविद्यालय के दो आचार्य। अधिवक्ता परिषद् के साथ पंजीकृत एक अधिवक्ता। वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत एक वास्तुविद।	एक आचार्य/ सह-आचार्य, सभापति के रूप में। अधिवक्ता परिषद् के साथ पंजीकृत एक अधिवक्ता। संबंधित राज्य सरकार के राजस्व विभाग के उप सचिव के पद से अनिम्न एक अधिकारी संबंधित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा अथवा वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत कोई वास्तुविद।

11.2 विशेषज्ञ समिति

संरचना	गणपूर्ति
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य के स्तर से अनिम्न किसी शिक्षाविद् को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा सभापति के रूप में नियुक्त किया जाएगा।	सभापति के रूप में आचार्य। एक विशेषज्ञ सदस्य। एक अधिकारी जो संबंधित राज्य सरकार के

<p>दो विशेषज्ञ सदस्य जो सह-आचार्य, से अनिम्न स्तर के होंगे जिसका चयन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किया जायेगा।</p> <p>एक अधिकारी जो संबंधित राज्य सरकार के राजस्व विभाग के उप-निदेशक के पद से अनिम्न हो जिसका नामनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किया जाएगा अथवा वास्तुकला परिषद के साथ पंजीकृत कोई वास्तुविद जिसका नामनिर्देशन क्षेत्रीय समिति के सभापति द्वारा किया जायेगा अथवा कोई विशेषज्ञ जो भूमि और राजस्व के मामलों का ज्ञाता हो जिसका नामनिर्देशन सभापति, क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जाएगा।</p> <p>सह-आचार्य से अनिम्न पद का एक विशेषज्ञ सदस्य जिसका नामनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जायेगा।</p>	<p>राजस्व विभाग के उप-निदेशक के पद से अनिम्न हो, जिसका नामनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किया जाएगा अथवा वास्तुकला परिषद के साथ पंजीकृत कोई वास्तुविद जिसका नामनिर्देशन क्षेत्रीय समिति के सभापति द्वारा किया जायेगा अथवा कोई विशेषज्ञ जो भूमि और राजस्व के मामलों का ज्ञाता हो जिसका नामनिर्देशन सभापति, क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जाएगा।</p>
---	--

परिशिष्ट 12

निम्नवत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

- ❖ नए तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना जो डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर एक या अधिक तकनीकी कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हों।
- ❖ मौजूदा महाविद्यालयों में डिग्री स्तर पर नए तकनीकी कार्यक्रम शामिल करना।
 - स्थल/अवस्थान में परिवर्तन
 - संस्थान को बंद करना
 - महिलाओं संस्थानों को सह-शिक्षा संस्था के रूप में परिवर्तित करना।

12.1 नए संस्थान

आवेदक निम्नलिखित सहायक दस्तावेज मूल रूप में तथा साथ ही उनकी एक प्रति जो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित हो, तथा अन्य आवश्यक सूचना संवीक्षा समिति को प्रस्तुत करेगा।

शपथ-पत्र के अलावा अन्य सहायक दस्तावेज आवेदक के पत्र-शीर्ष पर होने चाहिए तथा उन्हें आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अथवा संस्था के प्रमुख द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

संवीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

1. संस्था की भवन आयोजना किसी ऐसे वास्तुविद द्वारा की जानी चाहिए जो वास्तुकला परिषद के साथ पंजीकृत हो तथा उनका अनुमोदन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा यथाअभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया होना चाहिए।
2. 100 रुपए के गैर-न्यायिक पत्र पर विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रारूप में एक वचन-पत्र जिसमें किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर के समक्ष सम्यक रूप से शपथ ली गई हो।
3. आवेदक के संगठन द्वारा संकल्प जो विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र में होगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र में किसी अधिवक्ता द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
5. अनुमोदित भवन योजनाओं के बारे में किसी वास्तुविद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
6. आवेदक की वित्तीय स्थिति के बारे में बैंक के प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
7. संपूर्ण आवेदन का एक प्रिंट जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।
8. इन दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के साक्ष्य के रूप में राज्य सरकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से शासकीय मुहर सहित प्राप्ति रसीद।
9. पीडीएफ फाइल के रूप में संलग्न की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।
10. सोसायटी/न्यास/कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित कंपनी/पीपीपी/बीओटी के पंजीकृत दस्तावेज जिसमें इसके सदस्यों, उद्देश्यों, संगम-ज्ञापन तथा नियमों को दर्शाया गया हो तथा जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो।
11. महाविद्यालय के शासी मंडल का गठन परिशिष्ट 14 के अनुसार किया जाएगा।
12. बशर्ते यह कि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित किसी कंपनी के मामले में, संगम-ज्ञापन तथा नियमों में यह उपबंध अवश्य अंतर्विष्ट होना चाहिए कि कंपनी का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है तथा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आय का उपयोग अनन्य रूप से तकनीकी संस्थान के विकास के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।

13. बशर्ते आगे कि, यदि आवेदन पीपीपी/बीओटी के प्रस्ताव के साथ किया गया है, तो आवेदक पीपीपी/बीओटी के बारे में करार/संविदा की सत्यापित प्रति/किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा। आवेदक संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा एसडीएम द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अथवा पृष्ठांकन भी प्रस्तुत करेगा जो इस संबंध में होगा कि ऐसे क्षेत्र में पीपीपी/बीओटी से संबंधित ऐसा प्रस्ताव आवेदक सोसायटी/न्यास/कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित कंपनी से जुड़ा हुआ है।
14. आवेदक के संगठन द्वारा संकल्प जो विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र में होगा तथा नया तकनीकी महाविद्यालय खोलने अथवा नए कार्यक्रम शामिल करने अथवा प्रस्तावित क्रियाकलापों के लिए भूमि/भवन/निधि आवंटित करने से संबंधित होगा।
15. आवेदक के नाम पर स्वामित्व को दर्शाने वाले दस्तावेज जो किसी प्राइवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी अथवा पिछले तीन वर्षों में 100 करोड़ रुपए न्यूनतम का टर्नओवर रखने वाले उद्योग द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख/अप्रतिसंहरणीय उपहार विलेख (पंजीकृत)/अप्रतिसंहरणीय पट्टे (न्यूनतम 99 वर्ष के लिए)/सरकार से संबंधित प्राधिकरण द्वारा अप्रतिसंहरणीय सरकारी पट्टे (न्यूनतम 30 वर्ष के लिए) हो अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो आवेदक के नाम पर भूमि के स्वामित्व और कब्जे की पुष्टि करते हों। यदि भूमि दस्तावेज स्थानीय भाषा में हैं, तो दस्तावेजों का नोटरीकृत अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
16. भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा जिसमें भूमि का प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजन के लिए करने की अनुमति दी गई हो और साथ ही स्थलाकृति आरेख/ग्राम मानचित्र जिसमें भूमि सर्वेक्षण संख्या दर्शाई गई हो और सड़क मानचित्र की एक प्रति जिसमें संस्था के प्रस्तावित स्थल की स्थिति दर्शायी गयी हो।
17. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि संपरावर्तन प्रमाण-पत्र जिसमें महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए भूमि का प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजनार्थ करने हेतु अनुमति दी गई हो और साथ ही स्थलाकृति आरेख/ग्राम मानचित्र जिसमें भूमि सर्वेक्षण संख्या दर्शाई गई हो और सड़क मानचित्र की एक प्रति जिसमें संस्था के प्रस्तावित स्थल का अवस्थान दर्शाया गया हो।
18. भूमि एक भूखण्ड के रूप में है यह दर्शाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खसरा योजना (मास्टर प्लान)।
19. जहां कहीं भी लागू हो, संबंधित पालिका निगम अथवा स्थानीय प्राधिकरण जो भवन योजनाओं को अनुमोदित करता है, द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र से एफएसआई/एफएआर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
20. खण्ड 2.5 में यथावर्णित कार्यशील पूंजी (निधियां) का प्रमाण या तो बैंक में साविधि जमा के रूप में होगा अथवा आवेदक संस्था द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक में खोले गए खाते की अद्यतन बैंक विवरणी साथ ही बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के रूप में होगा।
21. आवेदक संगठन के खातों की पिछले तीन वर्षों के लिए यथालागू लेखापरीक्षित विवरणी।
22. वास्तुकला परिषद् (सीओए) के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद् द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित तकनीकी महाविद्यालय की स्थल योजना, भवन योजना तथा उसे संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम योजना संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया हो।
23. स्थायी स्थल पर प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए अनन्य रूप से प्रयोग हेतु आशयित सभी प्रस्तावित/विद्यमान भवनों की फ्लोर योजना, खण्ड और एलिवेशन तथा एक तालिका जिसमें सभी कमरों के कार्पेट क्षेत्रफल को वर्गफुट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, जैसा कि शिक्षण, प्रशासनिक और प्रसुविधाओं की अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका सत्यापन वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा किया जाना चाहिए। वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद् द्वारा सत्यापित आंशिक कब्जे, यदि कोई हो तो, के दौरान सुनिश्चित की जाने वाली सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी सावधानियां।
24. प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक के सभी अनुप्रयुक्त/विद्यमान पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए यथाअपेक्षित कुल कारपेट और निर्मित क्षेत्र की प्राप्ति के लिए निर्माण की चरण-वार योजना। इसका सत्यापन वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद् द्वारा किया जाना चाहिए।
25. आवेदित किए गए पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या की प्रति।
26. अल्पसंख्यक स्थिति के बारे में प्रमाण पत्र, यदि आवेदन किए जाने वाले समय के दौरान लागू है। इसके पश्चात् किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
27. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जिसमें यह दर्शाया गया होगा कि क्या प्रस्तावित नई संस्था/तकनीकी महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में पड़ती है अथवा किसी अन्य क्षेत्र में।

12.2 विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

आवेदक दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति के समक्ष निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिनके साथ उनकी एक प्रति भी संलग्न की जाएगी जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित किया गया हो तथा साथ ही अन्य आवश्यक जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी।

1. प्राचार्य तथा संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए कम-से-कम एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
2. समस्त भंडार मदों का स्टॉक रजिस्टर जिसमें प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर, प्रणालीगत और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, कार्यालय उपकरण तथा अन्य समस्त भण्डार मदें शामिल होंगी।
3. एमबीपीएस तथा कंटेंशन अनुपात में इंटरनेट बैंडविड्थ के प्रावधान का प्रमाण।
4. पुस्तकालय के लिए खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक और खण्ड के शीर्षकों को दर्शाती सूची।
5. उपकरणों और पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए बीजक/कैश मेमो की प्रति।
6. उपकरणों और पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए बीजक/कैश मेमो की प्रति।
7. परिशिष्ट 9 के अनुसार ई-जर्नलों के सब्सक्रिप्शन का विवरण।
8. सब्सक्राइब किए गए राष्ट्रीय जनरलों की हार्ड-प्रति की सूची और उनके विवरण।
9. सब्सक्राइब किए गए अंतर्राष्ट्रीय जनरलों की हार्ड-प्रति की सूची और उनके विवरण।
10. विद्युत आपूर्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत लोड की मंजूरी।
11. बैकअप विद्युत आपूर्ति के प्रावधान के विवरण।
12. किसी वास्तुविद् द्वारा प्रमाण-पत्र जिसमें मल-व्ययन निपटान प्रणाली तथा विकलांग छात्रों के लिए तैयार किए गए बाधा रहित परिवेश और शौचालयों तथा सभी मौसमों में आवागमन के लिए उपलब्ध संपर्क सड़क के विवरण दिए गए हों।
13. प्रस्तावित तकनीकी संस्था में उपलब्ध टेलीफोन कनेक्शनों के विवरण और प्रमाण।
14. चिकित्सा सुविधा तथा परामर्श संबंधी व्यवस्था के बारे में विवरण और साक्ष्य।
15. छात्रों के लिए उपलब्ध रेप्रोग्राफिक सुविधा के विवरण।
16. समान सोसायटी अथवा प्रबंधन द्वारा अथवा किसी अन्य प्रबंधन जिसका आवेदक सोसायटी का अध्यक्ष एक सदस्य है, द्वारा चलाई जा रही अन्य सभी शैक्षणिक संस्थाओं के विवरण।
17. विशेषज्ञ समिति के दौरे की समस्त कार्यवाहियों की तिथि और समय के साथ वीडियो रिकार्डिंग, जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का भाग बनेगी। इसमें शूटिंग की तिथि और समय के साथ समिति के दौरे का वीडियो, तिथि और समय के साथ तैयार की गई समस्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की शूटिंग की संस्था के दौरे की वीडियो भी शामिल होगी जिसमें सृजित की गई सभी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की शूटिंग की जाएगी, जिनमें पूर्ण वास्तविक अवसंरचनाओं/सुविधाओं को दर्शाया जाएगा, तथा संस्थान के अग्रिम, पश्च और कक्षाओं, अनुशिक्षण कक्षों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, ड्राइंग हाल, कम्प्यूटर सेंटर, पुस्तकालय, वाचनालय, संगोष्ठी हॉल तथा अन्य कक्ष, जैसा कि कार्यक्रम-वार शिक्षण क्षेत्र की अपेक्षाओं में निर्दिष्ट किया गया है और प्रधानाचार्य के कक्ष, बोर्ड कक्ष, मुख्य कार्यालय, विभागीय भण्डारों, संकाय केबिनो/बैठने की व्यवस्था तथा अन्य उन सभी कमरों के भीतरी भाग, जिनका उल्लेख प्रशासनिक क्षेत्र अपेक्षाओं में किया गया है, शौचालय सुविधाओं, छात्र और छात्राओं के आमोद कक्ष, अल्पाहार गृह तथा अन्य उन सभी कक्षों का आंतरिक भाग जिनका उल्लेख प्रसुविधा क्षेत्र अपेक्षाओं में किया गया है, परिचालन क्षेत्र जिसमें आंतरिक प्रवेश लॉबी, सामान्य मार्ग, स्वचालित सीढ़ियां, सीढ़ियां और अन्य कॉमन क्षेत्रों को दर्शाया गया होगा।

12.3 आशय पत्र के जारी होने पश्चात् प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

1. नई संस्थाएं जिन्हें आशय-पत्र अथवा अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई तथा मौजूदा संस्थाएं जिन्हें नए पाठ्यक्रम/प्रभाग/कार्यक्रम, द्वितीय पाली अथवा प्रवेश क्षमता में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की गई है, शिक्षण कर्मियों और प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं, वेतनमान आदि के बारे में नीति का पालन करेंगे तथा अन्य तकनीकी, सहायक कर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूची का पालन करेंगे।
2. अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न संस्था शिक्षण कर्मियों/प्रधानाचार्य तथा अन्य तकनीकी सहायक कर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को विशेष रूप से चयन प्रक्रियाओं और चयन समिति के मामले में संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय की पद्धतियों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करते हुए नियुक्त करेंगे।
3. कर्मचारियों की ऐसी नियुक्तियों के बारे में सूचना को विनिर्दिष्ट प्रपत्र में विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
4. किसी भी परिस्थिति में, संस्थानों द्वारा अनुमोदित तकनीकी पाठ्यक्रमों को तब तक आरंभ नहीं किया जाएगा, जब तक सभी शिक्षण और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती न कर ली गई हो।
5. संकाय तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आंकड़ों की विहित प्रपत्र के अनुरूप प्रविष्टि की जाएगी।

12.4 संस्था को बंद करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

1. संस्था को बंद करने के लिए आवेदन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदक संस्था द्वारा संकल्प।
2. संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र जिसमें संस्थान में अध्ययनरत मौजूदा छात्रों की शिक्षा को जारी रखने के संबंध में की गई व्यवस्थाओं/वैकल्पिक उपायों के बारे में विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र पर स्पष्ट उल्लेख किया गया हो।
4. संस्था की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के साथ बनाए गए आरपीजीएफ/संयुक्त एफडीआर/एफडी के विवरण।

12.5 स्थल/अवस्थान में परिवर्तन के लिए मांगी जाने वाली अनुमति हेतु अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज

1. स्थल/अवस्थान में परिवर्तन को अनुमोदित करने वाले शासी मंडल के सदस्यों द्वारा संकल्प जिसे सोसायटी/न्यास के अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित किया गया हो।
2. संबंधित राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

12.6 महिला संस्थान को सह-शिक्षा संस्थान में परिवर्तित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज

1. सक्षम प्रवेश प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि लगातार तीन वर्षों में 40 प्रतिशत से कम प्रवेश हुए हैं।
2. पिछले निरंतर तीन वर्षों में छात्रों के वास्तविक नामांकन को दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र, जिसे संबद्ध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो।
3. महिला संस्था से सह-शिक्षा संस्था में परिवर्तन के लिए न्यास/सोसायटी/शासी मंडल का संकल्प।
4. राज्य सरकार का अनापत्ति-प्रमाण पत्र।
5. विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान एफडीआर, यदि कोई है, को वापस करने के बदले में संकल्प के अनुसार जमा की जाने वाली राशि।
6. भूमि से संबंधित दस्तावेज जिन्हें विनियमों के अनुसार जमा किया जाएगा।

12.7

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि का गैर-विलग्न प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट 13

निम्नवत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

- विद्यमान महाविद्यालय की संबद्धता का विस्तार।
- विद्यमान पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कटौती।
- विद्यमान कार्यक्रम में पाठ्यक्रम शामिल करना।
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम को बंद करना।
- डीएफडब्ल्यू के लिए अधिसंख्य सीटों का अनिवार्य प्रावधान।
- पीआईओ के लिए अधिसंख्यक सीटों को आरंभ करना/जारी रखना/समाप्त करना।
- एनआरआई के पुत्रों/पुत्रियों के लिए सीटों को आरंभ करना/जारी रखना/समाप्त करना।
- संस्थान के नाम में परिवर्तन।
- दूसरी पाली के कार्यक्रम।
- अंशकालिक कार्यक्रम।

13.1 विद्यमान संस्थाओं को संबद्धता का विस्तार (ईओए) जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

संबद्धता के विस्तार (ईओए) के लिए आवेदन करने वाली आवेदक संस्था, विश्वविद्यालय को नीचे दिए गए अनुलग्नकों की सूची के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करेगी जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो।

शपथ-पत्रों के अलावा, अन्य सहायक दस्तावेज आवेदक के पत्र-शीर्ष पर तैयार किए जाने चाहिए तथा उन्हें आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अथवा संस्था के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

- i. संपूर्ण आवेदन का एक प्रिंट और कमी/अद्यतन स्थिति रिपोर्ट संबद्ध विश्वविद्यालय तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके साथ अनुसूची में उल्लिखित तिथि को अथवा उससे पूर्व नीचे उल्लिखित सभी अनुलग्नक भी प्रेषित किए जाने चाहिए जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो।

- ii. इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के प्रमाण के रूप में राज्य सरकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से मुहरांकित रसीद।
- iii. उपयुक्त वेबसाइट का प्रयोग करते हुए उपग्रह मानचित्र जिसमें भूमि की भौगोलिक स्थिति दर्शायी गयी हो तथा उसमें अक्षांश और देशांतर रेखांश का उल्लेख हो।
- iv. संबद्धता के विस्तार के संबंध में भुगतान रसीद की प्रति।
- v. महाविद्यालय की स्थापना से पिछले दो वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस, यदि कोई हो तो।
- vi. विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में दायर किए गए मामलों तथा न्यायालय के आदेशों, यदि कोई हो तो, का ब्यौरा।
- vii. 100 रु० के गैर-न्यायिक स्टाम्प-पेपर पर विश्वविद्यालय द्वारा विहित प्रारूप में एक वचन-पत्र जिसमें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ग्रहण की गई हो।
- viii. सभी प्रत्यायन-पत्रों, यदि पिछले एक वर्ष में प्राप्त किए गए हों, की प्रति।
- ix. महाविद्यालय के प्रमुख से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि सभी वर्षों और सभी पाठ्यक्रमों के लिए समस्त संकाय सदस्यों और समस्त शिक्षणोत्तर कार्मियों के आंकड़ों तथा सभी छात्रों के आंकड़ों को विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार वेब-पोर्टल में शामिल कर लिया गया है।

13.2 प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

संबद्धता के विस्तार (ईओए) के लिए आवेदन करने वाला आवेदक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को नीचे दिए गए अनुलग्नकों की सूची के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो।

शपथ-पत्र के अलावा, अन्य सहायक दस्तावेज आवेदक के पत्र-शीर्ष पर तैयार किए जाने चाहिए तथा उन्हें आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अथवा संस्था के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

- i. पंजीकरण प्रमाण-पत्र और न्यास विलेख/सोसायटी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति।
- ii. संगम ज्ञापन और नियम।
- iii. परिशिष्ट 14 के अनुसार गठित संस्थान के शासी मंडल के विवरण।
- iv. पंजीकरण दस्तावेज, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि जिस भूमि पर संबंधित महाविद्यालय स्थित है, वह, जैसा भी मामला हो, प्रायोजक न्यास/सोसायटी के विधिक कब्जे में है।
- v. भूमि उपयोग प्रमाण पत्र जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि सक्षम प्राधिकारी ने जिस भूमि पर संबंधित संस्था अवस्थित है, उस भूमि के उपयोग की अनुमति शैक्षणिक प्रयोजन के लिये और संबंधित संस्था की स्थापना के प्रयोजन के लिए प्रदान की है।
- vi. भूमि एक भूखण्ड के रूप में है, यह दर्शाने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खसरा योजना (मास्टर प्लान)।
- vii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित अंतिम भवन और तल आयोजना।
- viii. भवन के कुल निर्मित क्षेत्रफल तथा प्रत्येक कमरे के कार्पेट क्षेत्रफल के संबंध में वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद् का प्रमाण-पत्र।
- ix. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित संस्था की स्थापना के समय विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ में प्रदान किया गया संबद्धता पत्र।
- x. प्रवेश-क्षमता में भिन्नता को दर्शाने वाले संबद्धता के विस्तार के सभी उत्तरवर्ती पत्र और/अथवा पत्र।
- xi. प्रधानाचार्य और सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति-पत्र, कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अन्य प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और उनके के दाएं अंगूठे अथवा दाएं की अनुपस्थिति में बाएं अंगूठे की बायोमीट्रिक इमेज।
- xii. जैसाकि शिक्षण संकाय के मामले में किया गया था, नियुक्त किए गए प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों के ब्यौरे और उनके दाएं अथवा दाएं की अनुपस्थिति में बाएं अंगूठे की बायोमीट्रिक इमेज और फोटोग्राफ।
- xiii. शिक्षण और शिक्षणोत्तर कार्मिकों की नवीनतम वेतन-पर्ची जिसमें उनके वेतनमान, सकल वेतन, भविष्य निधि कटौती, स्रोत पर आयकर कटौती का ब्यौरा दिया गया हो।
- xiv. संस्था और आवेदक सोसायटी/न्यास/कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अधीन स्थापित कंपनी और विद्यमान महाविद्यालय की पिछले तीन वर्षों के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणी, यदि लागू हो तो, का ब्यौरा।
- xv. पिछले वित्त वर्ष के लिए प्रमाणित आय-व्यय विवरण।

- xvi. वर्तमान अनुमोदित शुल्क संरचना और उसे अनुमोदित करने वाले निकाय के बारे में ब्यौरा।
- xvii. आज की तिथि के अनुसार प्रचालनात्मक निधियों के विवरण।
- xviii. मुख्य उपकरणों, कम्प्यूटरों, सॉफ्टवेयरों और प्रिंटरों की संख्या और विवरणों को दर्शाती सूची।
- xix. पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए प्राप्ति रजिस्टर के अंतिम तीन पृष्ठ।
- xx. परिशिष्ट 9 के अनुसार ई-जर्नलों के सबस्क्रिप्शन का प्रमाण तथा राष्ट्रीय जर्नलों की हार्ड-प्रति। तथापि, अंतरराष्ट्रीय जर्नलों की हार्ड-प्रति भी वांछनीय है।
- xxi. सरकारी प्राधिकरण/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट के साथ पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता के बारे में जानकारी जिसमें पीने के प्रयोजन के लिए जल की उपयुक्तता का उल्लेख किया गया हो।
- xxii. विद्युत आपूर्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत लोड की संस्वीकृति।
- xxiii. बैकअप विद्युत आपूर्ति के प्रावधान के विवरण।
- xxiv. जल-मल व्ययन निपटान प्रणाली, विकलांग छात्रों के लिए निर्मित बाधरहित परिवेश और शौचालयों तथा बारहमासी पहुंच मार्ग का ब्यौरा देते हुए किसी वास्तुविद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- xxv. महाविद्यालय में उपलब्ध टेलीफोन कनेक्शनों के विवरण और प्रमाण।
- xxvi. चिकित्सा सुविधा और परामर्श संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में विवरण और प्रमाण।
- xxvii. छात्रों के लिए उपलब्ध रेप्रोग्राफिक सुविधा के विवरण।
- xxviii. छात्रों और कार्मिकों के लिए उपलब्ध परिवहन सुविधा के विवरण।
- xxix. क) संयुक्त एफडीआर रसीद की प्रति तथा एफडीआर की प्रति जिसे संस्थान द्वारा महाविद्यालय की स्थापना के समय खोला गया था।
ख) यदि आठ वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एफडीआर को भुना लिया गया है, तो विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को जारी किए गए एफडीआर निर्मुक्ति पत्र की प्रति।
- xxx. तिथि और समय के साथ न्यूनतम पांच मिनट की अवधि की शूटिंग का वीडियो ('विंडोज मीडिया प्लेयर' अनुकूल) जिसमें समग्र वास्तविक अवसंरचना/सुविधाओं को दर्शाया गया हो तथा उसमें निम्न को भी दर्शाया गया हो:
- xxxi. क. समग्र भवन का अग्रिम और पश्चिम भाग।
ख. परिशिष्ट 4 में कार्यक्रमवार शैक्षणिक क्षेत्र अपेक्षाओं में यथा उल्लिखित, कक्षाओं, अनुशिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, ड्राइंग हॉल, कम्प्यूटर केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय, संगोष्ठी हॉल तथा अन्य सभी कक्षों का भीतरी भाग।
ग. परिशिष्ट 4 में प्रशासनिक क्षेत्र अपेक्षाओं में यथा उल्लिखित, प्रधानाचार्य के कक्ष, बोर्ड कक्ष, मुख्य कार्यालय, विभागीय कार्यालय, संकाय केबिन/बैठने की व्यवस्था तथा अन्य सभी कक्षों का भीतरी भाग।
घ. परिशिष्ट 4 में प्रसुविधा क्षेत्र अपेक्षाओं में यथा उल्लिखित, शौचालय सुविधाओं, छात्र और छात्राओं के मनोरंजन कक्ष, जलपान-गृह तथा अन्य सभी कक्षों का भीतरी भाग।
ङ. परिचालन क्षेत्र के विवरण जिनमें प्रवेश लॉबी, सामान्य मार्गों, स्वचालित सीढ़ियों, सीढ़ियों और अन्य कॉमन क्षेत्रों का चित्रण हो।

13.3 मौजूदा शिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

मौजूदा शिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए अनुमति प्राप्त करते समय निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :

- i. आवेदक संगठन द्वारा अतिरिक्त पाठ्यक्रम आरंभ करने/विद्यमान कार्यक्रम में डिजीजन तथा प्रस्तावित क्रियाकलापों के लिए भूमि/भवन/निधियों को आवंटित करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में संकल्प।
- ii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन आयोजना, जिसमें आवेदन की गई अतिरिक्त प्रवेश क्षमता की पूर्ति के लिए अतिरिक्त कार्पेट क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया हो।

- iii. भवन के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल तथा प्रत्येक कक्ष के कारपेट क्षेत्रफल के संबंध में वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद् से प्रमाण-पत्र।
- 13.4 मौजूदा शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को बंद करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज
- आवेदक संस्था द्वारा प्रवेश क्षमता में कमी करने अथवा पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को बंद करने के लिए आवेदन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में संकल्प।
 - संबंधित राज्य सरकार से निर्दिष्ट प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में महाविद्यालय द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र दिया जाना अपेक्षित है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि संस्था में अध्ययनरत मौजूदा छात्रों की शिक्षा को जारी रखने के लिए प्रावधान/वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
 - संस्था की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के साथ तैयार की गई आरपीजीएफ/संयुक्त एफडीआर/एफडी के विवरण।
- 13.5 मौजूदा शिक्षण संस्थाओं में पीओआई के लिए अधिसंख्य सीटों को आरंभ करने की अनुमति प्राप्त के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज
- पीओआई के लिए अधिसंख्य सीटों को आरंभ करने के लिए आवेदन से संबंधित आवेदक महाविद्यालय द्वारा वेबपोर्टल में यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में संकल्प।
 - छात्रावास प्रमुख और छात्रावास प्रशासन के बारे में विवरण।
- 13.6 एनआरआई के पुत्रों/पुत्रियों के लिए सीटों हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज
- विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में एनआरआई के पुत्रों/पुत्रियों के लिए अधिसंख्य सीटें आरंभ करने के लिए आवेदन के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा संकल्प।
- 13.7 महाविद्यालय के नाम में परिवर्तन करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज
- नाम में परिवर्तन को अनुमोदित करने वाले शासी मंडल के सदस्यों द्वारा पारित संकल्प, जिसे सोसायटी/न्यास के अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित किया गया हो।
- संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- 13.8 स्थल/अवस्थिति में परिवर्तन, महाविद्यालय को बंद करने, विदेशी सहयोग, युगलन कार्यक्रम तथा महिला महाविद्यालय को सह-शिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ समिति के दौरे के दौरान उसके सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
- विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक प्रति।
 - मुख्य उपकरणों, कम्प्यूटरों, प्रिंटरों और सॉफ्टवेयरों की संख्या और विवरणों को दर्शाती सूची।
 - पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए प्राप्ति रजिस्टर के अंतिम तीन पृष्ठ।
 - ई-जर्नलों के सब्सक्रिप्शन का प्रमाण तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नलों की हार्ड-प्रति।
 - पूर्व के दो बैचों का परीक्षा परिणाम तथा उनके आंकड़े।
 - शिक्षण-कर्मिकों और शिक्षणोत्तर कर्मिकों की अद्यतन वेतन पर्ची जिसमें वेतन मान, सकल वेतन, भविष्य निधि कटौती, स्रोत पर आयकर कटौती का ब्यौरा दिया हो तथा शिक्षण कर्मी : छात्र अनुपात का विवरण हो।
 - सरकारी प्राधिकरण/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट के साथ पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता के बारे में जानकारी जिसमें पीने के प्रयोजन के लिए जल की उपयुक्तता का उल्लेख किया गया हो।
 - विद्युत आपूर्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत लोड की संस्वीकृति।
 - बैकअप विद्युत आपूर्ति के प्रावधान का विवरण।
 - चिकित्सा सुविधा और परामर्श संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में विवरण और प्रमाण।
 - दौरा करने वाले दिन इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

- xii. विशेषज्ञ समिति के दौरे की रिपोर्ट के भाग के रूप में विशेषज्ञ समिति के दौरे की वीडियो रिकॉर्डिंग।
- xiii. यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में उपस्थिति शीट जिसे विशेषज्ञ समिति के सदस्यों, आवेदक सोसायटी/न्यास के प्रतिनिधियों तथा दौरे के दौरान उपस्थित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित/डिजिटल रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो।

परिशिष्ट 14

विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं के शासी मंडल की संरचना

14.1

- क. शासी मंडल में अध्यक्ष और सदस्य-सचिव को शामिल करते हुए न्यूनतम ग्यारह सदस्य होंगे। पंजीकृत सोसायटी/न्यास, अध्यक्ष और सदस्य-सचिव को शामिल करते हुए छह सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा तथा शेष पांच सदस्यों का नामनिर्देशन निम्न प्रकार से किया जाएगा—
- ख. अध्यक्ष, जिसे पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
शासी मंडल का अध्यक्ष अधिमानतः एक तकनीकी व्यक्ति होगा जो या तो एक उद्यमी अथवा उद्योगपति अथवा प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होगा जो तकनीकी शिक्षा के विकास में रुचि रखता हो और जिसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन में रुचि दर्शायी हो।
- ग. दो से पांच सदस्य, जिनका नामनिर्देशन पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा किया जाएगा।
- घ. विश्वविद्यालय का नामिती।
- ङ. क्षेत्र के उद्योगपतियों/प्रौद्योगिकीविदों/शिक्षाविदों में से दो सदस्य, जिनका नामनिर्देशन कुलपति द्वारा किया जाएगा।
- च. राज्य सरकार के दो नामिती।
- छ. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य (सोसायटी/न्यास के नामिती के रूप में) — सदस्य-सचिव
- ज. दो संकाय सदस्य जिनका नामनिर्देशन नियमित कार्मिकों में से किया जाएगा जिनमें से एक आचार्य के स्तर का तथा दूसरा सहायक आचार्य के स्तर का होगा।
- झ. महाविद्यालय के हित को ध्यान में रखते हुए सदस्यों की संख्या में, पंजीकृत सोसायटी के नामितियों की संख्या में वृद्धि करते हुए तथा क्षेत्र से समान संख्या में शिक्षाविदों को शामिल करते हुए, समान रूप से वृद्धि की जा सकती है। तथापि, शासी निकाय के सदस्यों की कुल संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।

निबंधन और शर्तें

सबस्क्रिप्शन की अवधि: कलेण्डर वर्ष का सबस्क्रिप्शन अर्थात् 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक।

भुगतान: संस्थान को इसके प्रकाशक अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सबस्क्रिप्शन आदेश की पुष्टि के साथ शतप्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा। सबस्क्रिप्शन मूल्य का भारतीय मुद्रा में भुगतान करना होगा (वस्तु संबंधी कार्यालयी समिति/आदेश दिए जाने वाले माह में मौजूदा विदेशी मुद्रा के जीओसी विनिमय दर को भारतीय रुपये में परिवर्तित कर)

पहुंच: सबस्क्रिप्शन करने वाले संस्थान के आईपी ओथेन्टिकेशन पर कैम्पस भर तक पहुंच सुनिश्चित करवायी जाती है। संस्थान के परिसर में एक साथ बह-उपयोगकर्ता ई-जर्नल तक पहुंच बना सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं।

सबस्क्रिप्शन करार: सभी संस्थानों को संबंधित प्रकाशक अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ करार पर हस्ताक्षर करने होते हैं। संबंधित प्रकाशक अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ किये गये करार मुख्य लाइसेंसिंग की शर्तों को कवर करेंगे (जिसमें असीमित रूप से उचित उपयोग नीति, सबस्क्राइब

की गई विषयवस्तु, मूल्य तथा विवाद की स्थिति में माध्यस्थ की व्यवस्था शामिल होती है)।

परिशिष्ट 10**नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का प्रारूप****10.1 उद्देशिका**

यह अपेक्षा की जाती है कि अध्याय द्वारा उस राज्य में, जहां प्रस्तावित संस्था स्थापित किया जा रहा है, तकनीकी शिक्षा की पृष्ठभूमि तथा उद्योग परिदृश्य के संबंध में प्रस्ताव की मुख्य विशेषताओं और डीपीआर को तैयार करने के लिए प्रवर्तकों द्वारा नियुक्त किए गए परामर्शकों, यदि कोई हैं, के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी।

10.1.1 प्रस्तावना**10.1.2 परामर्शकों की पृष्ठभूमि****10.1.3 तकनीकी शिक्षा और उद्योग परिदृश्य****10.2 प्रवर्तक निकाय**

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय में प्रवर्तक निकाय की स्थिति, पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं के संबंध में उसकी विधिक स्थिति, निकाय की प्रकृति अर्थात् लोकोपकारी न्यास, कुटुंब न्यास, सहकारी सोसायटी, सार्वजनिक सोसायटी आदि, इसकी स्थापना से इसके क्रियाकलाप जिसमें इसके सामाजिक, परोपकारी, शैक्षणिक क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया गया हो और आज की तारीख तक संचालित किए गए मुख्य क्रियाकलापों की सूची भी दी गई हो, तथा इसके मिशन और दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा।

- क. पंजीकरण की स्थिति को शामिल करते हुए इसकी स्थापना संबंधी विशेषताओं का परिचय।
- ख. प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि सहित उनका ब्यौरा।
- ग. प्रमुख शैक्षणिक कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हुए प्रवर्तक निकाय के क्रियाकलाप।
- घ. पूर्व में संचालित किए गए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप।
- ङ. प्रवर्तक निकाय का मिशन।
- च. प्रवर्तक निकाय का दृष्टिकोण।

10.3 प्रस्तावित महाविद्यालय के उद्देश्य और व्याप्ति

यह अपेक्षा की जाती है कि अध्याय द्वारा महाविद्यालय के लक्ष्य, राज्य में विद्यमान तकनीकी शिक्षा और उद्योग परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थापना की व्याप्ति और औचित्य, प्रवेश के लिए छात्रों की उपलब्धता, विशेषरूप से अर्हक परीक्षा अर्थात् प्रथम श्रेणी में +2 विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या तथा राज्य में इस पाठ्यक्रम—विशेष में (बीई/बी. फार्मा, /बी.आर्क./बीएचएमसीटी/एमसीए आदि) में पहले से उपलब्ध सीटों की संख्या तथा राज्य की तकनीकी मानवशक्ति आवश्यकता, यदि उपलब्ध हैं, के संबंध में प्रस्ताव की मुख्य विशेषताओं के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी।

- क. महाविद्यालय के उद्देश्य।
- ख. राज्य में सामान्य और तकनीकी शिक्षा परिदृश्य।
- ग. प्रवेश स्तर की स्थिति।
- घ. तकनीकी स्तर की मानवशक्ति की स्थिति।
- ङ. राज्य का औद्योगिक परिदृश्य।
- च. राज्य में पहले से ही उपलब्ध औद्योगिक परिदृश्य तथा शैक्षणिक सुविधाओं की तुलना में महाविद्यालय की व्याप्ति।

10.4 शैक्षणिक कार्यक्रम

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय में महाविद्यालय के मूलभूत शैक्षणिक दर्शन के विषय में जानकारी शामिल की जाएगी तथा चिह्नित कार्यक्रमों, लक्ष्यों तथा विभिन्न सुविधाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा।

- क. महाविद्यालय का मूलभूत शैक्षणिक दर्शन।
- ख. कार्यक्रमों का प्रकार।
- ग. चिह्नित कार्यक्रम।
- घ. कार्यक्रमों और प्रवेश क्षमता का चरणवार प्रारंभ किया जाना।

- ड. शैक्षणिक कार्यक्रम आरंभ करने के लिए लक्षित तिथि।
 च. केन्द्रीय कम्प्यूटिंग सुविधा।
 छ. केन्द्रीय पुस्तकालय।
 ज. केन्द्रीय कार्यशाला।
 झ. केन्द्रीय यंत्रशाला सुविधा।
 ञ. संबद्ध निकाय।
 ट. छात्रवृत्तियां।

10.5 शैक्षणिक प्रभागों की मुख्य विशेषताएं

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय के माध्यम से उन शैक्षणिक कार्यक्रमों/प्रभागों के पैरावार विवरण प्रदान किया जायेगा, जिनकी स्थापना प्रस्तावित महाविद्यालय अपने शैक्षणिक दर्शन के अनुरूप करने का इच्छुक है, जिसमें उसके उद्देश्य, विशेष बल दिये जाने वाले क्षेत्र, प्रत्येक नए शैक्षणिक प्रभाग के लिए अपेक्षित संकाय की संख्या का विस्तृत विश्लेषण, भवन स्थान, उपकरण आदि भी शामिल हैं।

- क. शैक्षणिक प्रभागों का वर्गीकरण अर्थात् विभाग, केन्द्र, विद्यालय, केन्द्रीय शैक्षणिक सुविधाएं
 ख. प्रत्येक शैक्षणिक विभाग/केन्द्र के विवरण, जैसे :
- शैक्षणिक उद्देश्य।
 - बल दिये जाने वाले क्षेत्र।
 - शैक्षणिक कार्यक्रम।
 - संकाय आवश्यकता तथा चरणवार भर्ती।
 - प्रयोगशालाओं, स्थान और उपकरणों की आवश्यकता (लागत)।
 - अन्य स्थान जैसे कक्षाएं, संकाय कक्ष, विभागीय कार्यालय की आवश्यकता।

10.6 गुणवत्ता और मानव संसाधन विकास

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय द्वारा प्रस्तावित संस्था के मानव संसाधन विकास संबंधी पहलुओं के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी जिसमें संकाय और कर्मचारियों के मध्य उत्कृष्टता को संवर्धित करने के लिए प्रबंधन की नीतियों, मेधावी संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और उन्हें अपने यहां बनाए रखने की कार्यनीतियों तथा गुणवत्ता प्रबंधन और शैक्षणिक उत्कृष्टता को संपोषित करने के लिए परिकल्पित क्रियाविधियों को भी शामिल किया जाएगा।

- क. शैक्षणिक मूल्य।
 ख. संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और उन्हें अपने यहां बनाए रखने के लिए उत्कृष्टता, प्रोन्नति के अवसरों और कैरियर संवर्धन संबंधी भर्ती कार्यनीतियां।
 ग. शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारी विकास के लिए नीतियां।
 घ. शिक्षण, शिक्षणोत्तर तथा अन्य सहायक कार्मिकों के लिए स्थायी तथा संविदा आधार पर सेवाएं।
 ड. सकल गुणवत्ता प्रबंधन।
 च. समग्र शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों की आवश्यकताएं।

10.7 तकनीकी शिक्षा में संबंध

यह अपेक्षा की जाती है कि यह अध्याय परिकल्पित किए गए बाह्य संबंधों का विस्तारपूर्वक वर्णन करेगा जिसमें अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन हेतु कार्यनीतियों, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उद्योगों के साथ संपर्क तथा व्यापक स्तर पर समाज के प्रति महाविद्यालयों के योगदान को भी शामिल किया जाएगा।

- क. प्रस्तावना।
 ख. उद्योग के साथ संबंध।
 ग. समुदाय के साथ संबंध।
 घ. क्षेत्र में अन्य महाविद्यालयों के साथ संबंध।
 ड. उत्कृष्टता की अन्य संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएस, बेंगलूरु, के साथ संबंध।
 च. विदेशों में संबंध।
 छ. अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के साथ संबंध।

10.8 शासन, शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रबंधन

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय के माध्यम से शासन के दर्शन तथा प्रशासनिक प्रबंधन के मूलभूत दर्शन का वर्णन किया जाएगा जिसमें इसके शासी बोर्ड (बीओजी) की संरचना, प्रचालनात्मक प्रबंधन के लिए संगठनात्मक चार्ट तथा प्रशासनिक पदक्रम—व्यवस्था के विभिन्न स्तरों में निहित उत्तरदायित्वों को भी शामिल किया जाएगा। यह अपेक्षा की जाती है कि संस्थागत शासन तथा प्रशासन की एक सुविचारित पद्धति इसके विकास और सफलता की कुंजी होगी।

- क. अभिशासन का दर्शन।
- ख. शासी मंडल।
- ग. दैनिक प्रचालनों तथा प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना और चार्ट।
- घ. प्रमुख वरिष्ठ पदों की भूमिका और उत्तरदायित्व।
- ङ. प्रशासन/प्रबंधन की पद्धतियाँ/शैली।

10.9 मुख्य परिसर के विकास के लिए संकल्पनात्मक मास्टर प्लान

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय में परिसर विकास के लिए मास्टर प्लान का ब्यौरा शामिल किया जाएगा, जो स्थल के चयन से लेकर प्रस्तावित भूमि उपयोग पैटर्न तक की जानकारी समाहित करेंगे तथा इसमें भू-स्थलाकृति के स्तर तक विभिन्न सुविधाओं/उपयोगिताओं का चरणवार निर्माण भी सम्मिलित होगा। विकास के संस्थागत पहलुओं को सुविधा, सुरक्षा तथा सुविधाओं के उपयोग के विविध आयामों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के अनुरूप आरंभ किए जाने अपेक्षित है।

- क. स्थल।
- ख. प्रस्तावित भूमि उपयोग पैटर्न।
- ग. डिजाइन संकल्पना।
- घ. परिसर में भवन और सुविधाएं।
- ङ. बाहरी सेवाएं।
- च. निर्माण प्रणाली तथा सामग्री।
- छ. भू-स्थलाकृति प्रस्ताव।

10.10 कर्मचारियों की भर्ती, स्थान तथा उपकरण और उनकी लागत

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय द्वारा कर्मचारियों, भवन, उपकरण और उनकी लागत की चरणवार आवश्यकताओं का एक समेकित अनुमान प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें अपेक्षित निधि को जुटाने के लिए कार्यनीतियाँ भी शामिल होंगी।

- क. प्रस्तावना।
- ख. संकाय की आवश्यकता।
- ग. शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की आवश्यकता।
- घ. भवन संबंधी अपेक्षाएं : क्षेत्र और लागत।
- ङ. उपकरणों की अनुमानित लागत।
- च. चरणवार वित्तीय आवश्यकताएं।
- छ. वित्त को जुटाने के लिए कार्यनीतियाँ।

10.11 क्रियान्वयन के लिए कार्य-योजना

यह अपेक्षा की जाती है कि इस अध्याय में संकल्पनात्मक अवस्था से लेकर क्रियाकलापों के अंतिम रूप से कार्यान्वयन तक का क्रियाकलाप चार्ट शामिल किया जाएगा जिसमें विभिन्न क्रियाकलापों, उनकी बाध्यताओं तथा वित्तीय परिव्यय सहित क्रियान्वयन कार्यनीति को भी सम्मिलित किया जाएगा।

- क. क्रियाकलाप संबंधी चार्ट।
- ख. बाध्यताएं।
- ग. वित्तीय परिव्यय।
- घ. क्रियान्वयन के लिए कार्यनीति।

10.12 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश

यह अपेक्षा की जाती है कि यह अध्याय सुलभ संदर्भ के लिए निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार डीपीआर का एक सारांश प्रस्तुत करेगा।

- क. प्रवर्तक निकाय के बारे में विवरण।
- ख. प्रवर्तक निकाय का नाम और पता।
- ग. प्रवर्तक निकाय के पंजीकरण/स्थापना की तारीख।
- घ. प्रवर्तक निकाय की प्रकृति।
- ङ. स्थापना के बाद से प्रवर्तक निकाय के क्रियाकलाप।
- च. प्रवर्तक निकाय की संरचना।

10.13 संकाय संबंधी आंकड़े

नाम	शैक्षणिक योग्यता	प्रवर्तक निकाय के साथ का स्वरूप	शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभव (वर्ष में)		
	तकनीकी	गैर-तकनीकी	संवर्धनात्मक	प्रबंधन	संगठनात्मक

10.14 प्रस्तावित संस्था

- क. प्रस्तावित महाविद्यालय के बारे में ब्यौरा।
- ख. प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए विकास योजना
- ग. प्रवर्तक निकाय का दृष्टिकोण (विजन)
- घ. प्रवर्तक निकाय का मिशन

10.15

- क. स्थापना के समय से पांच वर्षों के अंतराल पर आगामी दस वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु धनराशि जुटाने की व्यवस्था को दर्शाने वाला एक बार चार्ट प्रस्तुत कीजिए।
- ख. स्थापना के समय से पांच वर्षों के अंतराल पर आगामी दस वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु संकाय सदस्यों की भर्ती (व्याख्याता, सहायक आचार्य, आचार्य के लिए अलग-अलग) को दर्शाने वाला एक बार चार्ट प्रस्तुत कीजिए।
- ग. स्थापना के समय से पांच वर्षों के अंतराल पर आगामी दस वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्मित क्षेत्र (शैक्षणिक, प्रशासनिक और सुविधाओं के लिए अलग-अलग) को दर्शाने वाला एक बार चार्ट प्रस्तुत कीजिए।
- घ. स्थापना के समय से पांच वर्षों के अंतराल पर आगामी दस वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु उपकरणों और मशीनों पर निवेश को दर्शाने वाला एक बार चार्ट प्रस्तुत कीजिए।

10.16 परियोजना की कुल लागत (स्थापना के समय और आगामी पांच वर्षों के लिए)**10.17 धनराशि जुटाने/उसके स्रोतों के विवरण (पूँजीगत और आवर्ती) (स्थापना के समय और आगामी पांच वर्षों के लिए) (रुपए लाख में)**

10.18 संकाय सदस्यों की भर्ती (स्थापना के समय तथा आगामी पांच वर्षों के लिए)

वर्ष	आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य	कुल

10.19 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती (स्थापना के समय तथा आगामी पांच वर्षों के लिए)

वर्ष	भर्ती	योग	
	तकनीकी	प्रशासक	

10.20 शासी निकाय की प्रस्तावित संरचना

क्रम सं.	न्यास/सोसायटी प्रतिनिधि	शैक्षणिक पृष्ठभूमि		उद्योग प्रतिनिधि	अन्य
		तकनीकी	गैर-तकनीकी		

10.21 उद्योग के साथ संबंध (स्थापना के समय तथा आगामी पांच वर्षों के लिए)**घोषणा**

मैं/हम, “_____” की ओर से एतद्वारा यह पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट “_____” नाम और शैली के अंतर्गत इसके प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए तैयार की गई है। एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(आवेदक का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

स्थान :

नाम :

तिथि :

पदनाम:

मुहर :

परिशिष्ट 11 : विभिन्न समितियों की संरचना के संबंध में विवरण**11.1 संवीक्षा समिति**

संरचना	गणपूर्ति
आईआईटी/सरकारी/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं का आचार्य। विश्वविद्यालय के दो आचार्य। अधिवक्ता परिषद् के साथ पंजीकृत एक अधिवक्ता। वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत एक वास्तुविद।	एक आचार्य/ सह-आचार्य, सभापति के रूप में। अधिवक्ता परिषद् के साथ पंजीकृत एक अधिवक्ता। संबंधित राज्य सरकार के राजस्व विभाग के उप सचिव के पद से अनिम्न एक अधिकारी संबंधित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा अथवा वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत कोई वास्तुविद।

11.2 विशेषज्ञ समिति

संरचना	गणपूर्ति
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य के स्तर से अनिम्न किसी शिक्षाविद को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा सभापति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दो विशेषज्ञ सदस्य जो सह-आचार्य, से अनिम्न स्तर के होंगे जिसका चयन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किया जायेगा। एक अधिकारी जो संबंधित राज्य सरकार के राजस्व विभाग के उप-निदेशक के पद से अनिम्न हो जिसका नामनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किया जाएगा अथवा वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत कोई वास्तुविद जिसका नामनिर्देशन क्षेत्रीय समिति के सभापति द्वारा किया जायेगा अथवा कोई विशेषज्ञ जो भूमि और राजस्व के मामलों का ज्ञाता हो जिसका नामनिर्देशन सभापति, क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जाएगा। सह-आचार्य से अनिम्न पद का एक विशेषज्ञ सदस्य जिसका नामनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जायेगा।	सभापति के रूप में आचार्य। एक विशेषज्ञ सदस्य। एक अधिकारी जो संबंधित राज्य सरकार के राजस्व विभाग के उप-निदेशक के पद से अनिम्न हो, जिसका नामनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किया जाएगा अथवा वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत कोई वास्तुविद जिसका नामनिर्देशन क्षेत्रीय समिति के सभापति द्वारा किया जायेगा अथवा कोई विशेषज्ञ जो भूमि और राजस्व के मामलों का ज्ञाता हो जिसका नामनिर्देशन सभापति, क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट 12

निम्नवत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

- ❖ नए तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना जो डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर एक या अधिक तकनीकी कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हों।
- ❖ मौजूदा महाविद्यालयों में डिग्री स्तर पर नए तकनीकी कार्यक्रम शामिल करना।
 - स्थल/अवस्थान में परिवर्तन
 - संस्थान को बंद करना
 - महिलाओं संस्थानों को सह-शिक्षा संस्था के रूप में परिवर्तित करना।

12.1 नए संस्थान

आवेदक निम्नलिखित सहायक दस्तावेज मूल रूप में तथा साथ ही उनकी एक प्रति जो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित हो, तथा अन्य आवश्यक सूचना संवीक्षा समिति को प्रस्तुत करेगा।

शपथ-पत्र के अलावा अन्य सहायक दस्तावेज आवेदक के पत्र-शीर्ष पर होने चाहिए तथा उन्हें आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अथवा संस्था के प्रमुख द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

संवीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

1. संस्था की भवन आयोजना किसी ऐसे वास्तुविद द्वारा की जानी चाहिए जो वास्तुकला परिषद के साथ पंजीकृत हो तथा उनका अनुमोदन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा यथाअभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया होना चाहिए।
2. 100 रुपए के गैर-न्यायिक पत्र पर विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रारूप में एक वचन-पत्र जिसमें किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर के समक्ष सम्यक रूप से शपथ ली गई हो।
3. आवेदक के संगठन द्वारा संकल्प जो विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र में होगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र में किसी अधिवक्ता द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
5. अनुमोदित भवन योजनाओं के बारे में किसी वास्तुविद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
6. आवेदक की वित्तीय स्थिति के बारे में बैंक के प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
7. संपूर्ण आवेदन का एक प्रिंट जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।
8. इन दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के साक्ष्य के रूप में राज्य सरकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से शासकीय मुहर सहित प्राप्ति रसीद।
9. पीडीएफ फाइल के रूप में संलग्न की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।
10. सोसायटी/न्यास/कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित कंपनी/पीपीपी/बीओटी के पंजीकृत दस्तावेज जिसमें इसके सदस्यों, उद्देश्यों, संगम-ज्ञापन तथा नियमों को दर्शाया गया हो तथा जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो।
11. महाविद्यालय के शासी मंडल का गठन परिशिष्ट 14 के अनुसार किया जाएगा।
12. बशर्ते यह कि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित किसी कंपनी के मामले में, संगम-ज्ञापन तथा नियमों में यह उपबंध अवश्य अंतर्विष्ट होना चाहिए कि कंपनी का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है तथा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आय का उपयोग अनन्य रूप से तकनीकी संस्थान के विकास के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।
13. बशर्ते आगे कि, यदि आवेदन पीपीपी/बीओटी के प्रस्ताव के साथ किया गया है, तो आवेदक पीपीपी/बीओटी के बारे में करार/संविदा की सत्यापित प्रति/किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा। आवेदक संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा एसडीएम द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अथवा पृष्ठांकन भी प्रस्तुत करेगा जो इस संबंध में होगा कि ऐसे क्षेत्र में पीपीपी/बीओटी से संबंधित ऐसा प्रस्ताव आवेदक सोसायटी/न्यास/कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित कंपनी से जुड़ा हुआ है।
14. आवेदक के संगठन द्वारा संकल्प जो विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र में होगा तथा नया तकनीकी महाविद्यालय खोलने अथवा नए कार्यक्रम शामिल करने अथवा प्रस्तावित क्रियाकलापों के लिए भूमि/भवन/निधि आवंटित करने से संबंधित होगा।
15. आवेदक के नाम पर स्वामित्व को दर्शाने वाले दस्तावेज जो किसी प्राइवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी अथवा पिछले तीन वर्षों में 100 करोड़ रुपए न्यूनतम का टर्नओवर रखने वाले उद्योग द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख/अप्रतिसंहरणीय उपहार विलेख (पंजीकृत)/अप्रतिसंहरणीय पट्टे (न्यूनतम 99 वर्ष के लिए)/सरकार से संबंधित प्राधिकरण द्वारा अप्रतिसंहरणीय सरकारी पट्टे (न्यूनतम 30 वर्ष के लिए) हो अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो आवेदक के नाम पर भूमि के स्वामित्व और कब्जे की पुष्टि करते हों। यदि भूमि दस्तावेज स्थानीय भाषा में हैं, तो दस्तावेजों का नोटरीकृत अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
16. भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा जिसमें भूमि का प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजन के लिए करने की अनुमति दी गई हो और साथ ही स्थलाकृति आरेख/ग्राम मानचित्र जिसमें भूमि सर्वेक्षण संख्या दर्शाई गई हो और सड़क मानचित्र की एक प्रति जिसमें संस्था के प्रस्तावित स्थल की स्थिति दर्शायी गयी हो।
17. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि संपरावर्तन प्रमाण-पत्र जिसमें महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए भूमि का प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजनार्थ करने हेतु अनुमति दी गई हो और साथ ही स्थलाकृति आरेख/ग्राम मानचित्र जिसमें भूमि

सर्वेक्षण संख्या दर्शाई गई हो और सड़क मानचित्र की एक प्रति जिसमें संस्था के प्रस्तावित स्थल का अवस्थान दर्शाया गया हो।

18. भूमि एक भूखण्ड के रूप में है यह दर्शाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खसरा योजना (मास्टर प्लान)।
19. जहां कहीं भी लागू हो, संबंधित पालिका निगम अथवा स्थानीय प्राधिकरण जो भवन योजनाओं को अनुमोदित करता है, द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र से एफएसआई/एफएआर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
20. खण्ड 2.5 में यथावर्णित कार्यशील पूंजी (निधियां) का प्रमाण या तो बैंक में साविधि जमा के रूप में होगा अथवा आवेदक संस्था द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक में खोले गए खाते की अद्यतन बैंक विवरणी साथ ही बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के रूप में होगा।
21. आवेदक संगठन के खातों की पिछले तीन वर्षों के लिए यथा लागू लेखा परीक्षित विवरणी।
22. वास्तुकला परिषद् (सीओए) के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद् द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित तकनीकी महाविद्यालय की स्थल योजना, भवन योजना तथा उसे संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम योजना संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया हो।
23. स्थायी स्थल पर प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए अनन्य रूप से प्रयोग हेतु आशयित सभी प्रस्तावित/विद्यमान भवनों की फ्लोर योजना, खण्ड और एलिवेशन तथा एक तालिका जिसमें सभी कमरों के कार्पेट क्षेत्रफल को वर्गफुट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, जैसा कि शिक्षण, प्रशासनिक और प्रसुविधाओं की अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका सत्यापन वास्तुकला परिषद के साथ पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा किया जाना चाहिए। वास्तुकला परिषद के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद् द्वारा सत्यापित आंशिक कब्जे, यदि कोई हो तो, के दौरान सुनिश्चित की जाने वाली सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी सावधानियां।
24. प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक के सभी अनुप्रयुक्त/विद्यमान पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए यथा अपेक्षित कुल कारपेट और निर्मित क्षेत्र की प्राप्ति के लिए निर्माण की चरण-वार योजना। इसका सत्यापन वास्तुकला परिषद के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद् द्वारा किया जाना चाहिए।
25. आवेदित किए गए पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या की प्रति।
26. अल्पसंख्यक स्थिति के बारे में प्रमाण पत्र, यदि आवेदन किए जाने वाले समय के दौरान लागू है। इसके पश्चात् किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
27. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जिसमें यह दर्शाया गया होगा कि क्या प्रस्तावित नई संस्था/तकनीकी महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में पड़ती है अथवा किसी अन्य क्षेत्र में।

12.2 विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

आवेदक द्वारा करने वाली विशेषज्ञ समिति के समक्ष निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिनके साथ उनकी एक प्रति भी संलग्न की जाएगी जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित किया गया हो तथा साथ ही अन्य आवश्यक जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी।

1. प्राचार्य तथा संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए कम-से-कम एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
2. समस्त भंडार मदों का स्टॉक रजिस्टर जिसमें प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर, प्रणालीगत और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, कार्यालय उपकरण तथा अन्य समस्त भण्डार मदें शामिल होंगी।
3. एमबीपीएस तथा कंटेंशन अनुपात में इंटरनेट बैंडविड्थ के प्रावधान का प्रमाण।
4. पुस्तकालय के लिए खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक और खण्ड के शीर्षकों को दर्शाती सूची।
5. उपकरणों और पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए बीजक/कैश मेमो की प्रति।
6. उपकरणों और पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए बीजक/कैश मेमो की प्रति।
7. परिशिष्ट 9 के अनुसार ई-जर्नलों के सब्सक्रिप्शन का विवरण।
8. सब्सक्राइब किए गए राष्ट्रीय जनरलों की हार्ड-प्रति की सूची और उनके विवरण।
9. सब्सक्राइब किए गए अंतर्राष्ट्रीय जनरलों की हार्ड-प्रति की सूची और उनके विवरण।
10. विद्युत आपूर्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत लोड की मंजूरी।
11. बैकअप विद्युत आपूर्ति के प्रावधान के विवरण।

12. किसी वास्तुविद् द्वारा प्रमाण-पत्र जिसमें मल-व्ययन निपटान प्रणाली तथा विकलांग छात्रों के लिए तैयार किए गए बाधा रहित परिवेश और शौचालयों तथा सभी मौसमों में आवागमन के लिए उपलब्ध संपर्क सड़क के विवरण दिए गए हों।
13. प्रस्तावित तकनीकी संस्था में उपलब्ध टेलीफोन कनेक्शनों के विवरण और प्रमाण।
14. चिकित्सा सुविधा तथा परामर्श संबंधी व्यवस्था के बारे में विवरण और साक्ष्य।
15. छात्रों के लिए उपलब्ध रेप्रोग्राफिक सुविधा के विवरण।
16. समान सोसायटी अथवा प्रबंधन द्वारा अथवा किसी अन्य प्रबंधन जिसका आवेदक सोसायटी का अध्यक्ष एक सदस्य है, द्वारा चलाई जा रही अन्य सभी शैक्षणिक संस्थाओं के विवरण।
17. विशेषज्ञ समिति के दौरे की समस्त कार्यवाहियों की तिथि और समय के साथ वीडियो रिकार्डिंग, जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का भाग बनेगी। इसमें शूटिंग की तिथि और समय के साथ समिति के दौरे का वीडियो, तिथि और समय के साथ तैयार की गई समस्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की शूटिंग की संस्था के दौरे की वीडियो भी शामिल होगी जिसमें सृजित की गई सभी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की शूटिंग की जाएगी, जिनमें पूर्ण वास्तविक अवसंरचनाओं/सुविधाओं को दर्शाया जाएगा, तथा संस्थान के अग्रिम, पश्च और कक्षाओं, अनुशिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, ड्राइंग हाल, कम्प्यूटर सेंटर, पुस्तकालय, वाचनालय, संगोष्ठी हॉल तथा अन्य कक्ष, जैसा कि कार्यक्रम-वार शिक्षण क्षेत्र की अपेक्षाओं में निर्दिष्ट किया गया है और प्रधानाचार्य के कक्ष, बोर्ड कक्ष, मुख्य कार्यालय, विभागीय भण्डारों, संकाय केबिनो/बैठने की व्यवस्था तथा अन्य उन सभी कमरों के भीतरी भाग, जिनका उल्लेख प्रशासनिक क्षेत्र अपेक्षाओं में किया गया है, शौचालय सुविधाओं, छात्र और छात्राओं के आमोद कक्ष, अल्पाहार गृह तथा अन्य उन सभी कक्षाओं का आंतरिक भाग जिनका उल्लेख प्रसुविधा क्षेत्र अपेक्षाओं में किया गया है, परिचालन क्षेत्र जिसमें आंतरिक प्रवेश लॉबी, सामान्य मार्ग, स्वचालित सीढ़ियां, सीढ़ियां और अन्य कॉमन क्षेत्रों को दर्शाया गया होगा।

12.3 आशय पत्र के जारी होने पश्चात् प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

1. नई संस्थाएं जिन्हें आशय-पत्र अथवा अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई तथा मौजूदा संस्थाएं जिन्हें नए पाठ्यक्रम/प्रभाग/कार्यक्रम, द्वितीय पाली अथवा प्रवेश क्षमता में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की गई है, शिक्षण कर्मियों और प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं, वेतनमान आदि के बारे में नीति का पालन करेंगे तथा अन्य तकनीकी, सहायक कर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूची का पालन करेंगे।
2. अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न संस्था शिक्षण कर्मियों/प्रधानाचार्य तथा अन्य तकनीकी सहायक कार्मिकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को विशेष रूप से चयन प्रक्रियाओं और चयन समिति के मामले में संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय की पद्धतियों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करते हुए नियुक्त करेंगे।
3. कर्मचारियों की ऐसी नियुक्तियों के बारे में सूचना को विनिर्दिष्ट प्रपत्र में विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
4. किसी भी परिस्थिति में, संस्थानों द्वारा अनुमोदित तकनीकी पाठ्यक्रमों को तब तक आरंभ नहीं किया जाएगा, जब तक सभी शिक्षण और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती न कर ली गई हो।
5. संकाय तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के आंकड़ों की विहित प्रपत्र के अनुरूप प्रविष्टि की जाएगी।

12.4 संस्था को बंद करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

1. संस्था को बंद करने के लिए आवेदन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदक संस्था द्वारा संकल्प।
2. संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र जिसमें संस्थान में अध्ययनरत मौजूदा छात्रों की शिक्षा को जारी रखने के संबंध में की गई व्यवस्थाओं/वैकल्पिक उपायों के बारे में विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रपत्र पर स्पष्ट उल्लेख किया गया हो।
4. संस्था की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के साथ बनाए गए आरपीजीएफ/संयुक्त एफडीआर/एफडी के विवरण।

12.5 स्थल/अवस्थान में परिवर्तन के लिए मांगी जाने वाली अनुमति हेतु अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज

1. स्थल/अवस्थान में परिवर्तन को अनुमोदित करने वाले शासी मंडल के सदस्यों द्वारा संकल्प जिसे सोसायटी/न्यास के अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित किया गया हो।
2. संबंधित राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

12.6 महिला संस्थान को सह-शिक्षा संस्थान में परिवर्तित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज

1. सक्षम प्रवेश प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि लगातार तीन वर्षों में 40 प्रतिशत से कम प्रवेश हुए हैं।
2. पिछले निरंतर तीन वर्षों में छात्रों के वास्तविक नामांकन को दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र, जिसे संबद्ध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो।
3. महिला संस्था से सह-शिक्षा संस्था में परिवर्तन के लिए न्यास/सोसायटी/शासी मंडल का संकल्प।
4. राज्य सरकार का अनापत्ति-प्रमाण पत्र।
5. विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान एफडीआर, यदि कोई है, को वापस करने के बदले में संकल्प के अनुसार जमा की जाने वाली राशि।
6. भूमि से संबंधित दस्तावेज जिन्हें विनियमों के अनुसार जमा किया जाएगा।

12.7

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि का गैर-विलग्न प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट 13**निम्नवत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज**

- विद्यमान महाविद्यालय की संबद्धता का विस्तार।
- विद्यमान पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कटौती।
- विद्यमान कार्यक्रम में पाठ्यक्रम शामिल करना।
- कार्यक्रम/पाठ्यक्रम को बंद करना।
- डीएफडब्ल्यू के लिए अधिसंख्य सीटों का अनिवार्य प्रावधान।
- पीआईओ के लिए अधिसंख्यक सीटों को आरंभ करना/जारी रखना/समाप्त करना।
- एनआरआई के पुत्रों/पुत्रियों के लिए सीटों को आरंभ करना/जारी रखना/समाप्त करना।
- संस्थान के नाम में परिवर्तन।
- दूसरी पाली के कार्यक्रम।
- अंशकालिक कार्यक्रम।

13.1 विद्यमान संस्थाओं को संबद्धता का विस्तार (ईओए) जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

संबद्धता के विस्तार (ईओए) के लिए आवेदन करने वाली आवेदक संस्था, विश्वविद्यालय को नीचे दिए गए अनुलग्नकों की सूची के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करेगी जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो।

शपथ-पत्रों के अलावा, अन्य सहायक दस्तावेज आवेदक के पत्र-शीर्ष पर तैयार किए जाने चाहिए तथा उन्हें आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अथवा संस्था के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

- i. संपूर्ण आवेदन का एक प्रिंट और कमी/अद्यतन स्थिति रिपोर्ट संबद्ध विश्वविद्यालय तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके साथ अनुसूची में उल्लिखित तिथि को अथवा उससे पूर्व नीचे उल्लिखित सभी अनुलग्नक भी प्रेषित किए जाने चाहिए जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो।
- ii. इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के प्रमाण के रूप में राज्य सरकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से मुहरांकित रसीद।
- iii. उपयुक्त वेबसाइट का प्रयोग करते हुए उपग्रह मानचित्र जिसमें भूमि की भौगोलिक स्थिति दर्शायी गयी हो तथा उसमें अक्षांश और देशांतर रेखांश का उल्लेख हो।
- iv. संबद्धता के विस्तार के संबंध में भुगतान रसीद की प्रति।
- v. महाविद्यालय की स्थापना से पिछले दो वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस, यदि कोई हो तो।
- vi. विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में दायर किए गए मामलों तथा न्यायालय के आदेशों, यदि कोई हो तो, का ब्यौरा।

- vii. 100 रु० के गैर-न्यायिक स्टाम्प-पेपर पर विश्वविद्यालय द्वारा विहित प्रारूप में एक वचन-पत्र जिसमें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ग्रहण की गई हो।
- viii. सभी प्रत्यायन-पत्रों, यदि पिछले एक वर्ष में प्राप्त किए गए हों, की प्रति।
- ix. महाविद्यालय के प्रमुख से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि सभी वर्षों और सभी पाठ्यक्रमों के लिए समस्त संकाय सदस्यों और समस्त शिक्षणोत्तर कार्मियों के आंकड़ों तथा सभी छात्रों के आंकड़ों को विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार वेब-पोर्टल में शामिल कर लिया गया है।

13.2 प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

संबद्धता के विस्तार (ईओए) के लिए आवेदन करने वाला आवेदक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को नीचे दिए गए अनुलग्नकों की सूची के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो।

शपथ-पत्र के अलावा, अन्य सहायक दस्तावेज आवेदक के पत्र-शीर्ष पर तैयार किए जाने चाहिए तथा उन्हें आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अथवा संस्था के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

- i. पंजीकरण प्रमाण-पत्र और न्यास विलेख/सोसायटी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति।
- ii. संगम ज्ञापन और नियम।
- iii. परिशिष्ट 14 के अनुसार गठित संस्थान के शासी मंडल के विवरण।
- iv. पंजीकरण दस्तावेज, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि जिस भूमि पर संबंधित महाविद्यालय स्थित है, वह, जैसा भी मामला हो, प्रायोजक न्यास/सोसायटी के विधिक कब्जे में है।
- v. भूमि उपयोग प्रमाण पत्र जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि सक्षम प्राधिकारी ने जिस भूमि पर संबंधित संस्था अवस्थित है, उस भूमि के उपयोग की अनुमति शैक्षणिक प्रयोजन के लिये और संबंधित संस्था की स्थापना के प्रयोजन के लिए प्रदान की है।
- vi. भूमि एक भूखण्ड के रूप में है, यह दर्शाने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खसरा योजना(मास्टर प्लान)।
- vii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित अंतिम भवन और तल आयोजना।
- viii. भवन के कुल निर्मित क्षेत्रफल तथा प्रत्येक कमरे के कार्पेट क्षेत्रफल के संबंध में वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद् का प्रमाण-पत्र।
- ix. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित संस्था की स्थापना के समय विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ में प्रदान किया गया संबद्धता पत्र।
- x. प्रवेश-क्षमता में भिन्नता को दर्शाने वाले संबद्धता के विस्तार के सभी उत्तरवर्ती पत्र और/अथवा पत्र।
- xi. प्रधानाचार्य और सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति-पत्र, कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, स्नातकपूर्व, स्नात्कोत्तर और अन्य प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और उनके दाएं अंगूठे अथवा दाएं की अनुपस्थिति में बाएं अंगूठे की बायोमीट्रिक इमेज।
- xii. जैसाकि शिक्षण संकाय के मामले में किया गया था, नियुक्त किए गए प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों के ब्यौरे और उनके दाएं अथवा दाएं की अनुपस्थिति में बाएं अंगूठे की बायोमीट्रिक इमेज और फोटोग्राफ।
- xiii. शिक्षण और शिक्षणोत्तर कार्मिकों की नवीनतम वेतन-पर्ची जिसमें उनके वेतनमान, सकल वेतन, भविष्य निधि कटौती, स्रोत पर आयकर कटौती का ब्यौरा दिया गया हो।
- xiv. संस्था और आवेदक सोसायटी/न्यास/कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अधीन स्थापित कंपनी और विद्यमान महाविद्यालय की पिछले तीन वर्षों के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणी, यदि लागू हो तो, का ब्यौरा।
- xv. पिछले वित्त वर्ष के लिए प्रमाणित आय-व्यय विवरण।
- xvi. वर्तमान अनुमोदित शुल्क संरचना और उसे अनुमोदित करने वाले निकाय के बारे में ब्यौरा।
- xvii. आज की तिथि के अनुसार प्रचालनात्मक निधियों के विवरण।
- xviii. मुख्य उपकरणों, कम्प्यूटरों, सॉफ्टवेयरों और प्रिंटरों की संख्या और विवरणों को दर्शाती सूची।
- xix. पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए प्राप्ति रजिस्टर के अंतिम तीन पृष्ठ।
- xx. परिशिष्ट 9 के अनुसार ई-जर्नलों के सबस्क्रिप्शन का प्रमाण तथा राष्ट्रीय जर्नलों की हार्ड-प्रति। तथापि, अंतरराष्ट्रीय जर्नलों की हार्ड-प्रति भी वांछनीय है।
- xxi. सरकारी प्राधिकरण/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट के साथ पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता के बारे में जानकारी जिसमें पीने के प्रयोजन के लिए जल की उपयुक्तता का उल्लेख किया गया हो।
- xxii. विद्युत आपूर्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत लोड की संस्वीकृति।
- xxiii. बैंकअप विद्युत आपूर्ति के प्रावधान के विवरण।
- xxiv. जल-मल व्ययन निपटान प्रणाली, विकलांग छात्रों के लिए निर्मित बाधारहित परिवेश और शौचालयों तथा बारहमासी पहुंच मार्ग का ब्यौरा देते हुए किसी वास्तुविद् द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- xxv. महाविद्यालय में उपलब्ध टेलीफोन कनेक्शनों के विवरण और प्रमाण।
- xxvi. चिकित्सा सुविधा और परामर्श संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में विवरण और प्रमाण।
- xxvii. छात्रों के लिए उपलब्ध रेप्रोग्राफिक सुविधा के विवरण।
- xxviii. छात्रों और कार्मिकों के लिए उपलब्ध परिवहन सुविधा के विवरण।

- xxix. क) संयुक्त एफडीआर रसीद की प्रति तथा एफडीआर की प्रति जिसे संस्थान द्वारा महाविद्यालय की स्थापना के समय खोला गया था।
 ख) यदि आठ वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एफडीआर को भुना लिया गया है, तो विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को जारी किए गए एफडीआर निर्मुक्ति पत्र की प्रति।
- xxx. तिथि और समय के साथ न्यूनतम पांच मिनट की अवधि की शूटिंग का वीडियो ('विंडोज मीडिया प्लेयर' अनुकूल) जिसमें समग्र वास्तविक अवसंरचना/सुविधाओं को दर्शाया गया हो तथा उसमें निम्न को भी दर्शाया गया हो:
- xxxi. क. समग्र भवन का अग्रिम और पश्च भाग।
 ख. परिशिष्ट 4 में कार्यक्रमवार शैक्षणिक क्षेत्र अपेक्षाओं में यथा उल्लिखित, कक्षाओं, अनुशिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, ड्राइंग हॉल, कम्प्यूटर केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय, संगोष्ठी हॉल तथा अन्य सभी कक्षों का भीतरी भाग।
 ग. परिशिष्ट 4 में प्रशासनिक क्षेत्र अपेक्षाओं में यथा उल्लिखित, प्रधानाचार्य के कक्ष, बोर्ड कक्ष, मुख्य कार्यालय, विभागीय कार्यालय, संकाय केबिन/बैठने की व्यवस्था तथा अन्य सभी कक्षों का भीतरी भाग।
 घ. परिशिष्ट 4 में प्रसुविधा क्षेत्र अपेक्षाओं में यथा उल्लिखित, शौचालय सुविधाओं, छात्र और छात्राओं के मनोरंजन कक्ष, जलपान-गृह तथा अन्य सभी कक्षों का भीतरी भाग।
 ङ. परिचालन क्षेत्र के विवरण जिनमें प्रवेश लॉबी, सामान्य मार्गों, स्वचालित सीढ़ियों, सीढ़ियों और अन्य कॉमन क्षेत्रों का चित्रण हो।

13.3 मौजूदा शिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

मौजूदा शिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए अनुमति प्राप्त करते समय निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :

- i. आवेदक संगठन द्वारा अतिरिक्त पाठ्यक्रम आरंभ करने/विद्यमान कार्यक्रम में डिजीजन तथा प्रस्तावित क्रियाकलापों के लिए भूमि/भवन/निधियों को आवंटित करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में संकल्प।
- ii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन आयोजना, जिसमें आवेदन की गई अतिरिक्त प्रवेश क्षमता की पूर्ति के लिए अतिरिक्त कार्पेट क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया हो।
- iii. भवन के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल तथा प्रत्येक कक्ष के कारपेट क्षेत्रफल के संबंध में वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत किसी वास्तुविद् से प्रमाण-पत्र।

13.4 मौजूदा शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को बंद करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

- i. आवेदक संस्था द्वारा प्रवेश क्षमता में कमी करने अथवा पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को बंद करने के लिए आवेदन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में संकल्प।
- ii. संबंधित राज्य सरकार से निर्दिष्ट प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- iii. विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में महाविद्यालय द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र दिया जाना अपेक्षित है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि संस्था में अध्ययनरत मौजूदा छात्रों की शिक्षा को जारी रखने के लिए प्रावधान/वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
- iv. संस्था की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के साथ तैयार की गई आरपीजीएफ/संयुक्त एफडीआर/एफडी के विवरण।

13.5 मौजूदा शिक्षण संस्थाओं में पीओआई के लिए अधिसंख्य सीटों को आरंभ करने की अनुमति प्राप्त के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

- i. पीओआई के लिए अधिसंख्य सीटों को आरंभ करने के लिए आवेदन से संबंधित आवेदक महाविद्यालय द्वारा वेबपोर्टल में यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में संकल्प।
- ii. छात्रावास प्रमुख और छात्रावास प्रशासन के बारे में विवरण।

13.6 एनआरआई के पुत्रों/पुत्रियों के लिए सीटों हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज

- i. विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में एनआरआई के पुत्रों/पुत्रियों के लिए अधिसंख्य सीटें आरंभ करने के लिए आवेदन के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा संकल्प।

13.7 महाविद्यालय के नाम में परिवर्तन करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज

नाम में परिवर्तन को अनुमोदित करने वाले शासी मंडल के सदस्यों द्वारा पारित संकल्प, जिसे सोसायटी/न्यास के अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित किया गया हो।

- i. संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

13.8 स्थल/अवस्थिति में परिवर्तन, महाविद्यालय को बंद करने, विदेशी सहयोग, युगलन कार्यक्रम तथा महिला महाविद्यालय को सह-शिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ समिति के दौरे के दौरान उसके सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक प्रति।

- ii. मुख्य उपकरणों, कम्प्यूटरों, प्रिंटरों और सॉफ्टवेयरों की संख्या और विवरणों को दर्शाती सूची।
- iii. पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए प्राप्ति रजिस्टर के अंतिम तीन पृष्ठ।
- iv. ई-जर्नलों के सब्सक्रिप्शन का प्रमाण तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नलों की हार्ड-प्रति।
- v. पूर्व के दो बैचों का परीक्षा परिणाम तथा उनके आंकड़े।
- vi. शिक्षण-कार्मिकों और शिक्षणोत्तर कार्मिकों की अद्यतन वेतन पर्ची जिसमें वेतन मान, सकल वेतन, भविष्य निधि कटौती, स्रोत पर आयकर कटौती का ब्यौरा दिया हो तथा शिक्षण कर्मी : छात्र अनुपात का विवरण हो।
- vii. सरकारी प्राधिकरण/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट के साथ पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता के बारे में जानकारी जिसमें पीने के प्रयोजन के लिए जल की उपयुक्तता का उल्लेख किया गया हो।
- viii. वद्युत आपूर्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत लोड की संस्वीकृति।
- ix. बैकअप विद्युत आपूर्ति के प्रावधान का विवरण।
- x. चिकित्सा सुविधा और परामर्श संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में विवरण और प्रमाण।
- xi. दौरा करने वाले दिन इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
- xii. विशेषज्ञ समिति के दौरे की रिपोर्ट के भाग के रूप में विशेषज्ञ समिति के दौरे की वीडियो रिकॉर्डिंग।
- xiii. यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में उपस्थिति शीट जिसे विशेषज्ञ समिति के सदस्यों, आवेदक सोसायटी/न्यास के प्रतिनिधियों तथा दौरे के दौरान उपस्थित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित/डिजिटल रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो।

परिशिष्ट 14

विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं के शासी मंडल की संरचना

14.1

- क. शासी मंडल में अध्यक्ष और सदस्य-सचिव को शामिल करते हुए न्यूनतम ग्यारह सदस्य होंगे। पंजीकृत सोसायटी/न्यास, अध्यक्ष और सदस्य-सचिव को शामिल करते हुए छह सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा तथा शेष पांच सदस्यों का नामनिर्देशन निम्न प्रकार से किया जाएगा—
- ख. अध्यक्ष, जिसे पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
शासी मंडल का अध्यक्ष अधिमानतः एक तकनीकी व्यक्ति होगा जो या तो एक उद्यमी अथवा उद्योगपति अथवा प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होगा जो तकनीकी शिक्षा के विकास में रुचि रखता हो और जिसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन में रुचि दर्शायी हो।
- ग. दो से पांच सदस्य, जिनका नामनिर्देशन पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा किया जाएगा।
- घ. विश्वविद्यालय का नामिती।
- ङ. क्षेत्र के उद्योगपतियों/प्रौद्योगिकीविदों/शिक्षाविदों में से दो सदस्य, जिनका नामनिर्देशन कुलपति द्वारा किया जाएगा।
- च. राज्य सरकार के दो नामिती।
- छ. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य (सोसायटी/न्यास के नामिती के रूप में) — सदस्य-सचिव
- ज. दो संकाय सदस्य जिनका नामनिर्देशन नियमित कार्मिकों में से किया जाएगा जिनमें से एक आचार्य के स्तर का तथा दूसरा सहायक आचार्य के स्तर का होगा।
- झ. महाविद्यालय के हित को ध्यान में रखते हुए सदस्यों की संख्या में, पंजीकृत सोसायटी के नामितियों की संख्या में वृद्धि करते हुए तथा क्षेत्र से समान संख्या में शिक्षाविदों को शामिल करते हुए, समान रूप से वृद्धि की जा सकती है। तथापि, शासी निकाय के सदस्यों की कुल संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION
UGC [AFFILIATION OF COLLEGES OFFERING TECHNICAL EDUCATION BY UNIVERSITIES]
REGULATIONS, 2014**

New Delhi, the 28th February, 2014

F. No. 14-9/2013 (CPP-II) To promote and coordinate university education including technical education, and for the determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in universities, especially in technical education and in view of the judgement of the Hon'ble Supreme Court vide Civil Appeal No. 1145 of 2004 and Civil Appeal Nos. 5736-5745 of 2004 whereby the authority of All India Council for Technical Education (AICTE) to grant approval to colleges, affiliated to universities, conducting technical education has been negated; the UGC, in exercise of powers conferred by Clauses (f) and (g) of Sub-section (1) of Section 26 read with Section 12 (d) of the University Grants Commission Act, 1956 hereby makes the following Regulations:

1. Short Title, Application and Commencement

- 1.1 These Regulations shall be called the UGC [Affiliation of Colleges offering Technical Education by Universities] Regulations, 2014.
- 1.2 They shall apply to all colleges offering technical education at degree level and seeking affiliation and/or already affiliated to the universities in India established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act.
- 1.3 These Regulations will be in addition to and not in derogation to the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 and its subsequent Regulations namely UGC [Affiliation of Colleges by Universities] (1st Amendment) Regulations, 2012 as notified on 13th February, 2012.
- 1.4 They shall come into force with immediate effect.

2. Definitions: In these Regulations

- 2.1 "Affiliation" together with its grammatical variations, includes, in relation to a college, recognition of such college by, association of such college with, and admission of such college to the privileges of a university;
- 2.2 "AICTE" means All India Council for Technical Education, established by the All India Council for Technical Education Act, 1987;
- 2.3 "College" means any institution, whether known as such or by any other name which provides for a programme of study beyond 12 years of schooling or beyond 03 years of diploma after 10 years of schooling for obtaining any degree from a university and which, in accordance with the rules and regulations of the university, is recognized by the UGC as competent to provide for such programme of study and present students undergoing such programme of study for the examination for the award of such qualification;
- 2.4 "Commission" means the University Grants Commission established under the UGC Act, 1956;
- 2.5 "NAAC" means National Assessment and Accreditation Council www.naac.org, an autonomous body under Section 12(ccc) of UGC Act, 1956;
- 2.6 "NBA" means National Board of Accreditation www.nbaindia.org, an autonomous body under Section 10(u) of AICTE Act, 1987;
- 2.7 "Technical College" means a college offering programmes in technical education;
- 2.8 "Technical Education" means programmes of education, research and training in the areas namely engineering & technology, architecture, town planning, pharmacy, applied arts & crafts, hotel management and catering technology, computer applications, and such other programmes or areas as the Central Government may, in consultation with the Commission, by notification in the Official Gazette, declare;
- 2.9 "University" means a university defined under clause (f) of Section 2 of the UGC Act, 1956.

3. Norms & requirements for affiliation / renewal of affiliation of technical colleges by Universities

- 3.1 While according affiliation/renewal of affiliation to technical colleges, Universities shall follow the norms and guidelines as given in ANNEXURE to these Regulations. These are based on the prevailing AICTE norms and standards. No relaxation in these norms shall be permitted by any University.
- 3.2 Universities shall ensure that a proposal for the purposes mentioned in para 2.2.2.1 of the ANNEXURE, from Technical Colleges meet the norms as prescribed therein.
4. **Mandatory accreditation of technical colleges seeking affiliation / renewal of affiliation from Universities**
- 4.1 Universities shall ensure mandatory accreditation of the technical colleges by NAAC and their programmes by NBA as per relevant regulations of UGC as amended from time to time.
- 4.2 Universities shall exercise utmost care and caution while affiliating new technical colleges. New technical colleges shall be granted affiliation subject to the condition that they furnish an undertaking to apply for assessment to NBA within six months from the date of issue of Letter of Intent (LoI).
- 4.3 Universities shall ensure that all necessary approvals including 'No Objection' certificate are obtained by the promoter, be it government or private society/trust, before issuing LoI.
- 4.4 All technical colleges which are more than six years old shall apply for accreditation to NAAC or NBA within six months of issue of these regulations.
- 4.5 All technical colleges which are accredited by NAAC or whose programmes are accredited by NBA shall be considered for permanent affiliation subject to fulfilment of other conditions as laid down by the university concerned.
- 4.6 Any issue regarding the applicability of the relevant norms and requirements by the university shall be referred to and decided by the Commission whose decision shall be final.
5. **Action in case of violations of Regulations**
- 5.1 Every affiliating university shall submit a compliance report concerning the provisions of these Regulations, in respect of all the affiliated technical colleges, to UGC annually. This report shall also be placed on the university's website.
- 5.2 If any university grants affiliation to a technical college which does not fulfil the conditions/requirements for affiliation as per the extant UGC Regulations, the Commission shall take such action as it may deem fit, including that of withholding the grants to the university and/or delisting the said university from the list of universities maintained by the Commission under Section 12B of the UGC Act.
- 5.3 If any technical college included under Section 2(f) and receiving grants from the Commission under Section 12B of the UGC Act is found guilty of violation of these regulations, the Commission shall take such action as it may deem fit, including that of withholding the grant to the technical college and/or delisting the said technical college from the list of colleges maintained by the Commission under Sections 2(f) and/or 12B of the UGC Act.
- 5.4 In addition to above, an affiliating university shall initiate action against defaulting colleges providing technical education as outlined at section (5) of the ANNEXURE to these Regulations.

UPAMANYU BASU, Secy. (i/c)

[ADVT III/4/Exty./113/13]

ANNEXURE

1. Additional Definitions in this Annexure

- 1.1 "Architect" means an architect registered with the Council of Architecture established under the Architects' Act, 1972;

-
- 1.2 “Autonomous College”, means a college which is declared as such by the Commission;
 - 1.3 “Compliance Report” means the report submitted by a college complying with the requirements as set by the university from time to time;
 - 1.4 “Foreign Student” means a student who possesses a foreign passport and fulfils eligibility requirements for admission;
 - 1.5 “Minority Institution” means an institution established or maintained by a person or a group of persons belonging to a minority community, recognized as such by the Central Govt./concerned State Government/UT Administration;
 - 1.6 “Programme of Study” means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under Section 22 of the UGC Act;
- 2. Norms and procedures for affiliation by University for a new college offering technical education, change of site/location, closure of a college offering technical education, conversion of a Women’s College into Co-ed College.**
- 2.1 A college proposing to offer technical education shall first seek affiliation from the university before starting the academic activities.
 - 2.2 For the above purpose, the university shall follow the norms and procedures as outlined below.
 - 2.2.1 Introduction**

A new college proposing to offer technical education can be created by introducing one or more programmes housed either in one or separate buildings.

 - 2.2.1.1 New college shall be granted affiliation when it is on one contiguous plot of land except for those in North Eastern and other Hilly states where it can spread into 3 pieces of land, not far from one another, by more than 1 Km.
 - 2.2.1.2 New college offering technical education shall not be established and/or started without prior affiliation from the university.
 - 2.2.1.3 New technical programme(s) shall not be started in existing colleges without prior affiliation from the university.
 - 2.2.1.4 The college shall not permit admission of students to a technical programme which is not affiliated by the university.

- 2.2.1.5 Applicants shall apply only when the building for the purpose of college is complete as per the infrastructure requirements without any deficiency at the time of submission of the application form to the university.

2.2.2 Seeking affiliation of the University for

2.2.2.1

- a) Setting up a new college offering one or more technical education at Degree and Post Graduate Degree Level;
- b) Adding new technical education at Degree and Post Graduate Degree Level in existing technical colleges;
- c) Change of site / location;
- d) Closure of the college;
- e) Conversion of women's technical college into co-ed college.

2.2.2.2 Requirements and Eligibility Criteria

For new college

- a) A society registered under the Societies Registration Act, 1860 through the Chairman or Secretary of society or
- b) A trust registered under the Charitable Trusts Act, 1950 or any other relevant act(s) through the Chairman or Secretary of the trust or
- c) A company established under Section 25 of Companies Act 1956.
- d) Central or State Government / UT Administration or by a society or a trust registered by them.

- 2.2.2.3 The above bodies as mentioned in a, b, c and d may be a body, formed under Public Private Partnership (PPP) or under Build-Operate-Transfer (BOT) mode through a competent authority of Central or State Government/UT Administration.

- 2.2.2.4 The applicants fulfilling the following conditions on or before the last date prescribed for receipt of application by the university shall be eligible to apply.

- a) The promoter society/trust/company of a new technical college shall have the land as required and prescribed in its lawful possession with clear title in the name of the promoter society/trust/company on or before the date of submission of application.

Provided that, it shall be open for the promoter society/trust/company to mortgage the land only after the receipt of letter of affiliation only for raising resources for the purpose of development of the technical college situated on that land.

- b) Land requirement for technical college shall be as mentioned in Appendix 4.1

The plot of land under consideration shall be contiguous, having no obstacles, like river, canals, rail tracks, highways, or any other such entity hampering continuity of land.

While establishing a new technical college, the total land requirement shall be the sum total of individual land requirement of respective technical programmes of study.

Where sufficient FSI/FAR is available, minimum land requirement shall be determined by the programme which requires maximum land among all programmes offered in the technical college. In such a case, only MCA programme shall be allowed to be built on an existing Engineering/Technology/Pharmacy/Architecture/Hotel Management and Catering Technology college provided sufficient FSI/FAR is available along with other norms and standards being met.

Further, where sufficient FSI / FAR is available, minimum land requirement being determined by the programme which requires maximum land among all programmes offered in the technical college, in addition to MCA Programme, Arts and Crafts Programme shall be allowed to be built on an existing Architecture college provided sufficient FSI/FAR is available along with other norms and standards being met.

FSI/FAR certificate shall be obtained from the Competent Authority as designated by Municipal Corporation concerned or the local authority that approves building plans, or the State Government/UT, as the case may be.

Land use certificate shall be obtained from the Competent Authority as designated by concerned State Government/UT.

Land conversion certification shall be obtained from the Competent Authority as designated by concerned State Government/UT.

- c) Building plan of the technical college shall be prepared by an Architect registered with Council of Architecture and approved by the Competent Authority as designated by State Government/UT administration concerned.

Instructional area requirements as stated in Appendix 4 shall be applicable for each programme which will be run in the technical college. However, there may be central facilities such as, Central Library with Reading Rooms, Central Computing Centre, etc.

- d) Administrative area requirements as stated in Appendix 4 shall be applicable for a technical college.

- e) Amenities area requirements as stated in Appendix 4 will be applicable for a technical college.
- f) Circulation area of 25% of sum of instructional, administrative and amenities area is desired for covering common walkways, staircases, entrance lobby and other similar areas.

2.2.2.4.1 (i) Central Library with Reading Room

Refer Programme wise area requirement in para 4.2.1 of Appendix 4.

When number of Programme in the technical college is more than one, minimum area requirement would be 400 sq m. When 1st shift/single shift intake considering all programme-courses is more than 420, minimum area requirement would be 600 sq m.

(ii) Computer Centre

Refer Programme wise area requirement in para 4.2.1 of Appendix 4.

When number of programme in the technical college is more than 1, minimum area requirement would be 150 sq m. When 1st shift /single shift intake considering all programme-courses is more than 420, minimum area requirement would be 200 sq m.

(iii) Administrative area requirements as stated in Appendix 4 will be applicable for technical college.

(iv) Amenities' area requirements as stated in Appendix 4 will be applicable for technical college.

(v) Circulation area of 25% of sum of instructional, administrative and amenities area is desired for covering common walkways, staircases, entrance lobby and other similar area.

2.2.2.5 The fund position of the applicant college in the form of FDRs* and bank accounts in nationalised bank or scheduled commercial banks recognised by Reserve Bank of India shall be as under on the date of scrutiny.

	Programme proposed (Degree and Post Graduate Degree)	Total minimum funds required, (Rs. in lakhs) as proof of operational expenses	Total FDRs (Rs. in lakhs) in the name of institution as a proof of financial security
a	Engineering & Technology	100	30
b	Pharmacy	50	15
c	Hotel Management & Catering Technology	50	15

d	Architecture	50	15
e	Applied Arts & Crafts	50	15
f	MCA	50	15

**for a period of 10 years.*

Provided further that in case of an application for multiple programme, the minimum fund shall be calculated by adding the amounts specified for each programme :

- 2.2.2.6 Each programme shall have separate teaching faculty as per existing qualifications and norms defined for respective programme.
- 2.2.2.7 Requirement of Computers, Software, Internet and Printers for each programme shall be as given in Appendix 5.
- 2.2.2.8 Requirement of laboratory equipments and experiments for each programme shall be as given in Appendix 5.
- 2.2.2.9 Requirement of books and library facilities for each programme shall be as given in Appendix 5.
- 2.2.2.10 Acquisition of desirable E- Journals is given in Appendix.
- 2.2.2.11 Requirement of essential and desired service requirements shall be as given in Appendix 6.

2.2.3 Submission of Application

- 2.2.3.1a) A unique Identification Number shall be allotted by the university to each new applicant for setting up a new college as per prescribed rules.

- 2.2.3.1 b) Processing Fee for

Setting up new technical college offering one or more technical programme at Degree / Post Graduate Degree Level

Adding new technical programme/s at Degree / Post Graduate Degree Level in existing technical colleges

- 2.2.3.2

	Type of technical college applied for	Processing Fees* (Rs. in lakhs)
a	Minority technical college	2.0
b	Technical college set up exclusively for women	2.0
c	Technical college set up in North Eastern States and other Hilly areas	2.0
d	All other technical colleges	3.0

e	Government/Govt. aided/Central University/ State University	Nil
---	--	-----

* *The expenses on account of TA/DA, honorarium and hospitality of experts shall be borne by the university out of the funds collected as processing fees.*

2.2.3.2.1 Processing Fees for Change in Site/Location, Closure of Institute and conversion of Women College to Co-Ed college.

Type of technical College	Change in Site/ Location (Rs. in lakhs)	Closure of Institute (Rs. in lakhs)	Conversion of Women college to co-ed college (Rs. in lakhs)
Minority technical College	1.0	1.0	1.0
Technical college set up in North Eastern States and other Hilly areas other than Government/Govt. aided/ Central University/State University	1.0	1.0	1.0
Technical college set up exclusively for women other than Government/Govt. aided/Central University/State University	1.0	1.0	1.0
All other technical colleges except Government/ Govt. aided/Central University/State University	1.5	1.5	1.5
Government/Govt. aided/ Central University/State University	Nil	Nil	Nil

2.2.3.3 Policy of the State Government

The applications for establishing new colleges and extension of affiliation for existing colleges may be considered by the university concerned as per the policy of the State Government.

2.2.3.4 **Change of Site/Location**

a) Conditions for Permission

A technical college shall be considered for change of site/location if it is already an affiliation college.

b) Procedure

1. The existing technical college seeking change of site/location shall apply for extension of affiliation as per regulations.
2. The application shall be processed as per procedure of affiliation for new technical college. It shall be necessary to provide built up area as per norms required to conduct all existing courses.
3. In the event of permission by the university for change of site/location, the equipments, library and other movable property in the existing college may be shifted to new site/location and the permission for activities on existing location shall cease.
4. The change of site/location shall be effected only on receipt of permission in respect of new location.
5. Request for permission for partial shifting shall not be considered.
6. On permission of new location, all activities of college shall be necessarily carried out at new location.
7. Any violation in this respect may lead to withdrawal of affiliation and the technical college shall not be allowed to continue its activities in either locations.
8. Applicant shall need to submit all documents as required for affiliation of new technical college. Following additional documents shall be submitted while seeking permission for change of site/location of the existing college;
 - No Objection Certificate (NOC) from State Government
 - Resolution of the Society/Trust/Company seeking permission for change of site/location of the existing college.

2.2.3.5 Closure of technical college

a) Conditions for permission

- The technical college shall be closed completely in one instance and no partial or progressive closure shall be allowed at the first year level. However the subsequent years of working shall lapse at the end of each academic year respectively.

- There shall be no charge-sheet filed or pending court case/s against the technical college.

b) Procedure

The university affiliated technical college seeking closure of the said college shall apply for the closure as per the Regulations.

An Expert Committee shall visit the location of the technical college to verify

- Status of students already studying in the technical college
- Status of faculty and staff in the technical college
- Any other liabilities of the technical college
- Pending court cases and serious charges, violation of norms, pending ragging cases against the college.

The closure of the technical college shall be effected only on receipt of permission of the university.

The applicant shall be required to make arrangements for video recording of visit and make available internet facility, computer, printer and scanner.

Applicant shall need to submit all documents as required for permission of closure of technical college. Following additional documents shall be submitted while seeking permission for closure of the college;

- No Objection certificate (NOC) from state Government
- Resolution of the Society/Trust/Company seeking closure of the existing college.

2.2.3.6 Conversion of Women's technical college to Co-ed technical college

a) Eligibility

The technical college shall be a university affiliated existing technical college.

b) Conditions/Documents for Permission

- A certificate stating that admissions for three consecutive years are less than 40% of sanctioned intake, issued by Competent Admission Authority.
- A certificate stating the actual enrolment of students for the last three consecutive years, issued by the Registrar of the affiliating university.
- Resolution of the Trust/Society/Company for conversion from women's technical college to Co-ed technical college.
- NOC of the State Government.
- Additional money deposit as per norms for Co-ed technical college.

- Land related documents to be submitted as per the Regulations.

c) Procedure

A technical college seeking conversion from women's college to co-ed college shall also apply for extension of affiliation as per regulations.

The application shall be processed as per procedure of affiliation for new technical college. It shall be necessary to provide built up area as per norms required to conduct all existing courses.

The conversion from Women's College to Co-ed College shall be effected only after accord of affiliation in respect of conversion.

2.2.4 Evaluation of application by Scrutiny Committee

2.2.4.1 The applications shall be evaluated by a Scrutiny Committee constituted by the Executive Council (or known by any other name) of the university.

2.2.4.2 An Officer of the university will assist the committee and place relevant records and documents before the committee and make necessary arrangements for conduct of the meetings. However, he will not be part of the committee.

2.2.4.3 The Scrutiny Committee will invite all applicants for presentation of their proposals. Applicants may adhere to given scrutiny schedule and not to remain absent for scrutiny.

If the applicant remains absent for a scrutiny, then, in no circumstances, whatsoever, their applications/proposals shall be taken up for a scrutiny.

Applicants shall produce original documents along with attested copies at the time of scrutiny.

2.2.4.4 Based on the recommendations of the Scrutiny Committee, the deficiencies, if any, shall be communicated to the applicant Society/Trust/Company through web portal.

2.2.4.5 Applicants who are communicated deficiencies at the scrutiny level shall apply for appeal within a period of 15 days from the date of receipt of rejection.

2.2.4.6 Applications which are found to be in order in all respects by the Scrutiny Committee will be processed further.

2.2.4.7 The attested copies of original documents shall be retained by the committee.

2.2.4.8 All applicants recommended for Expert Committee visit by the Scrutiny Committee, shall be communicated the date of Expert Committee visit.

2.2.5 Evaluation of Application by Expert Committee

2.2.5.1 An Expert Committee constituted by the university shall visit the proposed premises of the technical college to verify

- readiness with respect to Appendix 4 i.e. instructional, administrative and amenities area requirements for technical college.
- readiness with respect to Appendix 5 i.e. computers, printers, software, internet, laboratory equipments and books, journals, library facilities for technical college.
- readiness with respect to Appendix 6 i.e. essential and desired requirements for technical college.
- progress related to appointment of Principal and faculty with respect to the norms, standards and conditions prescribed by the university.

2.2.5.2 The Expert Committee will verify the physical and infrastructural facilities of the applicant college.

2.2.5.3 An officer of the university will assist the committee and make necessary arrangements for conduct of the Expert Committee visit. However, he will not be part of the committee.

2.2.5.4 Expert Committee shall have access to the report of the Scrutiny Committee.

2.2.5.5 Expert Committee shall verify actual availability of equipments, computers, printers, software, internet, book titles, book volumes, subscription of national & international e-journals. Mere presentation of purchase orders / payment records for subscription etc. without actual availability shall not be considered.

2.2.5.6 Expert committee shall also verify documents in original as in Appendix 13 and Video as in Appendix 14 with respect to actual infrastructure visited.

2.2.5.7 The applicant college will arrange for video recording with date and time of the entire proceedings of the Expert Committee visit, which will form part of the Expert Committee report.

2.2.5.8 The Expert Committee shall submit to the university;

- Its report in the prescribed format of the visit.

- Attested copies of all documents.
- Video recording of Expert Committee visit.
- Attendance sheet duly signed/digitally authenticated by the Expert Committee members, and representatives of applicant Society/Trust present during the visit.

2.2.6 Financial norms

- 2.2.6.1 The total amount in case of establishment of a technical college shall be calculated by adding the amounts specified for each programme applied for.
The amount deposited by the technical college shall remain with the university for at least 10 years which may be extended as per the regulations.
The interest accrued on this deposited amount shall be credited to the university.
- 2.2.6.2 The principal amount shall be returned to the Society/Trust/Company on expiry of the term. However, the term of the deposited amount could be extended for a further period as may be decided on case to case basis and/or forfeited in case of any violation of norms, conditions, and requirements and/or non-performance by the technical college and/or complaints against the technical college.

2.2.7 Grant of affiliation

- 2.2.7.1 The recommendations of the Expert Committee for further process of issuance of temporary affiliation or otherwise shall be placed before the Executive Council of the university.
- 2.2.7.2 Executive Council after considering the recommendations of the Expert Committee, shall take a final decision at its meeting on grant of temporary affiliation or otherwise.
- 2.2.7.3 Further, based on the decision of the Executive Council, letter of temporary affiliation or letter of rejection shall be issued by an officer authorized by the university.
- 2.2.7.4 Validity of the letter of temporary affiliation, if issued, shall be for two academic years from date of issue of letter.
- 2.2.7.5 The permanent affiliation can be considered only after the accreditation of NAAC/NBA has been obtained by the College.

2.2.8 Appointment of Principal and teaching staff in newly affiliated technical college

- 2.2.8.1 New technical colleges granted letter of affiliation and the existing technical colleges granted affiliation for introduction of new programme(s), shall comply with appointment of teaching staff and Principal as the case may be, as per relevant UGC Regulations regarding minimum qualifications and pay scale etc, and other technical supporting staff & administrative staff as per the schedule prescribed by the university.

Technical colleges shall appoint supporting technical and administrative staff strictly in accordance with the methods and procedures of the affiliating university, State Government concerned.

The information about the appointments of staff in the prescribed format shall also be uploaded on the web portal of university.

In no circumstances, unless the appointment of all teaching and other staff is in place, the technical colleges shall start the courses.

2.2.9 Appeal Procedure

Procedure for submission of appeal and evaluation by the Standing Appeal Committee, constituted by the Executive Council (or known by any other name) of the university, for applications rejected at the scrutiny stage

2.2.9.1 The technical college, if aggrieved by the decision of university on its application seeking affiliation at the scrutiny stage, may submit an appeal stating facts and grounds of appeal, within a period of 15 days from the date of receipt of the letter/order/decision of the university.

Provided further that for the purpose of this provision, the date of communication, in case of signed hardcopy of the letter, shall be the date of receipt of such communication sent by university and in case of communication of decision through e-mail, or short messaging service (SMS) or fax, the date of communication shall be the date of dispatch of the communication by university.

The appeal of the technical college will be considered by the Standing Appeal Committee ordinarily within a period of 15 days from the date of receipt of the appeal. The Standing Appeal Committee may devise its own procedure for the purpose of consideration of the appeal.

The decision of the Standing Appeal Committee shall be communicated within a period of 10 days from the date of decision of the Standing Appeal Committee and such decision of the Standing Appeal Committee and communication thereof including date of communication shall be reported to the university in its next meeting for information.

The appeal schedule shall be notified by the University.

2.2.9.2 Applicants may be advised to adhere to given Standing Appeal Committee schedule and not to remain absent for appeal.

If the applicant remains absent for appeal, then in no circumstances whatsoever, their application / proposal shall be taken up by the Standing Appeal Committee

and such technical colleges, if they so desire, may apply afresh for the next academic session.

Such technical colleges remaining absent for any reason whatsoever shall not be entitled for any further appeal.

- 2.2.9.3 An officer of the university shall place the records before the Standing Appeal Committee. A representative of the technical college shall be invited to place the point of view of the technical college before the Standing Appeal Committee for consideration.
- 2.2.9.4 The Standing Appeal Committee at its discretion may recommend a re-scrutiny for verification of the claims made by the applicant Society/Trust/Company.
- 2.2.9.5 The Scrutiny Committee during re-scrutiny shall verify only the deficiencies pointed out by the Scrutiny Committee as per the norms and standards.
- 2.2.9.6 Applications which are found to be in order in all respects by the re-scrutiny Committee will be processed as per procedure.
- 2.2.9.7 The report of the re-scrutiny Committee, if not found in order, shall be placed along with the views of the Competent Authority before the Standing Appeal Committee for review and then place before the university for consideration.
- 2.2.9.8 The letter of rejection shall be issued by the Registrar of the university or an officer authorised by the university.
- 2.2.9.9 In case of rejection of the proposal, it shall be open for the applicant to make a fresh application as prescribed by the university.

2.2.10 Procedure for submission of appeal and evaluation by the Standing Appeal Committee

- 2.2.10.1 The technical college, if aggrieved by the decision of university on its application seeking affiliation of technical college, may submit an Appeal stating facts and ground of Appeal, within a period of 15 days from the date of receipt of the letter/order/decision of the university on their application.

Provided further that for the purpose of this provision, the date of communication, in case of signed hardcopy of the letter, shall be the date of receipt of such communication sent by university and in case of communication of decision through e-mail, or short messaging service (SMS) or fax, the date of communication shall be the date of dispatch of the communication by university.

- 2.2.10.2 The Appeal of the technical college will be considered by the Standing Appeal Committee of university, ordinarily, within a period of 15 days from the date of receipt of the Appeal and for the purpose of consideration of the Appeal, the Standing Appeal Committee may devise its own procedure.

- 2.2.10.3 The decision of the Standing Appeal Committee shall be communicated within a period of 10 days from the date of decision of the Standing Appeal Committee.

Such decision of the Standing Appeal Committee and communication thereof including date of communication shall be reported to the university in its next meeting for information.

- 2.2.10.4 The appeal schedule shall be notified by the university.

- 2.2.10.5 Applicants may be advised to adhere to given Standing Appeal Committee schedule and not to remain absent for Appeal.

If the applicant remains absent for Appeal, then, in no circumstances whatsoever, their applications/proposals shall be taken up by the Standing Appeal Committee in view of constraint of time for the given academic year and such technical colleges, if it so desires, may apply afresh for the next academic session.

Such technical colleges remaining absent for any reason whatsoever shall not be entitled for any further appeal.

- 2.2.10.6 An officer of the university shall place the records before the Standing Appeal Committee. A representative of the technical college shall be invited to place the point of view of the technical college before the Standing Appeal Committee for consideration.

2.2.10.7 The Standing Appeal Committee at its discretion may recommend an Expert Committee visit for verification of the claims made by the applicant Society/Trust/Company after the Visit stage or reject the appeal, as the case may be.

2.2.10.8 The Expert Committee, if recommended by the Standing Appeal Committee, shall verify all the requirements of setting up a new technical college/programme as per the existing norms.

This report shall prevail over all the earlier expert committee reports that may have been submitted earlier.

2.2.10.9 The report of the Expert Committee shall be placed before the Standing Appeal Committee for review and then placed before the university for consideration.

2.2.10.10 However, if differences exist in the Expert Committee reports, they shall be deliberated by the university and the decision of the university shall be final and binding on the technical college.

2.2.10.11 Based on the deliberations, the university may recommend issue of letter of affiliation or letter of rejection to be issued by an officer authorised by the university.

2.2.10.12 In case of rejection of the proposal, it shall be open for the applicant to make a fresh application.

2.2.11 Time Schedule for processing of applications

The affiliating university shall notify through a Public Notice published in the leading newspapers and through uploading on the university web-portal regarding cut off dates for various purposes including receipt of applications and processing thereof from time to time. The time schedule mentioned in the Public Notice shall be final and binding.

The last date of submission of application form shall mean submission of application and of paying slip not later than the last date as mentioned in the time schedule for this purpose.

3. Norms and procedures for affiliation through prescribed Application Form for the following:

- Extension of affiliation to existing college
- Increase/reduction in intake in existing course(s)
- Adding course(s) in existing programme(s)
- Closure of programme(s)/course(s)
- Mandatory provision of supernumerary seats for Tuition Fee Waiver (TFW)

- Introducing/continuing/discontinuing supernumerary seats for Persons of Indian Origin (PIO)
- Introducing/continuing/discontinuing seats for sons/daughters of Non-Resident Indians (NRIs)
- Change of name of the college
- Second shift programmes
- Part time programmes

3.1 For the above purposes, the university shall follow the norms and procedures as outlined below.

3.1.1 Introduction

3.1.1.1 Technical college offering technical education shall not continue technical courses or programmes beyond the specified period of affiliation given by the University.

3.1.1.2 Each technical college offering technical programme at Degree/Post Graduate Degree level shall submit an application to the university, every year, for extension of affiliation of course(s) offered by the technical college:

Provided that, in case(s) of accredited course(s), the period of affiliation for such course(s) shall be for the complete period of accreditation unless the period of affiliation is determined early or curtailed by the university after issuing appropriate show cause notice in this regard:

Provided further that affiliation is granted for the complete period of accreditation, the technical college shall submit application annually for extension of affiliation to the university. The university shall monitor for fulfilment of all norms by the technical college and in the event of non-fulfilment, the university shall initiate penal action as per these regulations.

3.1.2 Submission of application

3.1.2.1 The existing technical college shall submit the request in a form prescribed by the university.

3.1.2.2 The college may submit an application to the university for -

- a extension of affiliation to existing technical college
- b increase/reduction in intake in existing course(s)
- c adding course(s) in existing programme(s)
- d closure of programme(s)/course(s)
- e mandatory provision of supernumerary seats for TFW
- f introducing/continuing/discontinuing supernumerary seats for PIO
- g introducing/continuing/discontinuing seats for sons/daughters of NRIs
- h change of name of the technical college

3.1.2.3 The processing fee shall be paid to the university as prescribed by these Regulations.

3.1.3 Technical colleges fulfilling norms and standards as mentioned below will be entitled to allotment of programme(s) as follows:

- 3.1.3.1 a All technical colleges shall be eligible for a maximum of two divisions (or two changes) within the definition of division/programme/level.
- b One course per programme per level in First Shift alone can be added in addition to 3.1a on account of accreditation.
- c No increase shall be given in programme(s) running as division(s) in an existing technical college.
- d Any technical college/Society/Trust/Company or a member belonging to these if charge-sheeted, shall not be considered for extension of affiliation unless they are acquitted.
- e No increase shall be given to technical colleges where a FIR/CBI/CVC/any other investigation agency/anti-ragging/punitive action initiated by university for any violation in the norms and standards where enquiries are pending.

Application of such technical colleges shall be processed through an authorised committee of the university and the report shall be placed before the Executive Council for further process of issuance of letter of affiliation or rejection.

In case of rejection, the applicants shall file an appeal which shall be placed before the Standing Appeal Committee for further action.

3.1.3.2 Grant of affiliation is based on self disclosure of required facilities and infrastructure availability as submitted in the application.

An affidavit sworn before First class Judicial Magistrate or Notary or an Oath Commissioner that the technical college has required facilities and infrastructure as per the provisions of this regulations and in the absence of which the university is liable to invoke the provisions, both civil and / or criminal as per the regulations in place, is to be submitted.

3.1.3.3 Processing fees for various applications of Degree, Post Graduate Degree proposed to be offered by a technical college shall be as under:

(Amount in lakhs)

Type of Institution	Extension of affiliation		Increase in intake/ additional course in 1 st and, or 2 nd shift	Introduction of 2 nd shift, Part time programmes	Introduction or continuation of PIO seats	Introduction or continuation of NRI seats	Reduction in intake/ Closure of course/ programme	Change of name of institute
	Extension of affiliation	Amount of Late Fee						
Minority Institution	0.75	2.0	0.75	2.0	2.0	2.0	0.75	0.75
Institution set up in Hilly Area in North Eastern States	0.75	2.0	0.75	2.0	2.0	2.0	0.75	0.75
Institution set up exclusively for women	0.75	2.0	0.75	2.0	2.0	2.0	0.75	0.75
All other Institutions	1.0	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0
Government/ Govt. added/ Central University / State University	Nil	2.0	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

3.1.3.4 Above fees are applicable irrespective of number of division(s)/course(s) applied for Increase/Closure.

3.1.3.5 Submission of an application for Extension of Affiliation on or before the last date as mentioned in the schedule is mandatory.

3.1.4 The affiliated technical college may expand its activities by adding additional course(s) / division(s), in the 1st and/or 2nd shift in the existing programme for -

- increasing demand of technically skilled personnel
- increase utilization of infrastructure available at the technical colleges
- facilitate cost effective education to masses through increased utilization of infrastructure available at the technical colleges
- enabling faculty to pursue PG Education
- enabling students to enrol full time for technical education with staggered timings.

3.1.5 Application for introduction of course(s)/division(s) shall be considered in accordance with these Regulations and on fulfilment of the requirement of zero deficiency.

3.1.6 Separate division in 2nd year of Engineering/Technology courses for admitting Diploma and B.Sc. Degree holders shall be allowed with following conditions:

- This division considered as a part of sub clause 3.1 (a) shall be allowed in the courses already available in the technical colleges.
- Provision for foreign nationals/Persons of Indian Origin (PIO)/children of Indian workers in Gulf Countries shall not apply to this division.
- Lateral entry supernumerary seats shall not apply to this division.
- Admission procedure for these seats shall be decided by concerned State Government/UT authorities.
- The technical college shall have zero deficiency.

3.1.7 Document verification in case of Change of Name, Reduction in Intake/Closure of Course

Applicants shall submit the following along with the application form:

- NoC of State Government
- Governing Body resolution

Procedure

1. Scrutiny Committee shall verify the correctness of the documents.
2. If the documents are accepted, then university shall consider the application further.
3. No new programme(s)/course(s) or increase in intake shall be allotted in lieu of closed programme(s)/course(s)

3.1.8 Procedure for permission and allotment of intake in 2nd Shift

3.1.8.1 Permission for additional Divisions in second shift shall be considered with the views of State Government/UT and on fulfilment of following conditions:

The technical college shall have zero deficiency.

The total intake of UG & PG in the 2nd shift shall be governed by the following conditions:

- One division or variation in any of the existing course(s) at the Under Graduate level; and/or
- two divisions or variations in any of the existing course(s) at the Post Graduate level; and/or

Notwithstanding the above, in the second shift, no technical college shall be eligible for more than 50% of total intake in first / general shift.

No supernumerary seats shall be allotted to 2nd Shift Programmes.

3.1.8.2

- (i) 2nd shift shall necessarily require exclusive teaching staff as per norms specified by the university. It shall also have separate technical, administrative and supporting staff at required positions.
- (ii) Additional laboratory equipments needed especially for PG programme, shall be procured and made available as per norms.
- (iii) Availability of Dean at the level of Professor in the 2nd shift to supervise overall functioning of 2nd shift shall be mandatory.
- (iv) The course of a programme in the second shift shall be affiliated subject to the same being run in the first/general shift.

3.1.9 Procedure for permission of part-time programmes

3.1.9.1 Part time means activities conducted in evening time i.e. 5.30 pm to 9.30 pm (six days a week) wherever first/general shift working exists.

Part-time programmes are only for working professionals or professionals with at least two years of work experience.

3.1.9.2 Objective

To facilitate technical colleges to respond to the felt need of providing technical education to working personnel who may have, for some reason, missed out on a formal technical education, earlier in their career and wish to make up for the same.

To provide an opportunity to working personnel to enhance their qualifications, competence by enhanced skill formation.

3.1.9.3 Need

1. Increasing demand of technical skilled personnel.
2. Increase utilization of infrastructure available at the existing technical college.
3. Facilitate cost effective education to masses through increased utilization of infrastructure available at the technical college.
4. Enabling faculty to pursue technical education.
5. Enabling students to enrol part-time for technical education with staggered timings.

3.1.9.4 Duration of the part-time programme

As per the relevant rules and curriculum of the affiliating university.

3.1.9.5 Academic Structure

1. The syllabus (course work) shall be the same as used for a full time programme and as prescribed by the affiliating university.
2. Additionally, there shall be an industry based live orientation at an appropriate level of at least 45 days, for industry-skill enhancement.
3. There shall also be a major project leading to mini dissertation with a span of requirement of at least seventy man-hours of work.

3.1.9.6 Procedure for permission and allotment of intake in part-time programmes

1. Permission for part-time programme(s) shall be considered with the views of the State Government/UT and on fulfilment of following conditions.
2. The technical college shall have zero deficiency as per the report generated.

3. The total intake of UG & PG in the part- time technical programmes shall be governed as below:

- One division or variation in any of the existing course(s) at the Under Graduate level; and/or
- Two divisions or variations in any of the existing course(s) at the Post Graduate level; and/or

Notwithstanding the above, in the part-time programme(s), no technical college shall be eligible for more than 50% of total intake in first/general shift.

No supernumerary seats shall be allotted to part-time programme(s).

3.1.9.7 Eligibility of the candidate to be admitted

1. For all other programme(s), a candidate with a diploma in relevant programme only is eligible.
2. However, in addition, the candidate shall have a minimum of two years full time work experience in a registered firm / company / industry / educational and/or research technical college / any Government Department / Government Autonomous Organisations in the relevant field in which admission is sought.
3. A letter shall be furnished by the employer stating that the candidate is being sponsored to seek admission to the respective course. The employer should also indicate that the candidate will not be withdrawn midway till the completion of the course.

3.1.9.8 Rules for allotment

1. Part-time working shall necessarily require exclusive teaching staff as per norms specified in Appendices 7 and 8 of these Regulations. It shall also have separate technical, administrative and supporting staff at required positions.
2. Additional laboratory equipments needed especially for PG programme, shall be procured and made available as per norms.
3. Availability of Dean at the level of Professor in the part-time programme(s) to supervise overall functioning of part-time programme shall be mandatory.
4. The part-time programme(s) shall be approved subject to the same being run in the first / general shift.

5. No part-time course(s) will be sanctioned for those already running in 2nd shift.

3.1.9.9 Faculty requirements

1. 50% faculty from general shift may be engaged for the evening shift.
2. 20% core staff to be appointed for each part-time course i.e. minimum one Associate Professor and two Assistant Professors.
3. 30% faculty may be engaged as guest faculty from neighbouring industries / R & D organizations / Government Technical Colleges.

3.1.10 The university shall allow programmes / courses / divisions in technical colleges in the 2nd shift subject to fulfilment of conditions as prescribed above.

3.1.11 Tuition Fee Waiver scheme (TFW)

3.1.11.1 Introduction

- a The Scheme shall be applicable to all affiliated technical college(s) offering Bachelor Programmes of Three / Four years duration.
- b Seats up to maximum of 5 per cent of sanctioned intake per course shall be available for these admissions. These seats shall be supernumerary in nature.
- c The competent authority for admissions shall be the same as for regular admissions.
- d The scheme shall be mandatory for all technical colleges affiliated by the University.

3.1.11.2 Eligibility

- a Students, whose parents annual income is less than Rs. 6.00 lakhs from all sources, shall only be eligible for seats under this scheme.
- b The Waiver is limited to the tuition fee as approved by the State Level Fee Committee for self-financing technical colleges and by the Government for the Government and Government aided technical colleges. All other fee except tuition fees will have to be paid by the beneficiary.
- c State Admission Authority shall invite applications under this category, make a separate merit list for this category and effect admissions on the basis of the merit list so generated.

3.1.12 Supernumerary quota for Foreign Nationals / Persons of Indian Origin (PIO) / Children of Indian Workers in Gulf Countries/NRI shall be determined in accordance with the policy of the Govt. of India/UGC from time to time.

4 Un-approved Colleges

- 4.1 No college shall offer programme(s) and course(s) in technical education without the affiliation of the university concerned.
- 4.2 Any college offering technical education without following prescribed procedure of the university shall be treated as an un-approved college.
- 4.3 Every university shall maintain a list of un-approved colleges offering programme(s) / course(s) in technical education based on the information received and verified by the university and shall also inform the UGC and general public about the same from time to time.
- 4.4 All un-approved colleges, as categorized in 4.2 above, shall submit an application under Regulation 3 of these Regulations before admitting any subsequent batch of students and no ex-post-facto permission shall be considered by the university.
- 4.5 Students who are admitted prior to affiliation by the university, will not have any right for re-admission and will have to fulfil all the requirements for admission as prescribed by the competent admission authority of the university.
- 4.6 The colleges conducting course(s) / programme(s) in technical education, in temporary location or at location not approved by the university, shall be liable for action for closure and other appropriate action as per Regulations against defaulting Societies / Trusts / Companies / associated Individuals as the case may be.
- 4.7 No degree level course(s) / programme(s) other than those permitted by the university shall be run in the same premises sharing the same facilities.
- 4.8 The university shall initiate appropriate penal, civil and / or criminal action against such defaulting colleges / Societies / Trusts / Companies / Associated Individuals as the case may be.

5. Action in case of violation of Regulations

- 5.1 Any college running any programme / course in technical education in violation of these Regulations, shall be liable to initiation of appropriate action including Penal Civil action such as, for example, withdrawal of affiliation, if any, and / or criminal action by the university against defaulting Societies / Trusts / Companies / Associated Individuals and / or the college, as the case may be.

-
- 5.2 If any college contravenes any of the provisions of these Regulations, the university after making such inquiry as it may consider appropriate and after giving the college concerned, an opportunity of being heard, under appropriate regulations, may withdraw affiliation from the concerned college / programme / course.
- 5.3 In case of such a withdrawal, the operations of the said college / programme / course shall not be started again before completion of two academic years from the date of such a withdrawal.
- 5.4 Whenever the affiliation of a college has been withdrawn, the restoration shall be as per the procedure for setting up a new college as defined in Regulation 3 these Regulations.
- 5.5 The colleges shall submit the applications for affiliation or extension of affiliation in the prescribed format along with the enclosures to the affiliating university each year for extension of affiliation by the university sufficiently in advance before the expiry of affiliation. However, the college shall submit a compliance report on yearly basis.
- 5.6 In case of non-submission / submission of incomplete application for affiliation or extension of affiliation or non-submission of compliance report, the college shall be liable to one or more of the following action(s) by the university:
- suspension of permission for supernumerary seats for one academic year
 - no admission status in one / more courses for one academic year
 - withdrawal of affiliation for programme(s) / course(s)
 - withdrawal of affiliation of the college
- 5.7 Excess admissions over the sanctioned intake shall not be allowed under any circumstances. In case any excess admission is reported to / noted by the university, the college shall be liable to one or more of the following actions by the university:
- excess admission fee amounting to five times of the total fees collected per student shall be levied against each excess admission.
 - suspension of permission for supernumerary seats for one academic year
 - no admission status in one / more courses for one academic year
 - withdrawal of affiliation of programme(s) / course(s).
 - withdrawal of affiliation of the college.

Amount in respect of excess admission fee shall be remitted to the university as per instructions issued by the university.

-
- 5.8 College not having qualified Principal for a period of more than 18 months is liable to be placed under “No Admission” status for one academic year by the university.
- 5.9 College not maintaining prescribed Faculty: Student ratio, not adhering to pay scales, or qualifications prescribed for teaching staff for more than 12 months, shall be liable to one or more of the following action(s) by the university :—
- suspension of permission for supernumerary seats, if any for one academic year
 - No admission status in respective course(s) for one academic year
 - withdrawal of affiliation in the respective course(s)
 - withdrawal of affiliation of the college
- 5.10 College not maintaining prescribed computers, printers, software, internet, laboratory, equipment and books, journals, library facilities shall be liable to one or more of the following actions by the university:
- suspension of permission for supernumerary seats, if any for one academic year
 - No admission status in one / more courses for one academic year
 - withdrawal of affiliation for programme(s) / course(s)
 - withdrawal of affiliation of the college
- 5.11 College not maintaining other prescribed essential requirements shall be liable to one or more of the following action(s) by the university:
- suspension of permission for supernumerary seats, if any, for one academic year
 - No admission status in one / more courses for one academic year
- 5.12 College not fulfilling prescribed built up area requirements shall be liable to one or more of the following action(s) by the university:
- suspension of permission for supernumerary seats, if any, for one academic year
 - No admission status in one / more courses for one academic year
 - withdrawal of affiliation for programme(s) /course(s)
 - withdrawal of affiliation of the college
- 5.13 College not following guidelines issued by the university regarding refund of fees on cancellations of admissions or delaying refunds shall be liable to one or more of the following action(s) by the university:
- fine for non-compliance of refund of fees levied against each case shall be twice the total fees collected per student.

- No admission status in one / more courses for one academic year
- Withdrawal of affiliation for programme(s) / course(s)
- suspension of permission for supernumerary seats, if any, for one academic year

5.14 Procedure for restoration against punitive actions

- 5.14.1 A college may apply for restoration to the university along with the application for extension of affiliation of the next academic year.
- 5.14.2 The Expert Committee shall verify all the requirements as per the requirements of the university.
- 5.14.3 Permission for restoration or maintenance of status-quo may be granted by the Executive Council / Board of Management / Syndicate based on the recommendation of the Expert Committee.
- 5.14.4 The university may prescribe procedure for appeal in case of a decision not acceptable to the College.

6. Norms & Requirements

- 6.1 The duration and entry level qualifications for various technical programmes such as Under Graduate Degree Programme, Post Graduate Degree Programme, Dual Degree Programmes and Integrated Programmes shall be as provided in Appendix 1.
- 6.2 The list of approved titles of courses at Under Graduate Degree Programme, Post Graduate Degree Programme in Engineering & Technology / Pharmacy / Architecture / Town Planning / Hotel Management & Catering Technology and Applied Arts & Crafts and such other programmes is provided in the Appendix 2:
- Provided that if any Institution wishes to propose any new course/ programme, prior permission by the university shall be necessary.
- 6.3 The colleges shall follow Norms for Intake and Number of Courses at Under Graduate Degree Programme and Post Graduate Degree Programme level as provided in the Appendix 3.
- 6.4 The colleges shall follow Norms for Land and Building Space requirements as provided in the Appendix 4.
- 6.5 The colleges shall follow norms for books, journals, library facilities, computer, printers, software, internet, and laboratory equipment is provided in the Appendix 5.

- 6.6 The colleges shall follow norms for other essential and desired requirements as provided in the Appendix 6.
- 6.7 Cadre ratio as given in Appendix 7 shall be ordinarily maintained.
- 6.8 The colleges shall follow norms for faculty requirements at under graduate, post graduate level as provided in the Appendix 7 and Appendix 8.
- 6.9 Diploma holders and B.Sc. degree holders shall be eligible for admission to second year Engineering degree courses up to a maximum of 20% of sanctioned intake (30% for institutions of states belonging to special category as defined by the Central Government), which will be over and above, as supernumerary to the approved intake:

Provided that students who have completed Diploma course in Architectural Assistantship & Town Planning shall be eligible for admission to second year Architecture degree courses up to a maximum of 20% of sanctioned intake (30% for institutions of states belonging to special category as defined by the Central Government), which will be over and above, as supernumerary to the approved intake;

Provided further that students who have completed Diploma course in Pharmacy shall be eligible for admission to second year Pharmacy degree courses up to a maximum of 20% of sanctioned intake, which will be over and above (30% for institutions of states belonging to special category as defined by the Central Government), supernumerary to the approved intake.

In addition to above vacant seats (S) in a course, $S = SI - (SI - C - F + B)$, and if $S > 0$, may also be available to Diploma holders and B.Sc. Degree holders for lateral entry where,

- SI = Sanctioned Intake
C = No. of cancellations at the first year level (see * below)
F = No. of students not eligible for admission to second year as per rules/rules by affiliating University (see * below)
B = No. of students who belong to earlier batches who have become eligible for admission to second year as per rules / rules by affiliating University (see * below)

*Students admitted against any type of supernumerary seat/s shall not be considered in C, F or B.

The concerned State Admission Authority shall decide modalities for these admissions.

- 6.10 Students who have completed Diploma and Post Diploma course in Architectural Assistantship & Town Planning shall be eligible for admission to the first year Architecture degree course. The concerned State Admission Authority shall decide modalities for these admissions.
- 6.11 Provided further that Students who have completed Diploma and Post Diploma course in Pharmacy shall be eligible for admission to the first year Pharmacy degree course.
- The concerned State Admission Authority shall decide modalities for these admissions.
- 6.12 Subscription of E-Journals (desirable) is at Appendix 9.
- 6.13 Format for Detailed Project Report for establishment of a new college is at Appendix 10.
- 6.14 Composition of Committees is at Appendix 11.
- 6.15 Documents to be submitted for setting up new college are at Appendix 12.
- 6.16 Documents to be submitted for various approvals are at Appendix 13.
- 6.17 Composition of Board of Governors / Management is at Appendix 14.

7. Grievance Redressal

In case of any dispute between a college and the university on the outcome of the affiliation process followed by the university, the parties would be free to approach the UGC, which may arbitrate in the matter for resolving the issue. The decision of the UGC, in this regard, shall be binding on the parties.

8. Applicability of all UGC Regulations / Guidelines

For issues not covered in the present Regulations, the relevant UGC Regulations / Guidelines, namely, UGC Regulations on Prevention of Ragging, 2009, etc. shall be applicable to all colleges offering technical education.

Appendix 1**Duration and Entry Level Qualifications for the technical programmes****Under Graduate Degree Programmes**

Sl.	Program	Duration	Eligibility
1	Engineering & Technology	4 Years	<p>Passed 10+2 examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the subjects-Chemistry / Biotechnology / Biology</p> <p>Obtained at least 45% marks (40% in case of candidate belonging to reserved category) in the above subjects taken together</p>
2	Engineering & Technology	Lateral entry to second year	<p>A) Passed Diploma examination from a board / university approved institution; with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in appropriate branch of Engineering / Technology.</p> <p>B) Passed B.Sc. degree from a recognized university as defined by UGC, with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) and passed XII standard with mathematics as a subject.</p> <p>C) Provided that in case of students belonging to B. Sc. stream, shall clear the subjects of Engineering Graphics/Engineering Drawing and Engineering Mechanics of the first year engineering program along with the second year subjects.</p> <p>D) Provided further that, the students belonging to B. Sc. stream shall be considered only after filling the supernumerary seats in this category with students belonging to the Diploma stream.</p> <p>E) Provided further that students, who have passed Diploma in Engineering & Technology from an university approved institution or B. Sc degree from a recognized University as defined by UGC, shall also be eligible for admission to the first year Engineering degree courses subject to vacancies in the first year class in case the vacancies at lateral entry are exhausted. However, the admissions shall be based strictly on the eligibility criteria as mentioned in A, B, D, and E above.</p>

2(a)	Engineering & Technology (Dual Degree programme with Bachelor and Masters Degrees)	5 years	<p>Passed 10+2 examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the subjects- Chemistry / Biotechnology / Biology</p> <p>Obtained at least 45% marks (40% in case of candidate belonging to reserved category) in the above subjects taken together</p>
3	Pharmacy	4 Years	<p>Passed 10+2 examination with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with one of the subjects-Mathematics / Chemistry / Biotechnology / Biology.</p> <p>Obtained at least 45% marks (40% in case of candidate belonging to reserved category) in the above subjects taken together</p>
4	Architecture	5 Years	<p>Passed 10+2 examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the subjects- Chemistry / Engineering Drawing / Computer Science / Biology.</p> <p>Obtained at least 45% (40% in case of candidate belonging to reserved category) marks in the above subjects taken together</p>
5	Hotel Management and Catering Technology	4 Years	<p>Should have passed 10+2 examination.</p> <p>Obtained at least 45% (40% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination</p>
6	Applied Arts & Crafts	5 Years	<p>Should have passed 10+2 examination.</p> <p>Obtained at least 45% (40% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination</p>
7	All Programs other than Engineering and Technology	Lateral entry to second year	<p>Passed Diploma examination in a programme from a board / university approved institution, with at least 45% marks (40% in case of candidates `belonging to reserved category) in appropriate Program.</p>
8	All Programs other than Engineering and Technology	Entry to First year	<p>Provided further, those students, who have passed Diploma examination in a Program from a board / university approved institution, shall also be eligible for admission to the first year at an appropriate program subject to vacancies in the first year class in case the vacancies at lateral entry are exhausted. However, the admissions shall be based strictly on the eligibility criteria as mentioned above.</p>

- 1.1** The candidates as in 1.1, except 1.1-2, 1.1-7, will, however, be required to qualify at the Entrance Test conducted by the competent authority

Post Graduate Degree Programmes

Sl.	Program	Duration	Eligibility
1.	MCA	3 Yrs	Recognized Bachelor's degree of minimum 3 Yrs duration with Mathematics at 10+2 level. Obtained at least 50% (45% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination
2.	M.E. / M. Tech	2 Years	Bachelors degree or equivalent in the relevant field. Obtained at least 50% (45% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination
3.	M. Pharma.	2 Years	Bachelor in Pharmacy or equivalent degree. Obtained at least 50% (45% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination
4.	M. Arch.	2 Years	Bachelor of Architecture or equivalent degree. Obtained at least 50% (45% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination
5.	Master of Hotel Management Master of Hotel Management and Catering Technology	2 Years	Bachelor of Hotel Management/Bachelor of Hotel Management & Catering Technology. Obtained at least 50% (45% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination
6.	Master of Fine Arts Master of Visual Arts Master of Performing Arts	2 Years	Bachelor of Fine Arts or equivalent degree Obtained at least 50% (45% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination

- 1.2** The candidates as in 1.2, will, however, be required to qualify at the Entrance Test conducted by the competent authority.

Appendix 2: Approved Titles of Courses**2.1 Programme: Engineering and Technology****Level: Under Graduate**

S.No.	Name of The Course
1.	Advanced Manufacturing and Mechanical Systems Design
2.	Aero Space Engineering
3.	Aeronautical Engineering
4.	Agricultural Engineering
5.	Agriculture Engineering
6.	Airline Management
7.	Apparel and Production Management
8.	Applied Electronics and Instrumentation Engineering
9.	Applied Electronics and Telecommunications Engineering
10.	Architectural Assistantship
11.	Architecture Assistantship
12.	Automation and Robotics
13.	Automobile Engineering
14.	Automotive Technology
15.	Biochemical Engineering
16.	Biomedical Engineering
17.	Biomedical Instrumentation
18.	Biotechnology

19.	Biotechnology and Biochemical Engineering
20.	Building and Construction Technology
21.	Cement and Ceramic Technology
22.	Ceramic Engineering and Technology
23.	Ceramic Technology
24.	Ceramics Engineering
25.	Chemical Engineering
26.	Chemical Engineering (Plastic and Polymer)
27.	Chemical Engineering [SW]
28.	Chemical Technology
29.	Civil Engineering
30.	Civil Engineering and Planning
31.	Civil Engineering (Construction Technology)
32.	Civil Engineering (Public Health Engineering)
33.	Civil Engineering Environment and Pollution Control
34.	Civil Engineering (Construction Technology)
35.	Civil Environmental Engineering
36.	Civil Technology
37.	Communications Engineering
38.	Computer Aided Design of Structures

39.	Computer and Communication Engineering
40.	Computer Engineering
41.	Computer Engineering and Application
42.	Computer Engineering. (Ind./Int.)
43.	Computer Networking
44.	Computer Science
45.	Computer Science and Engineering
46.	Computer Science and Technology
47.	Computer Science and Information Technology
48.	Computer Science and Systems Engineering
49.	Computer Technology
50.	Computing in Computing
51.	Computing in Multimedia
52.	Computing in Software
53.	Construction and Project Management
54.	Construction Engineering
55.	Construction Engineering and Management
56.	Construction Technology
57.	Construction Technology and Management
58.	Control System Engineering
59.	Diary Technology
60.	Dyestuff Technology
61.	Electrical and Electronics (Power System)

62.	Electrical and Electronics Engineering
63.	Electrical and Instrumentation Engineering
64.	Electrical and Power Engineering
65.	Electrical Engineering
66.	Electrical Engineering (Electronics and Power)
67.	Electrical Engineering Industrial Control
68.	Electrical Instrumentation and Control Engineering
69.	Electrical Power Engineering
70.	Electronic Engineering
71.	Electronic Instrumentation and Control Engineering
72.	Electronic Science and Engineering
73.	Electronics
74.	Electronics and Avionics
75.	Electronics and Communication Engineering
76.	Electronics and Communication Engineering (Industry Integrated)
77.	Electronics and Communication Engineering (Industry Integrated)
78.	Electronics and Instrumentation Engineering
79.	Electronics and Telecommunication Engineering
80.	Electronics and Telecommunication Engineering (Technician Electronic Radio)
81.	Electronics and Communication Engineering (Microwaves)
82.	Electronics and Communication Engineering (Sandwich)

83.	Electronics and Communications Engineering
84.	Electronics and Computer Engineering
85.	Electronics and Control Systems
86.	Electronics and Electrical Engineering
87.	Electronics and Information Systems
88.	Electronics and Power Engineering
89.	Electronics and Telecommunications Engineering
90.	Electronics and Telematics Engineering
91.	Electronics Communication and Instrumentation Engineering
92.	Electronics Design Technology
93.	Electronics Engineering
94.	Electronics Instrument and Control
95.	Electronics Instrumentation and Control Engineering
96.	Electronics Tele Communication
97.	Energy Engineering
98.	Engineering Education
99.	Environment Engineering
100.	Environmental Engineering
101.	Environmental Science and Engineering
102.	Environmental Science and Technology
103.	Fashion and Clothing Technology
104.	Fashion and Apparel Engineering
105.	Fashion Technology

106.	Fibres and Textiles Processing Technology
107.	Fire Technology and Safety
108.	Food Engineering and Technology
109.	Food Processing and Preservation
110.	Food Processing Technology
111.	Food Technology
112.	Footwear Technology
113.	Geo Informatics
114.	Health Science and Water Engineering
115.	Hotel Management and Catering Technology
116.	Industrial and Production Engineering
117.	Industrial Biotechnology
118.	Industrial Electronics
119.	Industrial Engineering
120.	Industrial Engineering and Management
121.	Industrial Production Engineering
122.	Information and Communication Technology
123.	Information Engineering
124.	Information Science and Engineering

125.	Information Science and Technology
126.	Information Technology
127.	Information Technology and Engineering
128.	Instrument Technology
129.	Instrumentation
130.	Instrumentation and Control
131.	Instrumentation and Control Engineering
132.	Instrumentation Engineering
133.	Instrumentation Technology
134.	Irrigation Engineering
135.	Leather Technology
136.	Machine Engineering
137.	Man-Made Textile Technology
138.	Manufacturing Engineering
139.	Manufacturing Engineering and Technology
140.	Manufacturing Process
141.	Manufacturing Science and Engineering
142.	Manufacturing Technology
143.	Marine Engineering
144.	Marine Technology
145.	Masters in Engineering and Management

146.	Material Science and Technology
147.	Mechanical and Automation Engineering
148.	Mechanical Engineering (Industry Integrated)
149.	Mechanical Engineering (Sandwich Pattern)
150.	Mechanical Engineering
151.	Mechanical Engineering (Auto)
152.	Mechanical Engineering (Prod)
153.	Mechanical Engineering (Sandwich)
154.	Mechanical Engineering Automobile
155.	Mechatronics
156.	Medical Electronics Engineering
157.	Medical Electronics
158.	Medical Lab Technology
159.	Metallurgical and Materials Engineering
160.	Metallurgical Engineering
161.	Metallurgy
162.	Metallurgy and Material Technology
163.	Mine Engineering
164.	Mining Engineering
165.	Nano Technology

166.	Nano Technology and Robotics
167.	Oil and Paint Technology
168.	Oil Technology
169.	Oils, Oleochemicals and Surfactants Technology
170.	Packaging Technology
171.	Paint Technology
172.	Petrochem Engineering
173.	Petrochemical Engineering
174.	Petrochemical Technology
175.	Petroleum Engineering
176.	Petroleum Technology
177.	Plastic and Polymer Engineering
178.	Plastics Engineering
179.	Plastics Technology
180.	Polymer Engineering
181.	Polymer Engineering and Technology
182.	Polymer Science and Technology
183.	Polymer Technology
184.	Power Control and Drives
185.	Power Electronics
186.	Power Electronics Engineering
187.	Power Engineering
188.	Precision Manufacturing

189.	Printing and Packing Technology
190.	Printing Technology
191.	Printing Graphics and Packaging
192.	Production and Industrial Engineering
193.	Production Engineering
194.	Production Engineering (Sandwich)
195.	Pulp Technology
196.	Robotics and Automation
197.	Rubber Technology
198.	Safety and Fire Engineering
199.	Shipbuilding Engineering
200.	Silk Technology
201.	Surface Coating Technology
202.	Telecommunication Engineering
203.	Textile Chemistry
204.	Textile Engineering
205.	Textile Plant Engineering
206.	Textile Processing
207.	Textile Technology
208.	Tool Engineering
209.	Town and Country Planning
210.	VLSI System Design

2.2 Program: Engineering and Technology

Level: Post Graduate

S.No.	Name of The Course
1.	Advanced Computer Aided Design
2.	Advanced Electronics
3.	Advanced Electronics and Communication Engineering
4.	Advanced Manufacturing and Mechanical Systems Design
5.	Advanced Manufacturing Systems
6.	Advanced Materials Technology
7.	Advanced Production Systems
8.	Aero Dynamic Engineering
9.	Aero Space Engineering
10.	Aeronautical Engineering
11.	Agricultural Engineering
12.	Apparel Technology
13.	Applied Electronics
14.	Applied Electronics and Communications
15.	Applied Electronics and Instrumentation Engineering
16.	Applied Instrumentation
17.	Artificial Intelligence
18.	Atmospheric Science
19.	Automated Manufacturing Systems
20.	Automation
21.	Automation and Control Power Systems

22.	Automation and Robotics
23.	Automobile Engineering
24.	Automotive Technology
25.	Biochemical Engineering
26.	Biochemical Engineering and Biotechnology
27.	Bioinformatics
28.	Biomedical Electronics
29.	Biomedical Engineering
30.	Biomedical Instrumentation
31.	Biomedical Signal Processing and Instrumentation
32.	Bioprocess Technology
33.	Biotechnology
34.	Biotechnology and Biochemical Engineering
35.	CAD/CAM
36.	CAD/CAM Engineering
37.	Ceramic Engineering and Technology
38.	Ceramics Engineering
39.	Chemical Engineering
40.	Chemical Processing in Textiles
41.	Chemical Reaction Engineering
42.	Chemical Technology
43.	Chemical Technology (Rubber/Plastic)
44.	Civil (Public Health and Environment) Engineering

45.	Civil Engineering
46.	Civil Engineering (Public Health Engineering)
47.	Civil Engineering (Construction Technology)
48.	Communication and Information Systems
49.	Communication Engineering
50.	Communication Engineering and Signal Processing
51.	Communication Systems
52.	Communication Technology and Management
53.	Communications Engineering
54.	Computational Analysis in Mechanical Science
55.	Computational Mechanics
56.	Computer Aided Analysis and Design
57.	Computer Aided Design
58.	Computer Aided Design and Computer Aided Manufacture
59.	Computer Aided Design and Manufacture
60.	Computer Aided Design Manufacture and Automation
61.	Computer Aided Design Manufacture and Engineering
62.	Computer Aided Design of Structures
63.	Computer Aided Process Design
64.	Computer Aided Structural Analysis and Design

65.	Computer Aided Structural Engineering
66.	Computer and Communication
67.	Computer and Communication Engineering
68.	Computer and Information Science
69.	Computer Applications
70.	Computer Applications in Industrial Drives
71.	Computer Cognition and Technology
72.	Computer Engineering
73.	Computer Engineering and Application
74.	Computer Hardware Maintenance and Networking
75.	Computer Integrated Manufacturing
76.	Computer Networking
77.	Computer Networking and Engineering
78.	Computer Networks
79.	Computer Networks and Information Security
80.	Computer Networks and Internet Security
81.	Computer Science and Engineering
82.	Computer Science
83.	Computer Science and Technology
84.	Computer Science and Information Security

85.	Computer Science and Information Technology
86.	Computer Science and Systems Engineering
87.	Computer Systems and Technology
88.	Computer Technology
89.	Computer Technology and Applications
90.	Computer Vision and Robotics
91.	Construction Engineering
92.	Construction Engineering and Management
93.	Construction Management
94.	Construction Project Management
95.	Construction Technology
96.	Construction Technology and Management
97.	Control and Instrumentation
98.	Control Engineering
99.	Control System Engineering
100.	Control Systems
101.	Cryogenic Engineering
102.	Design and Production
103.	Design and Thermal Engineering
104.	Design Engineering
105.	Design for Manufacturing
106.	Design of Mechanical Equipment
107.	Design of Mechanical Systems
108.	Digital Communication

109.	Digital Communications
110.	Digital Communications and Networking
111.	Digital Electronics
112.	Digital Electronics and Microprocessor
113.	Digital Electronics and Communication Engineering
114.	Digital Electronics and Communication Systems
115.	Digital Electronics and Engineering
116.	Digital Image Processing
117.	Digital Instrumentation
118.	Digital Signal Processing
119.	Digital Systems
120.	Digital Systems and Communications Engineering
121.	Digital Systems and Computer Electronics
122.	Distributed Systems
123.	Dyestuff Technology
124.	Earthquake Engineering
125.	Electric Power System
126.	Electrical and Electronics Engineering
127.	Electrical and Mechanical Engineering
128.	Electrical and Power Engineering
129.	Electrical Devices and Power Systems
130.	Electrical Drives and Control
131.	Electrical Energy Systems
132.	Electrical Engineering

133.	Electrical Engineering (Electronics and Power)
134.	Electrical Machines
135.	Electrical Machines and Drives
136.	Electrical Power Engineering
137.	Electrical Power System
138.	Electrical Power Systems
139.	Electronic Circuits and System Design
140.	Electronic Instrumentation and Control Engineering
141.	Electronics
142.	Electronics and Communication Engineering
143.	Electronics and Communication Engineering (Industry Integrated)
144.	Electronics and Communication Engineering (Industry Integrated)
145.	Electronics and Instrumentation Engineering
146.	Electronics and Tele-Communication Engineering
147.	Electronics and Telecommunication Engineering (Technologynician Electronic Radio)
148.	Electronics and Communications Engineering
149.	Electronics and Computer Engineering
150.	Electronics and Control Systems
151.	Electronics and Electrical Engineering
152.	Electronics and Telecommunications Engineering

153.	Electronics Communication and Instrumentation Engineering
154.	Electronics Design and Technology
155.	Electronics Design Technology
156.	Electronics Engineering
157.	Electronics Engineering (Self-Financed)
158.	Electronics Product Design and Technology
159.	Electronics Systems and Communication
160.	160. Electronics Technology
161.	161. Embedded and Real Time Systems
162.	162. Embedded System and Computing
163.	Embedded System and VLSI
164.	Embedded Systems
165.	Embedded Systems and Instrumentation
166.	Embedded Systems Technologies
167.	Energy and Environmental Management
168.	Energy Engineering
169.	Energy Management
170.	Energy Systems
171.	Energy Systems and Management
172.	Energy Systems Engineering
173.	Energy Technology
174.	Energy Technology and Management
175.	Engineering Design

176.	Engineering Education
177.	Engineering Statistics
178.	Environment and Water Resource Engineering
179.	Environment Engineering
180.	Environmental Engineering
181.	Environmental Engineering and Management
182.	Environmental Management
183.	Environmental Science and Engineering
184.	Environmental Science and Technology
185.	E-Security
186.	Farm Machinery
187.	Fashion and Apparel Engineering
188.	Fibre Optics and Light Wave Technology
189.	Food Biotech Engineering
190.	Food Biotechnology
191.	Food Engineering and Technology
192.	Food Processing Technology
193.	Food Technology
194.	Form Machinery and Power Engineering
195.	Foundation Engineering
196.	Fracture Mechanics
197.	Fuel and Combustion
198.	Gas Turbine Technology
199.	Geo Informatics
200.	Geo-informatics and Surveying Technology

201.	Geomachines and Structures
202.	Geotechnical and Geo-environmental Energy
203.	Geotechnical Earthquake Engineering
204.	Geotechnical Engineering
205.	Geotechnology
206.	Green Technology
207.	Guidance and Navigation Control
208.	Health Care Technology
209.	Health Safety and Environment Management
210.	Health Science and Water Engineering
211.	Heat Power and Thermal Engineering
212.	Heat Power Engineering
213.	High Voltage and Power Systems Engineering
214.	High Voltage Engineering
215.	Highway Engineering
216.	Highway Technology
217.	Hill Area Development Engineering
218.	Hydraulics Engineering
219.	Image Processing
220.	Industrial and Production Engineering
221.	Industrial Automation and RF Engineering
222.	Industrial Automation and Robotics
223.	Industrial Biotechnology
224.	Industrial Catalysis

225.	Industrial Design
226.	Industrial Drives and Control
227.	Industrial Electronics
228.	Industrial Engineering
229.	Industrial Engineering and Management
230.	Industrial Instrumentation and Control
231.	Industrial Maintenance and Reliability
232.	Industrial Mathematics
233.	Industrial Pollution Control
234.	Industrial Power Control and Drives
235.	Industrial Refrigeration and Cryogenics
236.	Industrial Safety
237.	Industrial Safety and Engineering
238.	Industrial Structures
239.	Industrial Systems Engineering
240.	Information and Communication Technology
241.	Information Engineering
242.	Information Science and Technology
243.	Information Security
244.	Information Security Management
245.	Information Technology
246.	Information Technology and Engineering
247.	Infrastructure Engineering
248.	Infrastructure Engineering and Management

249.	Infrastructure Management
250.	Instrumentation
251.	Instrumentation and Control
252.	Instrumentation and Control Engineering
253.	Instrumentation Engineering
254.	Integrated Power Systems
255.	Intelligent Systems
256.	Internal Combustion and Automobiles
257.	Internal Combustion Engines and Turbo Machinery
258.	Irrigation and Drainage Engineering
259.	Irrigation Engineering
260.	Leather Technology
261.	Machine Design
262.	Machine Design and Robotics
263.	Maintenance Engineering
264.	Man-Made Textile Technology
265.	Manufacturing and Automation
266.	Manufacturing Engineering
267.	Manufacturing Engineering and Automation
268.	Manufacturing Engineering and Management
269.	Manufacturing Engineering and Technology
270.	Manufacturing Process
271.	Manufacturing Science and Engineering
272.	Manufacturing Systems and Management
273.	Manufacturing Systems Engineering

274.	Manufacturing Technology
275.	Marine Engineering
276.	Marine Technology
277.	Master of Science in Software Engineering
278.	Masters in Engineering and Management
279.	Material Science and Technology
280.	Mechanical and Automation Engineering
281.	Mechanical Engineering
282.	Mechanical Engineering (Industry Integrated)
283.	Mechanical Engineering (Prod)
284.	Mechanical Engineering Design
285.	Mechanical Engineering Specialization in Cad
286.	Mechanical System Design
287.	Mechanical Welding and Sheet Metal Engineering
288.	Mechatronics
289.	Medical Electronics
290.	Metallurgical and Materials Engineering
291.	Metallurgical Engineering
292.	Metallurgy
293.	Metallurgy and Material Technology
294.	Micro and Nano Electronics
295.	Micro Electronics
296.	Micro Electronics and Control Systems
297.	Micro Electronics Engineering

298.	Microwave and Communication Engineering
299.	Microwave and Millimetre Engineering
300.	Microwave and Radar Engineering
301.	Microwave and TV Engineering
302.	Microwave Engineering
303.	Mining Engineering
304.	Mobile Communication and Network Technology
305.	Mobile Technology
306.	Modern Communication Engineering
307.	Multimedia and Software Engineering
308.	Nano Science and Technology
309.	Nano Technology
310.	Network Engineering
311.	Network Infrastructure Management
312.	Network Security and Management
313.	Networking
314.	Networking and Internet Engineering
315.	Neural Networks
316.	New Material Process and Technology
317.	Oil Technology
318.	Oils, Oleochemicals and Surfactants Technology
319.	Optical Engineering
320.	Optoelectronics and Communication

321.	Opto-Electronics Engineering
322.	Paint Technology
323.	Parallel Distributed Systems
324.	Perfumery and Flavour Technology
325.	Petrochemical Engineering
326.	Petrochemical Technology
327.	Petroleum Engineering
328.	Pharmaceuticals Chemistry and Technology
329.	Physical Metallurgy
330.	Plant Design
331.	Plastic Engineering
332.	Plastic Technology
333.	Plastics Engineering
334.	Plastics Technology
335.	Polymer Engineering
336.	Polymer Nanotechnology
337.	Polymer Science and Technology
338.	Polymer Technology
339.	Power and Energy Engineering
340.	Power and Industrial Drives
341.	Power Control and Drives
342.	Power Electronics
343.	Power Electronics and Drives
344.	Power Electronics and Electrical Drives
345.	Power Electronics and Power Systems
346.	Power Electronics and Systems
347.	Power Electronics Engineering
348.	Power Engineering

349.	Power Engineering and Energy Systems
350.	Power Plant Engineering and Energy Management
351.	Power System and Control
352.	Power System and Control Automation
353.	Power Systems
354.	Power Systems and Automation
355.	Power Systems and Power Electronics
356.	Power Systems Control and Automation Engineering
357.	Power Systems Engineering
358.	Pre Stressed Concrete
359.	Printing Technology
360.	Process and Food Engineering
361.	Process Control
362.	Process Control Instrumentation
363.	Process Dynamics and Control
364.	Process Instrumentation
365.	Process Metallurgy
366.	Product Design
367.	Product Design and Commerce
368.	Product Design and Development
369.	Product Design and Manufacturing
370.	Production and Industrial Engineering
371.	Production Design and Manufacturing
372.	Production Engineering
373.	Production Engineering and Engineering Design

374.	Production Engineering System Technology
375.	Production Management
376.	Production Technology
377.	Production Technology and Management
378.	Project Management
379.	Propulsion Engineering
380.	Quality Engineering and Management
381.	Radio Frequency and Microwave Engineering
382.	Real Time Systems
383.	Refrigeration and Air Conditioning
384.	Remote Sensing
385.	Robotics and Automation
386.	Robotics and Mechatronics
387.	Rocket Propulsion
388.	Rubber Technology
389.	Scientific Computing
390.	Seismic Design and Earthquake Engineering
391.	Signal Processing
392.	Signal Processing and Communications
393.	Software Engineering

394.	Software Systems
395.	Soil and Water Conservation Engineering
396.	Soil Mechanics
397.	Soil Mechanics and Foundation Engineering
398.	Sports Technology
399.	Structural and Foundation Engineering
400.	Structural Design
401.	Structural Dynamics and Earthquake Engineering
402.	Structural Engineering
403.	Structural Engineering and Construction
404.	Surface Coating Technology
405.	System Software
406.	Systems and Signal Processing
407.	Technical Chemistry
408.	Telecommunication Engineering
409.	Telematics
410.	Textile Chemistry
411.	Textile Engineering
412.	Textile Processing
413.	Textile Processing Technology
414.	Textile Technology

415.	Thermal and Fluid Engineering
416.	Thermal Engineering
417.	Thermal Power Engineering
418.	Thermal Science
419.	Thermal Science Engineering
420.	Thermal Systems and Design
421.	Tool Design
422.	Tool Engineering
423.	Town and Country Planning
424.	Town Planning and Architecture
425.	Traffic and Transporting Engineering
426.	Transportation Engineering
427.	Transportation Engineering and Management
428.	Transportation System Engineering
429.	Turbo Machinery
430.	VLSI
431.	VLSI and Electronics and Digital Communication
432.	VLSI and Embedded Systems
433.	VLSI and Embedded Systems Design
434.	VLSI and Microelectronics
435.	VLSI Design

436.	VLSI Design and Embedded Systems
437.	VLSI Design and Testing
438.	VLSI System Design
439.	VLSI Systems
440.	Water Resource Engineering
441.	Water Resource Management
442.	Web Technologies
443.	Wired and Wireless Communication
444.	Wireless and Mobile Communications
445.	Wireless Communication and Computing
446.	Wireless Communication Technology
447.	Wireless Communications
448.	Wireless Technology

2.3 Program: Applied Arts and Crafts

Level: Under Graduate

S.No	Name of The Course
1.	Fine Arts

2.4 Program: Applied Arts and Crafts

Level: Post Graduate

S.No	Name of The Course
2.	Fine Arts

2.5 Programme: Architecture and Town Planning**Level : Under Graduate**

Sl.No.	Name of the course	Sl.No.	Name of the course
1	Architectural Engineering	5	Arch. (Building Engineering and Construction Management)
2	Architecture	6	Interior Design
3	Architecture (Interior Design)	7	Planning
4	Architecture (Town Planning)	8	Urban and Regional Planning

2.6 Programme: Architecture and Town Planning**Level : Post Graduate**

Sl.No.	Name of the course	Sl.No.	Name of the course
1	Architectural Engineering	10	Planning
2	Architecture	11	Settlement Conservation
3	Architecture (housing)	12	Theory & Design
4	Architecture (Landscape)	13	Town Planning
5	Architecture (Town Planning)	14	Urban and Regional Planning
6	Environmental Planning	15	Urban design
7	Housing	16	Urban planning
8	Industrial Area Planning and Management	17	Urban Transport Planning and Management
9	Infrastructure Planning		

2.7 Program : Hotel Management and Catering Technology**Level : Under Graduate**

Sl.No.	Name of the course	Sl. No.	Name of the course
1	Hospitality and Tourism Administration	3	Hotel Management & Catering Technology
2	Hotel Management	4	Hotel Management and Catering Technology

2.8 Program : Hotel Management and Catering Technology**Level : Post Graduate**

Sl. No.	Name of the course	Sl. No.	Name of the course
1	Food and Beverage Management	3	Hotel Management and Catering Technology
2	Hospitality and Tourism Administration	4	Master in Hotel Management and Catering Technology (MHMCT)

2.9 Program: Computer Applications**Level: Under Graduate**

S.No.	Name of The Course
1.	Computer Applications

2.10 Program: Computer Applications**Level: Post Graduate**

S.No.	Name of The Course
1.	Masters in Computer Applications

2.11 Program: Pharmacy**Level: Under Graduate**

S.No.	Name of The Course
1.	Pharmacy

2.12 Program: Pharmacy**Level: Post Graduate**

S.No.	Name of The Course	S.No.	Name of The Course
1.	Bio Pharmaceutics	23.	Pharmaceutical Technology
2.	Bulk Drug Technology	24.	Pharmaceutics
3.	Clinical and Hospital Pharmacy	25.	Pharmaceutics (Drug Regulatory Affairs)
4.	Clinical Pharmacy	26.	Pharmaceutics Chemistry
5.	Drug Regulatory Affairs	27.	Pharmacognosy
6.	Hospital and Clinical Pharmacy	28.	Pharmacognosy and Phytochemistry
7.	Industrial Pharmacy	29.	Pharmacognosy Herbal Drugs
8.	Medical Chemistry	30.	Pharmacology
9.	Medical Pharmaceutical Chemistry	31.	Pharmacology and Toxicology
10.	Pharma Technology	32.	Pharmacy
11.	Pharmaceutical Administration	33.	Pharmacy (Clinical Research)
12.	Pharmaceutical Analysis	34.	Pharmacy (Quality Assurance Techniques)
13.	Pharmaceutical Analysis and Quality Assurance	35.	Pharmacy (Quality Assurance)
14.	Pharmaceutical Analysis and Quality Control	36.	Pharmacy Management
15.	Pharmaceutical Assurance	37.	Pharmacy Practice
16.	Pharmaceutical Biotechnology	38.	Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy
17.	Pharmaceutical Chemistry	39.	Phyto Chemistry
18.	Pharmaceutical Management and Regulatory Affairs	40.	Phyto Medicine
19.	Pharmaceutical Marketing	41.	Quality Assurance
20.	Pharmaceutical Marketing Management	42.	Quality Assurance and Pharmaceutics Regulation
21.	Pharmaceutical Quality Assurance	43.	Quality Assurance Techniques
22.	Pharmaceutical Science		

Appendix 3

Norms for Intake & Number of Courses / Divisions in the Colleges offering technical education

3.1 New Technical Institution in Engineering & Technology shall necessarily opt for courses from group 'C' of courses. Minimum number of courses to be selected from group 'C' with respect to total number of courses opted is given in following table.

Total number of courses opted by new Technical College	Number of courses to be selected from Group C	Courses listed in group C
5	3 or more	Applied Electronic & Instrumentation Chemical Engineering/Technology Civil Engineering/Technology, Construction Engineering Computer Science, Computer Science and Engineering, Computer Science & Information Technology, Computer Technology Electrical Engineering or Electrical & Electronics Engineering Electronics and Communication Engineering Information Technology Instrumentation and Control Engineering Mechanical Engineering Production Engineering
4	3 or more	
3	2 or more	
2	1 or more	
1	1	

3.2 Under Graduate level

3.2a	Intake per Division	Maximum number of UG courses & / or divisions allowed in the new Institution (Single shift working)	
		Divisions	Intake
Engineering & Technology	60	5	300
Pharmacy	60	3	180
Architecture & Town Planning	60	3	180
Applied Arts & Crafts	60	3	180
HMCT	60	3	180

3.2 b New Technical Institution in Engineering & Technology shall necessarily opt for courses from group 'C' of courses. Minimum number of courses to be selected from group 'C'

with respect to total number of courses opted is given in following table.

Total number of courses opted by new Technical College	Number of courses to be selected from Group C	Courses listed in group C
5	3 or more	Applied Electronics & Instrumentation Chemical Engineering/Technology Civil Engineering/Technology, Construction Engineering Computer Science, Computer Science and Engineering, Computer Science & Information Technology, Computer Technology Electrical Engineering or Electrical & Electronics Engineering Electronics and Communication Engineering Information Technology Instrumentation and Control Engineering Mechanical Engineering Production Engineering
4	3 or more	
3	2 or more	
2	1 or more	
1	1	

3.3 Post Graduate Degree level

	Intake per division without foreign collaboration	PG divisions without foreign collaboration	Total without foreign collaboration	Intake per Division with Foreign collaboration/ Twinning	PG divisions allowed with foreign collaboration/ Twinning	
MCA	60	3	180	60	2	
Management	60	3	180	60	2	
Engineering & Technology	30*	6	180	30	4	
Pharmacy	30*	6	180	30	4	
Architecture & Town Planning	30*	6	180	30	4	
Applied Arts & Crafts	30*	6	180	30	4	
HMCT	30*	6	180	30	4	

*Maximum of 30, Minimum of 18 in steps 6

*Out of the two divisions allotted in Post Graduate level, one shall be of “Cyber Security” or Cyber Security related courses in Computer/IT branches of Engineering/Technology.

*Minimum of 18 seats in steps of 6 up to Maximum 24

*Additional 6 seats above 24 seats if the course is accredited.

* New Course with Intake less than 18 shall not be approved. However, existing Courses

where approved intake is less than 18 may continue with existing Intake.

Private Limited or Public Limited Company/Industry Establishing UG/PG Institute

	Intake per Division	Maximum number of UG courses &/or divisions allowed in the new Institution (Single shift working)	
		Division/s	Intake
Engineering & Technology	60	10	600
Pharmacy	60	6	360
Architecture & Town Planning	60	6	360
Applied Arts & Crafts	60	6	360
Hotel Management and Catering Technology	60	6	360

- a New Technical Institution in Engineering & Technology, Pharmacy, Architecture & Town Planning, and Hotel Management and Catering Technology established by a Private Limited or Public Limited Company/Industry having turnover of at least Rs 100 Cr per year for previous 3 years shall be eligible for application and grant of permission for intake as above following due procedure.
- b The Institute setup by such a Private Limited or Public Limited Company/Industry shall be governed by the prescribed rules.
- c Private Limited or Public Limited Company/Industry Establishing Diploma or Under Graduate or Post Graduate Institute may choose any course from the approved list of any size as intake not exceeding maximum as above and in any combination in the same program.

Appendix 4**Norms for Land requirement and Building Space for Colleges offering Technical Education****Land Requirements for Technical Institutions**

	Land Area requirement in Acres					
	Other than Rural places (Competent Authority to certify that the place is not located in a rural area)			Rural Places as defined by Competent Authority		
	UG Programs	Diploma	Stand alone Post Graduate Programs	UG Programs	Diploma	Stand alone Post Graduate Programs
Engineering & Technology	2.50	1.50	2.5	10.0	5.00	10.0
Pharmacy	0.75	0.75	0.75	2.00	2.00	2.00
Architecture & Town Planning	1.00	1.00	1.00	2.50	2.50	2.50
Applied Arts & Crafts	0.75	0.75	0.75	2.00	2.00	2.00
HMCT	1.00	1.00	1.00	2.50	2.50	2.50
MCA	-	-	0.50	-	-	1.50

	4.1.1.	a	Land area shall cover hostel facilities, if any
		b	Land shall be in one continuous piece.
		c	Considering hilly nature of land in North Eastern States, land may be made available in 3 pieces which are not away from each other by more than 1 Km.

	4.1.2	Programme	Number of students generally allowed per acre land available when FSI = 1
	a	Engineering & Technology	300
	b	Pharmacy	250
	c	Architecture & Town Planning	250
	d	Applied Arts & Crafts	250
	e	HMCT	300
	f	MCA	300

4.2 Built-up Area Requirements

4.2	a	The Institution area is divided in, Instructional area (INA, carpet area in sq. m.), Administrative area (ADA, carpet area in sq. m), Amenities area (AMA, carpet area in sq. m.).
	b	Circulation area (CIA) is equal to $0.25 \times (INA+ADA+AMA)$.
	c	Total built up area in sq. m. is equal to $(INA+ADA+AMA) + (CIA)$.

4.2.1 Instructional Area (Carpet Area) in sqm

Engineering/Technology (Degree Institute)

	Number of Divisions UG (Class of 60)	Duration of course in Yrs	Class Rooms (C)	Tutorial Rooms (D) PG Class rooms (H)	Laboratory (including additional WS/Labs for category "X" courses)	Research Laboratory	Work Shop (for all courses)	Additional WS/Labs for Category "X" courses	Computer Centre	Drawing Hall	Library & Reading Room	Seminar Halls
Carpet Area in sqm per room			66	33	66	66	200	200	150	132	400	132
Number of rooms required for new Institution	A	4	C=A	D=C/4	02/Course	-	1	-	1	1	1	1
Total Number of rooms (UG)	A	4	C=A x4	D=C/4	10/Course#	-						
Total Number of rooms (PG)	F	2	-	H=Fx2	1/ Specialisation	1/Specialisation	1	2/Course (Maximum 4)	1	1	1	1/Co-course

1	Category X of course: Mechanical, Production, Civil, Electrical, Chemical, Textile, Marine, Aeronautical and allied courses of each.
2	Classrooms, Tutorial rooms and Laboratories required for 2 nd , 3 rd and 4 th year may be added progressively to achieve total number as stated.
3	Additional Library (Reading room) area of 50 sq m / per 60 student (UG+PG) intake beyond 420.
4	UG laboratories if shared for PG courses shall be upgraded to meet requirements of PG curriculum
5	#Progressive requirement, 2 nd year onwards shall be calculated as 3+3+2 labs/course
6	#Additional 5 Labs/Course when number of divisions are more than 2/course.
7	Round off fraction in calculation to the next integer.

Pharmacy (Degree Institute)[illegible]

Architecture & Town Planning (Degree Institute)

	Number of Divisions UG (Class of 60) PG (Class of 18)	Duration of course in Yrs	Class Rooms (C)	Tutorial Rooms (D) PG Class rooms (H)	Laboratory Including computer Laboratory	Research Laboratory	Model making & Carpentry Workshop	Studio/ Material Museum	Computer Centre	Library & Reading Room	Seminar Halls
Carpet Area in sqm per room			66	33	66	66	200	132	75	150	132
Number of rooms required for new Institution	A	5	C=A	D=C/4	1	-	1	1	1	1	1
Total Number of rooms (UG)	A	5	C=A \times 5	D=C/4	5	-	1	5	1	1	1
Total Number of rooms (PG)	F	2	-	H=F \times 2	1/Specialisation	1/Specialisation					

1	Classrooms, Tutorial rooms and Laboratories required for 2nd, 3rd, 4th, and 5th year may be added progressively (1+1+1) to achieve total number as stated. UG laboratories if shared for PG courses shall be upgraded to meet requirements of PG curriculum.
2	Round off fraction in calculation to the next integer.

Applied Arts & Crafts (Degree Institute)

	Number of Divisions UG (Class of 60) PG (Class of 18)	Duration of course in Yrs	Class Rooms (C)	Tutorial Rooms (D) PG Class rooms (H)	Laboratory Including Photography and Computer Laboratory	Research Laboratory	Workshop	Studio / Display Room	Computer Centre	Library & Reading Room	Seminar Halls
Carpet Area in sqm per room			66	33	66	66	200	132	75	150	132
Number of rooms required for new Institution	A	5	C=A	D=A/4	1	-	1	1	1	1	1
Total Number of rooms (UG)	A	5	C=A \times 5	D=C/4	3	-	1	1	1	1	1
Total Number of rooms (PG)	F	G	-	H=F \times G	1/Specialisation	1/Specialisation					

1	Classrooms, Tutorial rooms and Laboratories required for 2nd, 3rd, 4th and 5th year may be added progressively (1+1+1) to achieve total number as stated. UG laboratories if shared for PG courses shall be upgraded to meet requirements of PG curriculum.
2	Round off fraction in calculation to the next integer.

Hotel Management & Catering Technology (Degree Institute)

	Number of Divisions UG (Class of 60) PG (Class of 18)	Duration of course in Yrs	Class Rooms (C)	Tutorial Rooms (D) PG Class rooms (H)	Laboratory / Guest Room	Kitchen	Restaurant	Computer Centre	Library & Reading Room	Seminar Halls
Carpet Area in sqm per room			66	33	66	132	66	75	150	132
Number of rooms required for new Institution	A	4	C=A	D=C/4	3	1	1	1	1	1
Total Number of rooms (UG)	A	4	C=A \times 4	D=C/4	10	2	2	1	1	1
Total Number of rooms (PG)	F	G	-	H=F \times G	1/Specialisation	1/Specialisation				

1	Classrooms, Tutorial rooms and Laboratories required for 2nd, 3rd, 4th and 5th year may be added progressively (3+2+2) to achieve total number as stated. UG laboratories if shared for PG courses shall be upgraded to meet requirements of PG curriculum.
2	Round off fraction in calculation to the next integer.

MCA (Degree Institutes)

	Number of Divisions UG (Class of 60)	Duration of course in Yrs	Class Rooms (C)	Tutorial Rooms (D)	Computer Laboratories	Computer Centre	Library & Reading Room	Seminar Halls (E)
Carpet Area in sqm per room			66	33	66	150	100	132
Number of rooms required for new Institution	A	3	C=A	D=C/4	2	1	1	1
Total Number of rooms	A	3	C=A \times 3	D=C/4	4	1	1	E=C/4

1	Classrooms, Tutorial rooms and Laboratories required for 2 nd , 3 rd) year may be added progressively (1+1) to achieve total number as stated.
2	Round off fraction in calculation to the next integer.

4.2.2 Administrative Area (Carpet Area) in sq m

	Principal Office	Board Room	Office all inclusive	Department Offices	Cabins for Head of Departments	Faculty Rooms	Central Stores	Maintenance	Security	Housekeeping	Pantry for staff	Examinations Control Office	Placement office
Carpet Area in sqm per room	30	20	150 * 300 \$	20	10	5	30	10	10	10	10	30	30
Number of rooms require for new Technical College	1	1	1	-	-	First Year Student intake /15	1	1	1	1	1	1	-
Total Number of rooms	1	1	1	1/Dept	1/Dept	One per teaching faculty (as per norms) in the Institution	1	1	1	1	1	1	1

1	\$Technical College having more than one Program
2	* Technical College having one Program

4.2.3 Amenities Area (Carpet Area) in sqm

	Toilets (Ladies & Gents)	Boys Common Room	Girls Common Room	Cafeteria	Stationery & Store Reprography	First Aid cum Sick room	Principal's quarter	Guest House	Sports Club / Gymnasium	Auditorium / Amphi Theater	Boys Hostel	Girls Hostel
Carpet Area in sqm per room Technical College having more than one Program	350*	100	100	150	10	10	150	30	200	400	Adequate	Adequate
Carpet Area sqm per room for Technical College having one Program	150\$	75	75	150	10	10	150	30	100	250		
Number of rooms required for New Technical College	Adequate	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Total Number of rooms	Adequate	1	1	1	1	1	Desired	Desired	Desired	Desired	Desired	Desired

1	* Estimated total area for Technical College having more than one Program
2	\$Estimated total area for Technical College having one Program

4.2.4 Circulation Area in sqm

4.2.4	a	Circulation area of 25% of sum of Instructional, Administrative and Amenities area is desired covering common walk ways, staircases, entrance lobby
-------	---	---

Appendix 5

Norms for Books, Journals, Library facilities, Computers, Printers, Software, Internet and Laboratory Equipments for Technical Institution

5.1 Computers, Printers Software and Internet

		Number of PCs to students ratio (Min 20 PCs)	Legal system software	Legal application software	LAN & Internet	Mail Server & Client	Internet Mbps/intake of 240 students with Bandwidth Contention of 1:1 (Min 1 Mbps)	Printers including color printer (% of total no. of PCs)
Engineering / Technology			03	20	All	Desired	02	10%
	UG	1:4						
	PG	1:2						
Pharmacy			01	10	All	Desired	01	5%
	UG	1:6						
	PG	1:6						
Architecture & Town Planning			01	10	All	Desired	01	5%
	UG	1:6						
	PG	1:6						
Applied Arts & Crafts			01	10	All	Desired	01	5%
	UG	1:6						
	PG	1:6						
HMCT			01	10	All	Desired	01	5%
	UG	1:6						
	PG	1:6						
MCA	PG	1:2	03	20	All	Desired	02	10%

5.1	a	Utilization of Open Source Software may be encouraged
	b	Secured Wi Fi facility is highly recommended
	c	Purchase of most recent hardware is desired.
	d	Library, Administrative offices and Faculty members shall be provided with exclusive computing facilities along with LAN and Internet. This shall be considered as over and above the requirement meant for PCs to students ratio.
	e	@Adequate number of software licenses is required
	f	#Central Xeroxing facility for students is preferred

5.2 Laboratory Equipments and Experiments

5.2 (a)	The laboratories shall have equipments as appropriate for experiments as stated /suitable for the requirements of the affiliating University/Board's curriculum. It is desired that number of experiment set up be so arranged that maximum four students shall work on one set.
---------	--

5.3 Books, Journals and Library facilities

Program	Total number of divisions	Titles	Volumes	National Journals	International Journals	E Journals	Room Reading Seating	Multimedia PCs Digital Library/internet surfing in reading room
		Number					% of total students	% of total students
Engineering/ Technology (UG)	B	100	500XB	6xB	Desirable	As per appendix 10	15% (Max 150)	1% (Max 10)
		50 per course	250 per course division					
Pharmacy (UG)	B	100	500 X B	6xB				
		50	500 X B					
Architecture & Town Planning (UG)	B	100	400 X B	6xB				
		50	400 X B					
Applied Arts & Crafts (UG)	B	100	500 X B	6xB				
		50	500 X B					
HMCT	B	100	500 X B	6xB				
		50	500 X B					
							25%	

MCA (PG)	B	100	500 X B	12xB				
		50	500 X B					
Engineering/ Technology/ Pharmacy/ Architecture & Town Planning / Applied Arts & Crafts (PG)	B	50	200	5xB				
		As required	100					

B=Number of divisions at 1st year (shift 1+2) + number of 2nd year direct divisions (shift 1+2)

1	Book titles and volumes required at the time of starting new Institution.
2	Requirements of Book titles and volumes in Institutions started before 1950 shall be calculated considering starting year as 1950.
3	Yearly increment.
4	Component for additional division / course.
5	Hard Copy International Journals is desirable to procure. However subscription to E-Journals and National Journals as per Appendix 10 is essential.
6	Journals and Books may also include subjects of Science & Humanities
7	Digital Library facility with multimedia facility is essential.
8	Reprographic facility in the library is essential
9	Document scanning facility in the library is essential.
10	Document printing facility in the library is essential
11	Library books/non-books classification as per standard classification methods is essential
12	Availability of NPTEL facility at the library is essential
13	Computerized indexing with bar coded / RF tagged book handling is desired

Appendix 6

Norms for Essential and Desired requirements for Technical College (marked as essential are needed to be made available at the time of the Expert Committee visit)

1.	Language Laboratory The Language Laboratory is used for language tutorials. These are attended by students who voluntarily opt for Remedial English classes. Lessons and exercises are recorded on a weekly basis so that the students are exposed to a variety of listening and speaking drills. This especially benefits students who are deficient in English and also aims at confidence-building for interviews and competitive examinations. The Language Laboratory sessions also include word games, quizzes, extemporary speaking, debates, skits etc. These sessions are complemented by online learning sessions which take place in the Multi-Purpose Computer Lab. This Lab shall have 25 Computers For every 1000 students	Essential
2.	Potable Water supply and outlets for drinking water at strategic locations	Essential
	Electric Supply	Essential
	Backup Electric Supply	Desirable
	Sewage Disposal	Essential
	Telephone and FAX	Essential
	Vehicle Parking	Essential
	Institution web site	Essential
	Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons including availability of specially designed toilets for ladies and gents separately. Refer guidelines and space standards for Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons by CPWD, Ministry of Urban Affairs & Employment, India.	Essential
	Safety provisions including fire and other calamities	Essential
	General Insurance provided for assets against fire, burglary and other calamities	Essential
	All weather approach road	Essential
	General Notice Board and Departmental Notice Boards	Essential
	First aid, Medical and Counseling Facilities	Essential
	Public announcement system at strategic locations for general announcements/paging and announcements in emergency.	Desirable
	Enterprise Resource Planning (ERP) Software for Student-Institution-Parent interaction	Essential
	Transport Desirable	Desirable
	Post, Banking Facility / ATM	Desirable
	CCTV Security System	Desirable
	LCD (or similar) projectors in classrooms	Desirable
	Group Insurance to be provided for the employees	Desirable
	Insurance for students	Desirable
	Staff Quarters	Desirable

Appendix 7**Norms for Faculty requirements and Cadre Ratio for Colleges offering technical education****7.1 Faculty Requirements and Cadre Ratio (UG)**

	Faculty Student ratio	Principal	Professor	Associate Professor	Assistant professor	Total A+B+C+D
		A	B	C	D	A+B+C+D
Engineering / Technology	1:15* (1:20)**	1	(S/15 XR) – 1	(S/15 XR) – 2	(S/15 XR) – 6	S/15
Pharmacy	1:15* (1:20)**	1	(S/15 XR) – 1	(S/15 XR) – 2	(S/15 XR) – 6	S/15
Architecture & Town Planning	1:10* (1:15)**	1	(S/10 XR) – 1	(S/10 XR) – 2	(S/10 XR) – 6	S/10
Applied Arts & Crafts	1:10* (1:15)**	1	(S/10 XR) – 1	(S/10 XR) – 2	(S/10 XR) – 6	S/10
HMCT	1:15* (1:20)**	1	(S/15 XR) – 1	(S/15 XR) – 2	(S/15 XR) – 6	S/15

7.1 a	S = Sum of number of students as per Approved Student Strength at all years R = (1+2+6)
-------	--

*The Faculty Student Ratio must be reached at the earliest but not later than three academic years

**Minimum Faculty student ratio to be maintained

The stipulated cadre ratio of 1:2:6 must be reached at the earliest but not later than three academic sessions.

7.2 Faculty Requirements and Cadre Ratio (PG)

	Faculty Student ratio	Principal/ Director	Professor	Associate Professor	Assistant professor	Total A+B+C+D
		A	B	C	D	A+B+C+D
*Engineering/ Technology	1:12	-	S/12XR	S/12XR	S/12XR	S/12
*Pharmacy	1:12	-	S/12XR	S/12XR	S/12XR	S/12
*Architecture & Town Planning	1:10	-	S/10XR	S/10XR	S/10XR	S/10
*Applied Arts & Crafts	1:10	-	S/10XR	S/10XR	S/10XR	S/10
*HMCT	1:12	-	S/12XR	S/12XR	S/12XR	S/12
*MCA	1:15	1	(S/15XR) – 1	(S/15XR) – 2	(S/15XR) – 6	S/15

7.2 a	S = Sum of number of students as per Approved Student Strength at all years *R = (1+2), #R=(1+2+6)
-------	---

Appendix 8: Faculty Cadre and Qualifications

The essential and desirable qualifications of academic staff at different levels in various areas of technical education shall be as per the UGC Regulations (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff for Universities and Colleges and Maintenance of Standards in Higher Education) 2010 as amended from time to time.

Appendix 9

Subscription of E-Journals (desirable)

Subscription of desirable e-journal packages for all engineering institutions conducting UG/PG courses:

S.No.	Publisher	Subjects	E-content	Annual Subscription Rate for AICTE Institutes
1.	IEEE	Computer Engineering + Computer Science + Electrical & Electronics engineering + Telecommunications & related disciplines	IEEE – All Society Periodicals E Package (ASPP) (145 e-Journals) (2011) (Back file Access – since 2000)	US \$ 4980
2.	ASME	Mechanical Engineering	ASME e-journals Package (25 e-journals) (2011) (Back file Access – since 2000)	US \$ 2156
3	ASCE	Civil Engineering	ASCE e-journals Package (33 e-journals) (2011) (Back file Access – since 1983)	US \$ 2520
4	McGraw Hill	General Engineering & Reference	Access Engineering Library	Us \$ 1969
5	ELSEVIER	Engineering + Computer Science (Electrical + Electronics + Mechanical + Civil and Structural + Aerospace + Biomedical + Industrial and Manufacturing + Ocean Engineering + Computational Mechanics and Safety Risk, Reliability and Quality + Computer Network and	Science direct 275 Journals (Back File Access from 2000 onwards)	US \$ 6500

		Communications, Artificial Intelligence, Computer Science, Computational Theory and Mathematics, Computer Graphics and Computer – Aided Design, Information Systems, Control and System Engineering and Software		
6	ASTM Digital Library Online version	Online dictionary of Engineering Science and Technology Electrical & Electronics Engineering Mechanical Engineering, Civil, Metallurgical, Petroleum, Instrumentation	ASTM DL (Digital Library) Over 1700 E-Book & Over 13,000 Journals and Articles	US\$ 1100

NOTE

1. Institutions having only 1st and 2nd year UG students and institutions being established may subscribe to Elsevier & ASTM digital library packages only (at S.No.5, 6)
2. All institutions other than Note point no. 1 above shall subscribe to all the packages from S. No. 1 to 6 given above.
3. Institutions not offering Civil Engineering courses need not subscribe to ASCE Package
4. Institutions not offering Mechanical Engineering courses need not subscribe to ASME Package
5. Institutions who have already subscribed to IEL online, need not subscribe to IEEE-ASPP package, until the subscription of the same is valid.

Desirable subscription of e-journals for all pharmacy institutions conducting undergraduate / post graduate programme:

Publisher	Subjects	E-content	Annual Subscription Rate for AICTE Institutes
BENTHAM	Pharmacy	Pharmacy Collection (23 e-journals)(2011) (Back file Access – since 2000)	US \$ 1000
ELSEVIER	Pharmacy	SCIENCEDIRECT 70 Journals (Back File Access from 2000 onwards)	US \$ 5400

Desirable subscription of e-journals for all architecture institutions conducting undergraduate /post graduate programme:

Publisher	Subjects	E-content	Annual Subscription Rate for AICTE Institutes
EBSCO	Architecture	Art & Architecture Complete (1081 e-journals, Magazines & Trade Publications) (2011)	US \$ 3800

Desirable subscription of e-journals for all hotel management institutions conducting undergraduate / post graduate programme:

Publisher	Subjects	E-content	Annual Subscription Rate for AICTE Institutes
EBSCO	Hotel Management	Hospitality & Tourism Complete (761 e-journals, Magazines & Trade Publications) (2011)	US \$ 3500

Desirable subscription of e-journals for all institutions conducting the following specialized postgraduate courses

Publisher	Subjects	E-content	Annual Subscription Rate for AICTE Institutes
ELSEVIER	Bio Technology	70 (Back File Access from 2000 onwards)	US \$ 4000
	Chemical Engineering	30 (Back File Access from 2000 onwards)	US \$ 3000
	Environmental Engineering	60 (Back File Access from 2000 onwards)	US \$ 4500
	Nano Technology	10 (Back File Access from 2000 onwards)	US \$ 2000
	Geo Technology	10 (Back File Access from 2000 onwards)	US \$ 1500

An institution running programme/course in Engineering should subscribe for Engineering. Similarly, if the institution is running Architecture, Pharmacy and Engineering then the institution may subscribe to all the packages of relevant discipline/s.

Optional package for institutions imparting postgraduate engineering courses

Publisher	Subjects	E-content	Annual Subscription Rate for AICTE Institutes
ISO	ISO JTC 1 Information Technology & Electronics & Telecommunication	(2630) standards	CHF 2300 CHF – Swiss Franc

Terms and Conditions

Subscription period: Calendar Year subscription i.e. 1st January, 2012 – 31st December, 2012

Payment: Institutions to make 100% advance payment along with a confirmed subscription order to the publisher or its authorized representative.

Subscription prices to be paid in Indian rupees (foreign currency price converted to INR as per the goods office committee/GOC conversion rate prevailing of the ordering month).

Access: Campus wide online access will be activated on IP authentication to the subscription institutions. Any number of simultaneous users can access, browse and download the subscribed e-journals within the institution campus.

Subscription Agreement: All subscribing institutions need to enter into a subscription agreement with the respective publisher or their representative. The subscription agreement entered in between institutions & publishers will cover the key licensing terms (including but not limited to fair use policy, subscribed content, price & arbitration in case of dispute).

Appendix 10**Format for Detailed Project Report (DPR) for establishment of new college****10.1 PREAMBLE**

This Chapter is expected to cover the genesis of the proposal with respect to the background of the technical education and industry scenario of the State where the proposed Institution is being located and the credentials of the Consultants, if any, engaged by the promoters for preparation of the DPR

10.1.1 Introduction

10.1.2 Background of the Consultants

10.1.3 Technical Education & Industry Scenario

10.2 THE PROMOTING BODY

This Chapter is expected to cover the status of the Promoting Body, its legal standing with respect to registration formalities, nature of the Body *viz.* Charitable Trust, Family Trust, Co-operative Society, Public Society etc., its activities since its inception with specific emphasis on its Social, Charitable, Educational activities along with a list of major activities undertaken to date, its mission and vision.

- a Introduction to its Genesis including its Registration Status
- b Details of its Promoters including their Background
- c Activities of the Promoting Body including a listing of major educational
- d Promotion activities undertaken by it in the past
- e Mission of the Promoting Body
- f Vision of the Promoting Body

10.3 OBJECTIVES AND SCOPE OF THE PROPOSED COLLEGE

This Chapter is expected to cover the goal of the proposed college, Scope and Justification of its establishment in the light of the prevailing technical education and industry scenario in the State, availability of students for admission, particularly the number of students passing the qualifying examination *viz.* +2 Science in First Class and the number of seats already available in the particular course (B. E./B. Pharm/ B. Arch./BHMCT/MCA etc.) in the State, and the genesis of the proposal with respect to the technical manpower requirement of the State, if available

- a Objectives of the college
- b General and Technical Education Scenario of the State
- c Status at Entry Level
- d Status of Technical Level manpower
- e Industrial Scenario of the State
- f Scope of the College *vis-à-vis* the Industrial Scenario and Educational Facilities already available in the State.

10.4 ACADEMIC PROGRAMS

This Chapter is expected to cover the basic Academic Philosophy of the college and to list the identified Programs, targets, and various facilities

- a Basic Academic Philosophy of the college
- b Types of Programs
- c Identified Programs
- d Phase-wise Introduction of Programs & Intake
- e Target Date for Start of Academic Programs
- f Central Computing facility
- g Central library
- h Central Workshop

- i Central Instrumentation Facility
- j Affiliating Body
- k Scholarships

10.5 SALIENT FEATURES OF ACADEMIC DIVISIONS

This Chapter is expected to give phase-wise details of the Academic Programs / Divisions that the proposed college desires to set-up in consonance with its Academic Philosophy including the Objectives, Areas of Focus, Detailed Analysis of Requirements of Faculty, Building Space, Equipment, etc. for each Academic Division:

- a Classification of Academic Divisions i.e. Departments, Centres, Schools, Central Academic Facilities
- b Details of each Academic Department / Centre, like:
 - Academic Objectives
 - Areas of Focus
 - Academic Program
 - Faculty Requirement & Phase-wise Recruitment
 - Requirement of Laboratories, Space and Equipment (cost)
 - Requirement of other Space like Class Rooms, Faculty Rooms, Departmental Office

10.6 QUALITY AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

This Chapter is expected to cover the Human Resource Developmental aspects of the proposed Institution including the Policies of the Management to promote excellence among Faculty & Staff, Strategies to attract and retain bright faculty and methodologies towards quality management and fostering of academic excellence:

- a Academic Values
- b Recruitment, Strategies for Attracting and Retention of Faculty Personnel for Excellence, Promotional Avenues, Career Ladder
- c Policies for Teaching and Non-teaching Staff Development
- d Permanent and Contract Services for Teaching, Non-teaching and other support Personnel
- e Total Quality Management
- f Overall Teaching and Non-teaching Staff Requirements

10.7 LINKAGES IN TECHNICAL EDUCATION

This Chapter is expected to elaborate the external linkages envisaged along with the strategies for promotion of R&D, Partnership with Industry, etc. for the wholesome growth of students as well as for contribution of the colleges to Society at large:

- a Introduction
- b Linkages with industry

- c Linkages with the community
- d Linkages with other colleges in the region
- e Linkages with Institutions of excellence such as the IITs and IISc., Bangalore,
- f Linkages abroad
- g Linkages with R&D laboratories

10.8 GOVERNANCE, ACADEMIC and ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

This Chapter is expected to cover the basic philosophy of governance and administrative management including the structure of its Board of Governors (BoG), the organizational chart for operational management along with responsibilities vested at various levels of administrative hierarchy. It is expected that a well thought out method of institutional governance and administration will be the key to its growth and success:

- a Philosophy of Governance
- b Board of Governors
- c Organizational Structure & Chart for day-to-day Operations & Management
- d Role and Responsibilities of Key Senior Positions
- e Methods / Style of Administration / Management

10.9 CONCEPTUAL MASTER PLAN FOR MAIN CAMPUS DEVELOPMENT

This Chapter is expected to cover the details of the Master Plan for Campus Development starting from the selection of site to the proposed land use pattern and the Phase-wise construction of various facilities/utilities to the level of landscaping. Institutional aspects of development is expected to be taken up in consonance with the Master plan keeping in view various aspects of convenience, safety and utility of the facilities:

- a The Site
- b Proposed Land Use Pattern
- c Design Concept
- d Buildings and Facilities in the Campus
- e External Services
- f Construction Systems and Materials
- g Landscape Proposal

10.10 REQUIREMENT OF STAFF, SPACE AND EQUIPMENT AND THEIR COST

This Chapter is expected to make a consolidated estimate of phase-wise requirements of the staff, building, equipment and their cost, along with strategies for the mobilization of funds required:

- a Introduction
- b Faculty Requirements
- c Non-teaching Staff Requirements
- d Building Requirements: Area and Costs
- e Estimated Cost of Equipment
- f Phase-wise Financial Requirements
- g Strategies for Financial Mobilization

10.11 ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION

This Chapter is expected to cover the Activity Chart from the conceptual stage to final implementation, indicating a time-activity Chart for various activities, its constraints and implementation strategy including financial out lay:

- a Activity Chart
- b Constraints
- c Financial Outlay
- d Strategy for Implementation

10.12 EXECUTIVE SUMMARY OF THE DETAILED PROJECT REPORT

This Chapter is expected to present a Summary of the DPR as per the following format for ready reference:

- a Details about the Promoting Body
- b Name and Address of the Promoting Body
- c Date of Registration/Establishment of the Promoting Body
- d Nature of the Promoting Body:
- e Activities of the Promoting Body since inception
- f Constitution of the Promoting Body

10.13 Faculty Data

Name	Academic qualifications	Nature of Association with the promoting body	Experience in academic institutions (in years)		
	Technical	Non Technical	Promotional	Management	Organisational

10.14 Proposed Institution

- a Details about the proposed college
- b Development Plan for the proposed college
- c Vision of the Promoting Body
- d Mission of the Promoting Body

10.15

- a Give a bar chart indicating mobilization of funds for the proposed project at the time of establishment and for next 10 years at intervals of five years.
- b Give a bar chart indicating the recruitment of faculty (separately for Lecturer, Assistant Professor, Professor) for the proposed project at the time of establishment & for next 10 years at intervals of five years.
- c Give a bar chart indicating creation of built up area (separately for Instructional, Administrative and Amenities) for the proposed project at the time of establishment & for next 10 years at intervals of five years.

- d Give a bar chart indicating investment on equipment and machinery for the proposed project at the time of establishment & for next 10 years at intervals of five years.

10.16 Total Project cost (at the time of establishment and next five years)

10.17 Details for mobilization/source of funds (capital & recurring) (at the time of establishment and next five years) (Rs. in Lakhs)

10.18 Recruitment of faculty (at the time of establishment and next five years)

Year	Professor	Associate. Professor	Assistant Professor	Total

10.19 Recruitment of non-teaching staff (at the time of establishment and next five years)

Year	Recruitment		Total
	Technical	Administrator	

10.20 Proposed structure of governing body

Sr.	Trust / Society Representative	Academic background		Industry Rep.	Others
		Technical	Non- technical		

10.21 Industry Linkages (at the time of establishment, and next five years)

DECLARATION

I / We, on behalf of “.....” hereby confirm that this Detailed Project Report has been prepared for its proposed college under the name and style of “.....”. It is hereby confirmed that all the information furnished above is true to the best of my / our knowledge and belief and if any information is found to be false, the proposal may be rejected.

(Authorized Signatory of the applicant)

Place:

Date:

Name

Designation

Seal

Appendix 11: Details regarding structure of various Committees**11.1 Scrutiny Committee**

Composition	Quorum
Professor of IIT / Government / Government Aided Institutions.	One Professor/Associate Professor as Chairman
Two Professors of the university	An advocate registered with Bar Council
An advocate registered with Bar Council	An Officer not below the rank of deputy director of the revenue department of the concerned State Government to be nominated by the concerned State Government/UT or an Architect registered with Council of Architecture.
An architect registered with Council of Architecture	

11.2 Expert Committee

Composition	Quorum
An academician not below the level of Professor in a field of technical education as Chairman to be appointed by the Executive Council of the University	Professor as Chairman
Two Expert members, not below the level of Associate Professor/Assistant Professor to be selected by Executive Council	One Expert member
An Officer not below the rank of deputy director of the revenue department of the concerned State Government to be nominated by the concerned State Government/UT or an Architect registered with Council of Architecture to be nominated by the Chairman, Regional Committee or an expert who is well versed with land and revenue matters to be nominated by the Chairman, Regional Committee.	An Officer not below the rank of deputy director of the revenue department of the concerned State Government to be nominated by the concerned State Government/UT or an Architect registered with Council of Architecture to be nominated by the Chairman, Regional Committee or an expert who is well versed with land and revenue matters to be nominated by the Chairman, Regional Committee.
An expert member not below the level of Associate Professor to be nominated by the State Government/UT concerned.	

Appendix 12

Documents to be submitted for

- ❖ **Setting up new Technical College offering one or more Technical Programs at Degree, Post graduate Degree Level**
- ❖ **Adding new Technical Program/s at Degree Level in existing Colleges**
 - **Change of Site / Location**
 - **Closure of institute**
 - **Conversion of Women's Institution into Co-Ed Institution**

12.1 New Institute

Applicant shall present following supporting documents in original along with one copy, duly attested by a gazetted officer or a first class Judicial Magistrate or Notary or an Oath Commissioner and other necessary information to the Scrutiny Committee.

Supporting documents other than affidavits shall be made on the applicant's letterheads and duly authenticated by the authorized signatory of applicant or by the head of the Institution.

Documents to be submitted at the time of scrutiny Committee

- 1 Building plan of the Institution should have been prepared by an Architect registered with Council of Architecture and approved by the Competent Authority as designated by concerned State Government/UT.
- 2 An affidavit, in a format as prescribed by the University, on a Non-Judicial Stamp Paper of Rs. 100, duly sworn before a First Class Judicial Magistrate or Notary or an Oath Commissioner.
- 3 Resolution by the applicant organisation in a format as prescribed by the University.
- 4 Certificate issued by an advocate in a format as prescribed by the university.
- 5 Certificate issued by an architect regarding approved building plans.
- 6 Certificate issued by bank manager regarding financial status of applicant.
- 7 A print of the complete application as prescribed by the university.
- 8 A receipt with official seal from the authorized signatory of the State Government as proof of submission of these documents.

- 9 Detailed Project Report (DPR) attached as a .pdf file.
- 10 Registration document of the Society / Trust / A company established under Section 25 of Companies Act, 1956 / PPP / BOT indicating its members, objectives and Memorandum of Associations and Rules, duly attested/certified by the Authority concerned.
- 11 Board of Governors of the college shall be constituted as per Appendix 14.
- 12 Provided that in the case of a company established under Section 25 of Companies Act, 1956, the MoA and Rules must contain a provision that the objective of the company is not profit making and any surplus earning shall be used exclusively for the purpose of development of Technical Institute.
- 13 Provided further that in case of an application made with a proposal of PPP / BOT applicant shall submit a certified copy / duly attested by a gazette officer of the agreement / contract regarding PPP / BOT. The applicant shall also submit a certificate or endorsement from the concerned District Magistrate or the SDM, regarding such a proposal pertaining to PPP / BOT in the said area with the applicant Society / Trust / A company established under Section 25 of Companies Act, 1956.
- 14 Resolution by the applicant organisation, pertaining to starting the Technical College or adding new program and allocation of land / building / funds to proposed activities in the format as prescribed by the University.
- 15 Documents showing ownership in the name of the applicant in the form of Registered Sale Deed / Irrevocable Gift Deed (Registered)/ Irrevocable lease (for a minimum of 99 years) by the Private Limited or Public Limited company or industry having turnover of at least Rs. 100 Cr per year for previous 3 years / Irrevocable Government Lease (for a minimum period of 30 years) by the concerned authority of Government or any other documents issued by the concerned competent authority establishing the ownership and possession of the land in the name of the applicant. In case, the land documents are in vernacular language, notarized English translation of the documents shall be produced.
- 16 Land Use Certificate permitting the land to be used for educational purpose, from the Competent Authority along with Topo sketch / Village Map indicating land Survey Numbers and a copy of road map showing location of the proposed site of the Institution.
- 17 Land Conversion Certificate permitting the land to be used for educational purpose to establish a college, from the Competent Authority along with Topo sketch / Village Map indicating land Survey Numbers and a copy of road map showing location of the proposed site of the Institution.

-
- 18 Khasra plan (Master plan) to show that the land is contiguous issued by the Competent Authority.
 - 19 Wherever applicable, FSI / FAR certificate shall have been obtained from the Competent Authority as designated by concerned Municipal Corporation or the local authority that approves Building Plans, or the State Government / UT.
 - 20 Proof of working capital (funds) as stated in clause 2.5, in the form of either Fixed Deposits in the Bank or latest Bank Statement of Accounts maintained by the applicant organization in a Nationalised Bank or Scheduled Commercial Bank recognised by Reserve Bank of India, along with a certificate issued by the Branch Manager of the Bank.
 - 21 Audited statement of accounts of the applicant organization for last three years, as may be applicable.
 - 22 Site Plan, Building Plan of proposed Technical College prepared by a an Architect registered with Council for Architecture (COA) and duly approved by the Competent Plan Sanctioning Authority of the concerned State/UT administration.
 - 23 Floor plans, sections and elevations of all proposed/existing buildings exclusively intended for use for the proposed college at the permanent site with a table clearly mentioning all rooms, with carpet area of each in sq. m., as specified in Instructional, Administrative and Amenities requirements certified by the Architect registered with the Council of Architecture. Safety and hygiene precautions ensured during partial occupation, if any, certified by the Architect registered with the Council of Architecture.
 - 24 Phase-wise plan of construction to achieve total carpet and built up area as required for conduct of all applied / existing courses from the first to final year. This shall be certified by Architect registered with the Council of Architecture.
 - 25 Copy of the syllabus of courses applied for.
 - 26 Certificate regarding Minority Status, if applicable at the time of application. Any claim thereafter shall not be entertained.
 - 27 Certificate of the competent authority indicating whether the land for the proposed new Institution/Technical College falls in the rural area or otherwise.

12.2 Documents to be submitted at the time of Expert Committee

Applicant shall present following supporting documents **in original** along with one copy, duly attested by a gazetted officer or a first class Judicial Magistrate or Notary or an Oath Commissioner and other necessary information to the Visiting Expert Committee

- 1 Copy of the advertisement in at least one National Daily, for recruitment of Principal and faculty members
- 2 Stock Register of dead stock items including laboratory equipment, computers, system & application software, printers, office equipments and other dead stock items.
- 3 Proof of provision of Internet bandwidth in Mbps and contention ratio
- 4 List giving titles of books and volumes of each purchased for Library
- 5 Copy of Invoice / Cash Memo for equipments and Library Books
- 6 Copy of Invoice / Cash Memo for equipments and Library Books
- 7 Details of subscription of E-Journals as per Appendix 9
- 8 List and details of hard Copy of National Journals subscribed
- 9 List and details of hard Copy of International Journals subscribed
- 10 Sanction of electrical load by electric supply provider company
- 11 Details of provision of backup power supply
- 12 A certificate by an architect giving details of sewage disposal system, barrier free environment and toilets created for physically challenged and all weather approach road.
- 13 Details and proof of telephone connections available at the proposed Technical College
- 14 Details and proof about medical facility and counseling arrangements
- 15 Details of reprographic facility available for students
- 16 Details of all other educational Institutions run by the same society or management or by any other management to which the Chairman of the applicant Society is a member.
- 17 Video recording with date and time of the entire proceedings of the Expert Committee Visit, which will form part of the Expert Committee report. This will include the video of the visit with date and time of shooting, a walk through video with date and time of shooting of all infrastructural facilities created indicating the complete physical infrastructure / facilities, highlighting Front & Back side of the entire Institute building/s Internal portion of the classrooms, tutorial rooms, laboratories, workshop, drawing hall, computer centre, library, reading room, seminar hall and all other rooms, as mentioned in program-wise Instructional area requirements, Internal portion of the principal's room, Board room, main office, departmental offices, faculty cabins / seating arrangement and all other rooms as mentioned in Administrative area requirements, Internal portion of toilet facilities, boys and girls common rooms, cafeteria and all other rooms as mentioned in Amenities area requirements, circulation area details highlighting entrance lobby, passages, escalators, staircases and other common areas.

12.3 Documents to be submitted after the issuance of LoI

- 1 New Institutions granted Letter of Intent or Temporary Affiliation and the existing Institutions granted permission for introduction of new course/s division/s program/s, second shift and change in intake capacity, shall comply with appointment of teaching staff and Principal as the case may be, as per policy regarding minimum qualifications, pay scale etc, norms prescribed by the university and other technical supporting staff & administrative staff as per the schedule prescribed by the University.
- 2 Institutions other than minority Institutions shall appoint teaching staff / Principal and other technical supporting staff and administrative staff strictly in accordance with the methods and procedures of the concerned affiliating University particularly in case of selection procedures and selection committees.
- 3 The information about these appointments of staff in the prescribed format shall be submitted to the university.
- 4 In no circumstances unless the appointment of all teaching and other staff is in place, the Institutes shall start the approved Technical Courses.
- 5 Faculty and non teaching staff data shall be entered as per the prescribed format.

12.4 Additional documents to be submitted for closure of Institution

- 1 Resolution by the applicant Institution, pertaining to application for closure of Institution in the format as prescribed by the university.
- 2 No objection certificate from Concerned State Government in the given format.
3. A certificate from the college with clear mention about provisions / alternative arrangements made to take care of education of existing students studying in the Institute in the format as prescribed by the university.
- 4 Details of the RPGF / Joint FDR / FD made with university / State Government /University for establishment of the Institution.

12.5 Additional documents required for seeking permission for change of Change of Site/Location

- 1 Resolution by Governing Board Members approving change in Site / Location, duly signed by the Chairman of the Society / Trust.
- 2 No objection certificate from State Government concerned.

12.6 Additional documents required while seeking permission for the Conversion of Women's Institute into Co-Ed Institute.

- 1 A certificate stating that less than 40% admissions for three consecutive years issued by Competent Admission Authority.
- 2 A certificate stating the actual enrolment of students for the last three consecutive years, issued by the Registrar of the Affiliating University
- 3 Resolution of the Trust / Society / Board of Governors for the conversion from Women's Institution to Co-Ed Institution.
- 4 NOC of the State Government
- 5 Money to be deposited as per the Regulations in lieu of return of the existing FDR, if any, as prescribed by the university.
- 6 Land related documents to be submitted as per the Regulations.

12.7

- 1 Non-encumbrance Certificate of the land issued by the Competent Authority.

Appendix 13**Documents to be submitted for**

- Extension of affiliation to existing College
- Increase/reduction in intake in existing courses
- Adding course/s in existing program
- Closure of program/course
- Mandatory provision of supernumerary seats for TFW
- Introducing/continuing/discontinuing supernumerary seats for PIO
- Introducing/continuing/discontinuing seats for sons/daughters of NRIs
- Change of name of the Institute
- Second Shift programs
- Part Time Programs

13.1 Documents to be submitted for issuance of EoA of Existing Institutions

The applicant Institution applying for Extension of Affiliation (EoA) shall submit to the university the List of enclosures as given below duly attested by a gazetted officer or a first class Judicial Magistrate.

Supporting documents other than affidavits shall be made on the applicant's letterheads and duly authenticated by the authorized signatory of applicant or by the head of the Institution

- i. A print of the complete application and the Deficiency/Status report, shall be submitted to Affiliating University and State Government/UT concerned, along with all enclosures as below, duly attested by a gazetted officer or a first class Judicial Magistrate or Notary or an Oath Commissioner on or before the date as mentioned in the schedule.
- ii Stamped receipt from an authorized signatory of the State Government as proof of submission of these documents.
- iii Satellite map, using suitable website, showing geographical location of land with latitude and longitude mentioned on it.
- iv Copy of pay receipt in respect of Extension of Affiliation.
- v Show Cause Notice issued by University, if any, during the last two years, since the establishment of the college.
- vi Details of court cases filed against University and order of the Court, if any.
- vii An affidavit, in a format as prescribed by the university, on a Non-Judicial Stamp Paper of Rs. 100, duly sworn before a First Class Judicial Magistrate or Notary or an Oath Commissioner.
- viii Copy of all the accreditation letters, if obtained in the last one year
- ix Certificate by the Head of the college to the effect that all Faculty and all non teaching staff data and all student data of all years and all courses, has been entered as per the prescribed format on the Web Portal

13.2 Documents to be submitted

The applicant college applying for Extension of Affiliation (EoA) shall submit to the university the List of enclosures as given below duly attested by a gazetted officer or a first class Judicial Magistrate.

Supporting documents other than affidavits shall be made on the applicant's letterheads and duly authenticated by the authorized signatory of applicant or by the head of the college

-
-
- i A copy of the Registration Certificate and Trust Deed/Registration Certificate of the Society
 - ii Memorandum of Association and Rules.
 - iii Details of Board of Governors of the Institute constituted as per Appendix 14.
 - iv The registration document establishing that the land on which the concerned College is located is in legal possession of sponsoring trust/society as the case may be;
 - v Land use certificate establishing that Competent Authority has allowed the use of the land on which the concerned Institution is located is for educational purpose and for the purpose of establishment of the Institution concerned.
 - vi Khasra plan (Master plan) to show that the land is contiguous issued by the Competent Authority.
 - vii Final building and floor plan duly approved by the competent authority.
 - viii Certificate from an architect registered with Council of architecture regarding total built up area of the building and carpet area of each room.
 - ix The Letter of Affiliation, initially given by the university, at the time of establishment of the Institution approved by the university;
 - x All subsequent Letter of Extension of Affiliation and/or letters indicating variation in intake.
 - xi Appointment letter, joining report, UG, PG and other certificates, passport size photograph, biometric image of right or left thumb in the absence of right thumb of Principal and all faculty members.
 - xii Details of administrative and support staff appointed with biometric image of right or left thumb in the absence of right thumb and photographs as done for teaching faculty.
 - xiii Latest salary sheet giving details, such as, scale of pay, gross pay, PF deduction, TDS for all teaching and non teaching staff.
 - xiv Audited statement of accounts of the Institution and applicant Society / Trust / A company established under Section 25 of Companies Act 1956, and existing College for last three years, if applicable.
 - xv Certified income-expenditure statement for the last financial year.
 - xvi Details regarding current approved fee structure and the approving body.
 - xvii Details of operational funds as on date.
 - xviii List giving numbers and details for major Equipment, computers, software, and printers.
 - xix Last three pages of Accession Register for Library Books.
 - xx Proof of subscription of E-Journals as per appendix 9 and Hard Copy of National Journals. However Hard Copy of International Journals is desirable.
 - xxi Information regarding availability of potable water supply with a test report issued by Government authority / Government recognized laboratory mentioning suitability of water for drinking purpose.
 - xxii Sanction of electrical load by electric supply provider company
 - xxiii Details of provision of backup power supply
 - xxiv A certificate by an architect giving details of sewage disposal system, barrier free environment and toilets created for physically challenged and all weather approach road.

- xxv Details and proof of telephone connections available at the college
- xxvi Details and proof about medical facility and counseling arrangements
- xxvii Details of reprographic facility available for students
- xxviii Details of transport facility available for students and staff
- xxix a Copy of the Receipt of Joint FDR, and copy of the FDR, that the Institute opened at the time of inception of the college.
- b In case the FDR has been encashed on completion of the eight year term, the copy of the FDR release letter issued by university to the college.
- xxx A Video (Compatible with “Windows Media Player”) of maximum five minutes duration with date and time of shooting indicating the complete physical infrastructure / facilities and highlighting following:
- xxxi a Front & Back side of the entire building
- b Internal portion of the classrooms, tutorial rooms, laboratories, workshop, drawing hall, computer centre, library, reading room, seminar hall and all other rooms as mentioned in program-wise Instructional area requirements in Appendix 4.
- c Internal portion of the principal’s room, Board room, main office, departmental offices, faculty cabins/seating arrangement and all other rooms as mentioned in Administrative area requirements in Appendix 4.
- d Internal portion of toilet facilities, boys and girls common rooms, cafeteria and all other rooms as mentioned in Amenities area requirements in Appendix 4.
- e Circulation area details highlighting entrance lobby, passages, escalators, staircase and other common area.

13.3 Additional documents to be submitted for permission of Increase in intake in Existing Programs

Additional documents shall be necessary while seeking permission for increase in intake in existing program

- i Resolution by the applicant organisation, pertaining to starting additional courses/divisions in existing program and allocation of land/building/funds to proposed activities in the format as prescribed by the university.
- ii Building plans approved by competent authority mentioning additional carpet area fulfilment for additional intake applied.
- iii Certificate from an architect registered with Council of Architecture regarding additional built up area of the building and carpet area of each room.

13.4 Additional documents to be submitted for closure of Programs/Courses in Existing Institutions

- i Resolution by the applicant Institution, pertaining to application for reduction in intake or closure of course/program in the format as prescribed by the university.
- ii No objection certificate from State Government concerned in the given format.
- iii A certificate is required from the college with clear mention about provisions/alternative arrangements made to take care of education of existing students studying in the Institute in the format as prescribed by the university.
- iv Details of the RPGF/Joint FDR/FD made with university/State Government/University for establishment of the Institution.

13.5 Additional documents to be submitted for permission to introduce supernumerary seats for PIO in Existing Institutions

-
- i Resolution by the applicant college, pertaining to application for Introducing supernumerary seats for PIO in the format as prescribed on the web portal.
 - ii Details regarding hostel rector and hostel administration.
 - 13.6 Additional documents required for seeking permission for seats for sons/daughters of NRIs**
 - i Resolution by the applicant Institution, pertaining to application for Introducing seats for sons/daughters of NRIs in the format as prescribed by the university.
 - 13.7 Additional documents required for seeking permission for change of Name of the college**
 - i Resolution by Governing Board Members approving change in name, duly signed by the Chairman of the Society/Trust.
 - ii No objection certificate from State Government concerned.
 - 13.8 Documents to be submitted to the Expert committee members during visit for permission of Change of Site/location, closure of college, Foreign Collaborations, Twinning Programs and Conversion of Women's college to Co – Ed college.**
 - i A copy of the application submitted to the university.
 - ii List giving numbers and details for major Equipment, computers, printers and software.
 - iii Last three pages of Accession Register for Library Books.
 - iv Proof of Subscription of E-Journals and hard Copy of National & International journals
 - v Examination Results and Statistics of previous two batches.
 - vi Latest salary sheet giving details, such as, scale of pay, gross pay, PF deduction, TDS for all teaching and non teaching staff and Teaching Staff: Student ratio.
 - vii Information regarding availability of potable water supply with a test report issued by Government. Authority/Government. recognized laboratory mentioning suitability of water for drinking purpose.
 - viii Sanction of electrical load by electric supply provider company
 - ix Details of provision of backup power supply
 - x Details and proof about medical facility and counseling arrangements
 - xi Its report on the same day of the visit.
 - xii Video recording of Expert Committee visit as a part of the expert committee visit report.
 - xiii Attendance sheet in the format as prescribed, duly signed/digitally authenticated by, the Expert Committee members representatives of applicant Society/Trust present during the visit and Principal of the college who is present during the visit.

Appendix 14**Composition of Board of Governors on university affiliated Institutions****14.1**

- a The Governing Body shall have at least eleven members including the Chairman and the Member-Secretary. The Registered Society / Trust shall nominate six members including the Chairman and the Member-Secretary, and the remaining five members shall be nominated as indicated below
- b Chairman to be nominated by the Registered Society / Trust.
The Chairman of the Governing Body shall preferably be a technical person either entrepreneur of an industrialist or an educationist of repute who is interested in development of technical education and has demonstrated an interest in promotion of quality education.
- c Two to five Members to be nominated by the Registered Society / Trust
- d Nominee of the University.
- e Two members from amongst industrialists / technologists / educationists of the region to be nominated by the Vice Chancellor.
- f Two nominees of the State Government.
- g Principal of the College concerned (as nominee of the Society / Trust) – Member Secretary.
- h Two Faculty members to be nominated from amongst the regular staff, one at the level of Professor and one at the level of Assistant Professor.
- i The number of members can be increased equally by adding nominees of the registered Society and by adding an equal number of educationists from the Region keeping in view the interest of the College. The total number of members of a Governing Body shall, however, not exceeding 21.